लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[पहला सत्र
First Session]

(Fourth Lok Sabha)

Preservation Unit
6-7-92
Fumigated
04-1-84
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 2 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. II contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य: एक रुपया

Price : One Rupee

लोक-सभा वाद-विवाद का

संक्षिप्त अनुदित संस्करण

शुक्रवार , 7 अप्रैल , 1967 । 17 चैत्र , 1889 (शक)

का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ संख्या	शुद्धि
(X)	पंक्ति 4 में `सदस्य द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण ` के बाद सदस्य का नाम `श्री शशि भूषण वाजपेयी `पढ़िये ।
(XI)	पंक्ति 4 में विधेयक पुर:स्थापित के बाद क्रम संख्या 6, पंक्ति 2 में 1967 के पश्चात् (धारा 3 का संशोधन) पढ़िये ।
1302	तारांकित प्रश्न संख्या 320 के हिन्दी पाठ के स्थान पर निम्नलिखित अंग्रेजी रूपान्तर पढ़िये :

" Amenities for passengers in Northeastern Railway

320 Shri Bhibhuti Mishra :
Shri K.N. Tewari

Will the Railway Minister be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the amentities and facilities provided to passengers in the Northeastern Railway are very meagre as compared to those on other railways; and

(b) if so, the reasons for this discriminations ?

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 16, शुक्रवार, 7 अप्रैल, 1967/17 चैत्र, 1889 (शक)

No. 16, Friday, April 7, 1967/Chaitra 17, 1889 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या		
S. Q. Nos.		
319. टेलीविजन सेटों का निर्माण	Manufacture of T. V. Sets ..	1299—1302
320. पूर्वोत्तर रेलवे में यात्रियों के लिये सुविधाएं	Passenger Amenities on N. E. Railway ..	1302—1306
322. भारत, संयुक्त अरब गणराज्य और यूगोस्लाविया के बीच व्यापार करार	Indo-UAR and Yugoslavia Trade Agreements	1306—1308
323. रुई की स्थिति	Cotton Position ..	1308—1309
333. वर्ष 1967-68 में रुई की आवश्यकता	Cotton requirement during 1967-68 ..	1309
336. कपड़ा आयुक्त द्वारा रुई के स्टाक का अधिग्रहण	Requisitioning of Cotton Stocks by Textile Commissioner ..	1309—1314
324. राज्य व्यापार निगम के माध्यम से गंधक का आयात	Import of Sulphur through STC ..	1314—1317
अ० सू० प्र० संख्या		
S. N. Q. No.		
8. आपात-कालीन कमीशन-प्राप्त पदाधिकारियों का नौकरी से निकाला जाना	Release of Emergency Commissioned Officers ..	1318—1327
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या		
S. Q. Nos.		
321. बोकारो इस्पात परियोजना	Bokaro Steel Project	1327

* किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

ता० प्र० संख्या
S. Q. Nos.

325.	जापान को कोयले का निर्यात	Export of coal to Japan ..	1327—1328
326.	खनिजों के खनन का विकास	Development of Mining of Minerals ..	1328—1329
327.	कम्पनियों द्वारा राजनैतिक दलों को धन का दिया जाना	Contribution made to Political Parties by Companies ..	1329
328.	डीजल लोकोमोटिव वर्कशाप, वाराणसी	Diesel Locomotive Workshop, Varanasi ..	1330
329.	समवाय विधि का समेकन	Consolidation of Company Law ..	1330
330.	तीन पहिये वाली गाड़ियां बनाने वाले उद्योगों में उत्पादन	Production in Three-wheeler Vehicle Industries ..	1330—1331
331.	केनिया में भारतीय सहयोग से कारखाने की स्थापना	Factory in Kenya with India's Collaboration ..	1331
332.	खाद्यान्नों तथा अन्य वस्तुओं के मूल्य	Prices of Foodgrains and other Commodities ..	1331—1332
335.	सुअर के बलों (बिस्टल्स) का नेपाल से होकर निर्यात	Export of Bristles Via Nepal ..	1332
337.	पश्चिम रेलवे में छंटनी	Retrenchment on Western Railway ..	1332—1333
338.	रेलवे सामान का आयात	Import of Railway Stores ..	1333
339.	वेंकटाचलम् समिति	Venkatachelam Committee ..	1333—1334
340.	औद्योगिक नीति सम्बन्धी संकल्प के अनुकूल न चलना	Shift from Industrial Policy Resolution ..	1334—1335
341.	ऐक्स-रे ट्यूबों का निर्माण	Manufacture of X-Ray Tubes ..	1335
342.	भारतीय रेलों की परिचालन दक्षता	Operating Efficiency of Indian Railways	1335—1336
343.	खेत्री तांबा परियोजना	Kehtri Copper Project ..	1336—1337
344.	रेलगाड़ी में विधान सभा (उत्तर प्रदेश) के एक सदस्य का गोली से मारा जाना	Shooting of an MLA (U. P.) in Running Train ..	1337
345.	निर्यात प्रधान कताई मिल	Export oriented spinning Mills	1337—1338
346.	पूर्वी यूरोप के देशों के साथ व्यापार	Trade with East European Countries	1338
347.	अखिल भारतीय टिकट निरीक्षण कर्मचारी परिषद्	All India Ticket Checking Staff Council.	1338

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
348. दक्षिण रेलवे में रेलवे रेस्तरां	Railway Restaurants on Southern Rly. ..	1338—1339
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
750. कपड़ा उद्योग	Textile Indust ..	1339—1340
751. महाराष्ट्र में एल्यूमीनियम कारखाने की स्थापना	Location of Aluminium Factory in Maharashtra ..	1340
752. जादूपुर गांव में यात्री रेलगाड़ी रुकने की व्यवस्था	Passenger Train Halt at Jadupur Village..	1340
753. इटारसी जंक्शन पर रेलवे फाटक	Level Crossings at Itarsi Junction	1341
754. इटारसी-जबलपुर सेक्शन पर रेलगाड़ियों का चलना	Running of Trains on Itarsi-Jabalpur Section ..	1341
755. इटारसी-जबलपुर सेक्शन के स्टेशनों के प्लेटफार्मों पर शेड	Sheds on Platforms at Stations on Itarsi Jabalpur Section ..	1341—1342
756. महाराजपुर स्टेशन पर गाड़ी का पटरी से उतर जाना	Derailment at Maharajpur Station ..	1342
757. चामराजनगर तथा सत्यमंगलम के बीच रेलवे लाइन	Railway line between Chamarajanagar and Sathyamangalam ..	1342—1343
758. दक्षिण-पूर्व रेलवे के खुरदा डिवीजन में छात्रवृत्तियां	Scholarships in Khurda Division of S. E. Railway ..	1343
759. उर्वरक कारखाना, नेवेली	Fertilizer Plant, Neyveli ..	1344
761. पैसेंजर कारों का निर्माण	Manufacture of Passenger Cars ..	1344
762. लक्कीसराय स्टेशन पर दुर्घटना	Accident at Luckeesarai Station ..	1345
763. दिल्ली क्षेत्र में बड़े स्टेशन को छोड़कर सीधी गुजरने वाली रेलवे लाइनें (रेलवे अवायडिंग लाइन)	Railway Avoiding Lines in Delhi Area ..	1345
764. सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं की क्रियान्विति में विलम्ब	Delay in the Execution of Public Sector Projects ..	1346
765. निर्यात बाजार	Export Markets ..	1346
766. उद्योगों पर अवमूल्यन का प्रभाव	Effect of Devaluation on Industries ..	1347
767. महेश्वरी देवी जूट मिल्स कानपुर	Maheshwari Devi Jute Mills, Kanpur ..	1347—1348.

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

768. सिंभोली रेलवे स्टेशन पर ऊपर के पुल का निर्माण	Construction of Overbridge at Simbhooli Railway Station ..	1348
769. फतेहपुर से चुरू तक का रेल का किराया	Railway Fare from Fatehpur to Churu ..	1348
770. महेजी स्टेशन के निकट दुर्घटना	Accident near Maheji Station ..	1348—1349
771. ब्रजराजनगर स्टेशन पर रेल भिड़न्त	Collision at Brajraj Nagar Station ..	1349
772. स्टेशन मास्टरों की हड़ताल	Strike by Station Masters ..	1349—1350
773. लखनऊ की कैरेज तथा वैगन वर्कशाप में हुई दुर्घटना	Incident at Carriage and Wagon Workshop, Lucknow ..	1350
774. रूस की सरकार से उर्वरकों का आयात	Import of Fertilizers from Soviet Government ..	1350—1351
775. हथकरघा व्यापार शिष्ट-मण्डल	Handloom Trade Delegation ..	1351—1352
776. हस्त-शिल्प हथकरघा निर्यात संघ, मद्रास	Handicrafts and Handloom Export Organisation, Madras ..	1352
777. रुई कातने के कारखाने	Cotton Spinning Mills ..	1352—1353
778. नेशनल कोल डैवलपमेंट कारपोरेशन	National Coal Development Corporation ..	1353—1354
779. इस्पात संयंत्रों से गंधक की प्राप्ति	Recovering Sulphur from Steel Plants ..	1354
780. मैसर्स अशोका मार्केटिंग लिमिटेड	M/s Ashoka Marketing, Limited ..	1354—1355
781. इस्पात के मूल्य	Prices of Steel ..	1355—1356
782. बोकारो इस्पात कारखाना	Bokaro Steel Plant ..	1356
783. अपशिष्ट अभ्रक	Waste Mica ..	1356—1357
784. अमागुडा से केसिंगा तक रेलवे लाइन	Railway Line from Amaguda to Kesinga ..	1357—1358
785. दुर्गापुर इस्पात कारखाना	Durgapur Steel Plant ..	1358
786. रबड़ का आयात	Import of Rubber ..	1358
787. टेलीविजन सेटों का निर्माण	Manufacture of T. V. Sets ..	1358—1359

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

788. अनन्तनाग (काश्मीर) में भूचाल के झटके	Termors in Anantnag (Kashmir) ..	1359
789. भारत में उपलब्ध लौह अयस्क चूरा	Iron Ore Fines available in India ..	1359—1360
790. कपड़ा मिलों को तकुओं का नियतन	Allocation of Spindles to Textile Mills ..	1360
791. नमक का उत्पादन तथा निर्यात	Production and Export of Salt ..	1361
792. मैंगनीज और लौह अयस्क का उत्पादन	Production of Manganese and Iron Ore ..	1361—1362
793. उड़ीसा में औद्योगिक सहकारी समितियां	Industrial Co-operative Societies in Orissa	1362
794. आविष्कार संवर्धन बोर्ड	Invention Promotion Board ..	1362—1363
795. उड़ीसा में अम्बर चर्खा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	Ambar Charkha Training Courses in Orissa	1363
796. सनफ़ाइज्ड कपड़े का आयात	Import of Sanforised Cloth ..	1363
797. कॉफी का उत्पादन	Production of Coffee ..	1364
798. दिल्ली रेल स्टेशन पर कुलियों की मजदूरी की दरें	Porterage at Delhi Railway Station ..	1364
799. कोटा में रेलवे कुली	Railway Porters at Kota ..	1364
800. क्लच असेम्बली तथा इक्विपमेंट का आयात	Import of Clutch Assembly and Equipment ..	1365
801. वस्तुओं के लिये नये प्रमापों का जारी करना	Issue of new standards for Commodities ..	1365
802. परादीप पतन के पास उद्योग	Industries near Paradip Port ..	1365
803. उड़ीसा में अयस्क के निक्षेप	Ore Deposits in Orissa ..	1366
804. छोटी कारों का निर्माण	Manufacture of Small Cars ..	1366
805. पाकिस्तान द्वारा जब्त किया गया जहाज माल	Cargo Impounded by Pakistan ..	1366—1367
806. जयनगर से पलेजाघाट के लिये एक रेल डिब्बा (बोगी)	Bogie from Jaynagar to Paleza Ghat ..	1367
807. नार्थ-ईस्ट फ्रन्टियर रेलवे फार्म्स डिपो, गोहाटी	North-East Frontier Railway Forms Depot, Gauhati ..	1367—1368

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
808. रेलवे में स्टेनोग्राफर	Stenographers in Railways	1868
809. मैसूर में सरकारी उद्योग	State owned Industries in Mysore	1368
810. कटक और परादीप के बीच रेलवे लाइन	Railway Line between Cuttack and Pradeep	1368—1369
811. पूर्व तथा दक्षिण-पूर्व रेलवे में बिजली तथा डीजल से चलने वाली गाड़ियां	Electric and Diesel Locomotives on Eastern and S. E. Railways	1369
812. एकाधिकार जांच आयोग	Monopolies Enquiry Commission	1369—1370
813. कोयला खानों के पास गड्ढों में जमा स्टाक	Pit Head Stocks held by Coal Mines	1370
814. निर्यात व्यापार	Export Trade	1370
815. स्कूटरों और आटो-साइकलों का निर्माण	Manufacture of Scooters and Auto-cycles.	1371
816. जाली रेल टिकट	Forged Railway Tickets	1371
817. राष्ट्रीय कोयला विकास निगम का पुनर्गठन	Reorganisation of National Coal Development Corporation	1371—1372
818. कपड़ा मिलों का बन्द होना	Closure of Textile Mills	1372
819. ललितपुर और सतना रेलवे स्टेशनों (मध्य रेलवे) के बीच रेल सम्पर्क	Rail Link between Lalitpur and Satna Railway Stations (C. Rly)	1372
820. इरोड से चामराजनगर तक रेलवे लाइन	Railway Line from Erode to Chamarajanagar	1373
821. इरोड से जालारपेट तक रेलवे लाइन को दोहरी बनाना	Doubling of Railway Line from Erode to Jalarpet	1373
822. तिरुप्पुर तथा पलानी के बीच रेलवे लाइन	Railway Line between Tiruppur and Palani	1373—1374
823. रेलवे लोको शेड, कोयम्बटूर का अन्य स्थान पर ले जाया जाना	Shifting of Railway Loco Shed, Coimbatore	1374
824. भूतपूर्व ग्वालियर राज्य नैरो गेज रेलवे लाइन के स्थान पर मीटर मेज लाइन बिछाना	Conversion of the Erstwhile Gwalior State Narrow Guage Railway Lines into Metre Gauge	1374—1375

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
825. अम्बाला शहर में गाड़ियों का रुकना	Stoppage of Trains at Ambala City	1375
826. रेलवे फाटक, जगाधरी (उत्तर रेलवे)	Railway Crossing at Jagadhri (N. Rly)	1375—1376
827. बुलन्दशहर जिले की खुर्जा तहसील में उद्योग	Industries in Khurja Tehsil of Bulandshahr District	1376
828. दिल्ली और बुलन्दशहर के बीच सीधी रेलवे लाइन	Direct Rail Link between Delhi and Bulandshahr	1376
829. रेल के माल डिब्बों से माल उतारने का भाड़ा	Charges for Unloading Goods from Railway Wagons	1377
830. उत्तर रेलवे की क्रेन क्षमता	Crane Capacity on Northern Railway	1377
831. केरल में काजू के कारखानों का बन्द होना	Closure of Cashew Factories in Kerala	1377—1378
832. इलायची का निर्यात	Export of Cardamon	1378
833. इलाहाबाद और कटिहार के बीच चलने वाली गाड़ियां	Trains running between Allahabad and Katihar	1379
834. बोकारो सिविल वर्क्स के लिये टेंडर	Tenders for Bokaro Civil Works	1379
835. हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड	Hindustan Steel Works Construction Ltd.	1379—1380
836. उड़ीसा, बिहार तथा मध्य प्रदेश के खान क्षेत्रों का सर्वेक्षण	Survey of Mine Bearing Areas of Orissa, Bihar and Madhya Pradesh	1380
837. उड़ीसा में औद्योगिक कारखाना	Industrial Units in Orissa	1380—1381
838. रूरकेला और तालचेर के बीच रेलवे लाइन	Railway Line between Rourkela and Talcher	1381
839. बिजली तथा डीजल से चलने वाले रेल इंजनों का निर्माण	Production of Electric and Diesel Locomotives	1381—1382
840. विदेशी कम्पनियों द्वारा देश में वितरण	Internal Distribution by Foreign owned Companies	1382—1383
842. डीजल इंजन निर्माण कारखाना, वाराणसी में कर्मचारियों की वरिष्ठता	Seniority in the Diesel Locomotive Works, Varanasi	1383

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

843. जौनपुर (उत्तर प्रदेश) में स्कूटर का निर्माण	Manufacture of Scooters at Jaunpur (U.P.)	1383—1384
844. रेलों पर सुरक्षा बल तथा पुलिस की व्यवस्था	Security and Policing on Railways	1384
845. रेलवे में कुछ वस्तुओं के लाने-ले जाने के भाड़े की कम दरें	Low Freights for transportation of certain articles	1384
846. कच्चे लोहे का उत्पादन	Production of Pig Iron	1384—1385
847. रेलवे स्टेशनों पर खोमचों के ठेके	Vending Contract at Railway Stations	1385—1386
848. डीजल रेल इंजन	Diesel Locomotives	1386
849. वैगन भर इमारती लकड़ी पर भाड़ा	Freight on Wagon load of Timber	1386—1387
850. सियालदह डिवीजन में बिजली से चलने वाली चार डिब्बों वाली गाड़ियां	Four-Bogie Electric Trains on Sealdah Division	1387
851. बालीगंज (पूर्व रेलवे) में रेलगाड़ियों का रोका जाना	Detention of Trains at Ballygunge (E. Rly)	1387—1388
852. खंडवा से खरगांव तक रेलवे लाइन बिछाना	Laying of Railway Line from Khandwa to Khargaon	1388
853. मेसर्स इंडिया इलेक्ट्रिक वर्क्स लिमिटेड, कलकत्ता	M/s India Electric Works Ltd., Calcutta..	1388—1389
854. आयात लाइसेंस दिया जाना	Issue of Import Licences ..	1389
855. गुणमक्सी रेलवे परियोजना	Guna Maksi Railway Project ..	1389—1390
856. टाटानगर, पटना और रांची-पटना के बीच एक अतिरिक्त गाड़ी चलाना	Running of an Additional Train between Tatanagar, Patna and Ranchi-Patna ..	1390
857. चाय उद्योग	Tea Industry ..	1390—1391
858. बिजली के मीटर बनाने का उद्योग	Electricity Meter Industry ..	1391—1392
859. उत्तर प्रदेश में हथकरघा उद्योग	Handloom Industry in U. P. ..	1392
860. संग चल कर्मचारी समिति, दानापुर (पूर्व रेलवे)	Running Staff Committee, Danapur (E. Rly.) ..	1392

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
861. पूर्व रेलवे के दानापुर डिवीजन में सीनियर क्लीनरों और सेकिंड फायरमैनों की पदोन्नतियां	Promotions of Senior Cleaners and Second Firemen in Danapur Division (E. Rly.)	1392—1393
862. 'ए' ग्रेड के फायरमैन	'A' Grade Firemen ..	1393
863. 1960 की रेलवे हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों को दंड	Punishment to Employees for taking part in 1960 Railway Strike ..	1393
864. राजस्थान में खादी ग्रामोद्योग समितियां	Khadi Gramodyog Societies in Rajasthan	1393—1394
865. राजस्थान में कुटीर उद्योग	Cottage Industries in Rajasthan ..	1394
866. व्यापरियों को हाथी दांत का नियतन	Allotment of Ivory to Traders ..	1394—1395
867. इलैक्ट्रोमेडिको उपकरण का आयात	Import of Electro Medico Equipment ..	1395
868. लन्दन में चाय केन्द्र	Tea Centres in London ..	1395
869. काली सूची में रखी गई फर्मों के बारे में जांच	Enquiry against Black listed Firms ..	1395—1396
870. प्रमुख उद्योग गृह	Major Industrial Houses ..	1396—1397
871. मेसर्स न्यू सेन्ट्रल जूट मिल्स कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता	M/s New Central Jute Mills Co. Ltd., Calcutta ..	1397
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance ..	1398—1401
चित्तौड़गढ़ में बिड़ला के सीमेंट कारखाने को काफी मात्रा में बिजली का दिया जाना	Bulk supply of electricity to Birla's cement factory at Chittorgarh ..	1398—1401
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	Shri Chintamani Panigrahi ..	1398
डा० कु० ल० राव	Dr. K. L. Rao ..	1398—1400
विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में	Re. Question of Privilege ..	1401—1402
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table ..	1403—1409
राज्य सभा से सन्देश	Messages from Rajya Sabha ..	1409—1410

विषय	SUBJECT		पृष्ठ/PAGES
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति	Committee on Public Undertakings	..	1410
(1) चालीसवां प्रतिवेदन तथा	(i) Fortieth Report; and	..	1410
(2) कार्यवाही सारांश	(ii) Minutes	..	1410
सदस्य द्वारा व्यक्तिगत स्पपष्टीकरण	Personal Explanation by Member	..	1411
खनिज उत्पाद (अतिरिक्त उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क) (संशोधन) विधेयक	Mineral Products (Additional Duties of Excise and Customs) (Amendment) Bill		1411
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider	..	1411—1412
श्री दी० चं० शर्मा	Shri D. C. Sharma	..	1412—1413
श्री श्रीचन्द गोयल	Shri Shri Chand Goel	..	1413
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	Shri Chintamani Panigrahi	..	1413
श्री जार्ज फरनेन्डीज	Shri George Fernandes	..	1413—1414
श्री कृष्ण चन्द्र पन्त	Shri K. C. Pant	..	1414—1415
खण्ड 2, 3 तथा 1	Clauses 2,3 and 1	..	1416
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass	..	1416
संविधान (इक्कीसवां संशोधन) विधेयक, 1967	Constitution (Twenty-first Amendment), Bill, 1967	..	1416
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider, as passed by Rajya Sabha	..	1416
श्री यशवन्तराव चह्वाण	Shri Y. B. Chavan	..	1416
श्री अटल बिहारी बाजपेई	Shri A. B. Vajpayee		1416
डा० गोविन्द दास	Dr. Govind Das		1417
श्री नारायण दांडेकर	Shri N. Dandeker	..	1417
श्री च० का० भट्टाचार्य	Shri C. K. Bhattacharyya	..	1417
श्री जी० विश्वनाथन	Shri G. Viswanathan	..	1417
श्री अनन्त राव विट्ठल राव पाटिल	Shri A. V. Patil	..	1417—1418
श्री जार्ज फरनेन्डीज	Shri George Fernandes	..	1418
श्री मुहम्मद यूनुस सलीम	Shri M. Y. Saleem	..	1418
श्री तुलसीदास मूलजी भाई सेठ	Shri T. M. Sheth	..	1419
श्री के० लकप्पा	Shri K. Lakkappa	..	1419
श्री कुशोक बकुला	Shri Kushok Bakula	..	1419

विषय	SUBJECT		पृष्ठ/PAGES
श्री यम० मेघचन्द्र	Shri M. Meghachandra	..	1420
खण्ड 2 तथा 1	Clauses 2 and 1	..	1420—1421
पारित करने करने का प्रस्ताव	Motion to Pass	..	1421
विधेयक पुरःस्थापित	Bills Introduced	..	1422
(1) संविधान (संशोधन) विधेयक, 1967 (अनुच्छेद 368 का संशोधन) श्री नाथ पाई का	(1) The Constitution (Amendment) Bill 1967 (Amendment of article 368) by Shri Nath Pai	..	1422
(2) संविधान (संशोधन) विधेयक, 1967 (अनुच्छेद 155 का संशोधन) श्री नाथ पाई का	(2) The Constitution (Amendment) Bill 1967 (Amendment of article 155) by Shri Nath Pai	..	1422
(3) संविधान (संशोधन) विधेयक, 1967 (आठवीं अनुसूची का संशोधन) डा० कर्णी सिंह का	(3) The Constitution (Amendment) Bill 1967 (Amendment of the Eighth Schedule) by H. H. Maharaja Dr. Karni Singh of Bikaner	..	1422
(4) वैयक्तिक स्वातंत्र्य (प्रत्यावर्तन) विधेयक, 1967 श्री यशपाल सिंह का	(4) The Personal liberties (Restoration) Bill, 1967 by Shri Yashpal Singh	..	1423
(5) सविधान (संशोधन) विधेयक, 1967 (अनुच्छेद 368 का संशोधन) श्री यशपाल सिंह का	(5) The Constitution (Amendment) Bill 1967 (Amendment of article 368) by Shri Yashpal Singh	..	1423
(6) संसद् (अनर्हता निवारण) संशोधन विधेयक 1967 श्री यशपाल सिंह का	(6) The Parliament (Prevention of Disqualification) Amendment Bill, 1967 (Amendment of Section 3) by Shri Yashpal Singh	..	1423
(7) भारतीय तारयन्त्र (संशोधन) विधेयक, 1967 (धारा 5 का संशोधन) श्री यशपाल सिंह का	(7) The Indian Telegraph (Amendment) Bill, 1967 (Amendment of section 5) by Shri Yashpal Singh	..	1424
(8) सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1967 (धारा 80 का हटाया जाना) श्री नाथ पाई का	(8) Code of Civil Procedure (Amendment) Bill, 1967 (Omission of section 80) by Shri Nath Pai	..	1424
(9) संविधान (संशोधन) विधेयक, 1967 (अनुच्छेद 105 और 194 का संशोधन) श्री नाथ पाई का	(9) The Constitution (Amendment) Bill, 1967 (Amendment of articles 105 and 194) by Shri Nath Pai	..	1424—1425

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
(10) संविधान (संशोधन) विधेयक, 1967 (नये अनुच्छेद 339 क का रखा जाना) श्री एस० एम० सिद्धय्या का	(10) The Constitution (Amendment) Bill, 1967 (Insertion of new article 339A) by Shri S. M. Siddayya ..	1425
संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 15 और 16 का संशोधन) श्री सेझियान का	Constitution (Amendment) Bill (Amendment of articles 15 and 16) by Shri Era Sezhiyan ..	1425
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider ..	1425—1435
श्री सेझियान	Shri Sezhiyan ..	1425—1427, 1428
श्री मनोहरन	Shri Manoharan ..	1428—1430
श्री द्वा० ना० तिवारी	Shri D. N. Tiwary ..	1430—1431
श्री वेदव्रत बरुआ	Shri Bedabrata Barua ..	1431
डा० एम० सन्तोषम	Dr. M. Santosham ..	1432
श्री वी० एन० जाधव	Shri V. N. Jadhav ..	1432
श्री कामेश्वर सिंह	Shri Kameshwar Singh ..	1433
श्री एस० कन्डप्पन	Shri S. Kandappan ..	1433
श्री च० का० भट्टाचार्य	Shri C. K. Bhattacharyya ..	1433—1434
श्री सरजू पाण्डेय	Shri Sarjoo Pandey ..	1434
श्री कामले	Shri Kamble ..	1434
श्री राम सेवक यादव	Shri Ram Sewak Yadav ..	1434—1435
श्री रामचन्द्र ढोंढिबा भण्डारे	Shri R. D. Bhandare ..	1435
श्री जगन्नाथ राव जोशी	Shri Jagannath Rao Joshi ..	1435
कोचीन शिपयार्ड के बारे में आधे घंटे की चर्चा	Half-an-hour Discussion Re. Cochin Shipyard ..	1435—1438
श्री सी० जनार्दनन	Shri C. Janardanan ..	1435—1436
श्री वासुदेवन नायर	Shri Vasudevan Nair ..	1436
श्री इ० के० नायनार	Shri E. K. Nayanar ..	1436
श्री दी० चं० शर्मा	Shri D. C. Sharma ..	1437
डा० वी० के० आर० वी० राव	Dr. V. K. R. V. Rao ..	1437—1438

लोक-सभा वाद-विवाद (संक्षिप्त अनूदित संस्करण)
LOK SABHA DEBATES (SUMMARISED TRANSLATED VERSION)

लोक-सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 7 अप्रैल, 1967/17 चैत्र, 1889 (शक)

Friday, April 7, 1967/Chaitra 17, 1889 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

टेलीविजन सेटों का निर्माण

\+
319. **श्री सूपकार :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब भारत में टेलीविजन सेटों का वाणिज्यिक आधार पर निर्माण हो रहा है और वे खुले बाजार में बेचे जा रहे हैं; और

(ख) आयातित टेलीविजन सेट के मूल्य की तुलना में भारत में बने सेट का मूल्य कितना कम या अधिक है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भानु प्रकाश सिंह) : (क) अभी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री सूपकार : देश में टेलीविजन सेटों के आयात पर प्रतिवर्ष कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होती है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : हम इन सेटों का आयात नहीं कर रहे हैं। हमारे पास हंगरी, यूगोस्लाविया, आयरलैंड तथा जापान से जनता में

बिक्री के लिये 5000 टेलीविजन सेट आये हैं। हम इन सेटों का निर्माण देश में करना चाहते हैं। इन पर खर्च की जाने वाली विदेशी मुद्रा की राशि बहुत कम है। परन्तु हम इन सेटों का निर्माण देश में करना चाहते हैं।

श्री सूपकार : पिलानी स्थित केन्द्रीय इलेक्ट्रानिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्था तथा नई दिल्ली की राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला ने व्यापारिक फर्मों को टेलीविजन सेटों के निर्माण की विधि बताई है। क्या कोई व्यापारी फर्म इस कार्य को आरम्भ नहीं कर सकती अथवा किसी फर्म ने इन सेटों का निर्माण-कार्य आरम्भ कर दिया है; और यदि हां, तो निर्माण-कार्य किस स्थिति में है ?

श्री भानु प्रकाश सिंह : दो कम्पनियां हैं : मैसर्स जे० आर० रॉयल लिमिटेड, कानपुर तथा टेलिराड (प्राइवेट) लिमिटेड, बम्बई। आशय-पत्र उन्हें दिये गये थे और उनके आवेदन पत्र इस समय विचाराधीन हैं ?

Shri S. C. Samanta : The Hon. Minister has stated that T.V. sets have been imported from various countries. May I know the difference in the prices of T.V. sets imported from various countries ?

Shri Bhanu Prakash Singh : The number of imported T. V. sets alongwith the names of the exporting countries is : Hungary 2,000, Yugoslavia 2,000, Ireland 400 and Japan 600.

Shri K. N. Tewari : The Hon. Minister has not told the difference in their prices. He only told the number of these sets.

Shri Sidheshwar Prasad : It has just now been said that we can manufacture T.V. sets in our country. But T.V. sets are being imported from other countries. I want to know the price of T.V. sets being imported from abroad and how this price will compare with an Indian set.

Shri Bhanu Prakash Singh : The sets being imported from abroad are priced at about Rs. 600/- each and the cost of one being manufactured in India is being worked out.

Shri Ram Charan : May I know whether these sets will be assembled or manufactured here ?

Shri Bhanu Prakash Singh : These will be manufactured here but some spare parts would be imported if they could not be manufactured here.

Shri Ram Charan : What will be their percentage ?

श्री लीलाधर कटकी : विदेशी मुद्रा की कमी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने देश में उपलब्ध तकनीकी जानकारी से टेलीविजन सेटों का वाणिज्यिक आधार पर निर्माण करने के लिये कार्यवाही क्यों नहीं की और ऐसा करने के बदले वह विदेशों से टेलीविजन सेटों के कुछ पुर्जों और विशेषज्ञों का आयात क्यों कर रही है ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : मेरे सहयोगी इस बात को पहले ही बता चुके हैं कि दो फर्मों को दस-दस हजार टेलीविजन सेटों के लिये आशय-पत्र दिये जा चुके हैं। हमने यह भी

निश्चय किया है कि लघु उद्योग सार्थ-संघ को अन्य 10,000 सेटों के निर्माण के लिये सुविधाएं दी जानी चाहिये। इसलिये लगभग एक वर्ष की अवधि में हमारे देश में 30,000 टेलीविजन सेट बन जायेंगे।

श्री जुल्फिकार अली खां : क्या अरब गणराज्य से कोई टेलीविजन सेट मंगाये गये थे और हमारे देश की जलवायु के कारण उन्होंने काम नहीं किया। मैं जानना चाहता हूं कि वहां से कितने सेट मंगाये गये और उनका उस हालत में क्या हुआ जब कि उन्होंने काम नहीं किया ?

श्री भानु प्रकाश सिंह : मेरी जानकारी के अनुसार अरब गणराज्य से कोई टेलीविजन सेट नहीं मंगाये गये थे।

श्री दी०चं० शर्मा : हमने सबसे पहले टेलीविजन केन्द्र, दिल्ली में स्थापित किया और हम बम्बई तथा अन्य शहरों में भी ऐसे केन्द्र खोलना चाहते हैं और तब हम टेलीविजन सेटों के बनाने की बात सोचते हैं। टेलीविजन केन्द्रों को खोलने तथा इन सेटों के निर्माण का कार्य साथ-साथ क्यों आरम्भ नहीं किया गया ताकि इन दोनों योजनाओं की क्रियान्विति साथ-साथ होती रहे ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : टेलीविजन प्रसारण की सुविधाओं की व्यवस्था इस समय केवल दिल्ली में है और हमारा अभिप्राय बम्बई, मद्रास, कलकत्ता और कानपुर में भी टेलीविजन केन्द्रों की व्यवस्था करने का है। आशा है कि इन केन्द्रों के स्थापित होने तक हम उपभोक्ताओं को बेचने के लिये टेलीविजन सेट भी बना लेंगे।

Shri S. M. Joshi: May I know how far it is justified to import these T.V. sets from other countries when the country is already passing through a criris of foreign exchange ?

Shri F. A. Ahmed: The T.V. sets to be manufactured in our country require a small percentage of such components which need foreign exchange. Efforts are being made to manufacture as many components as possible within the country. At present we require two imported parts for each T.V. set involving foreign exchange amounting to Rs. 27 and Rs. 12 respectively.

Shri Bibhuti Mishra: We can carry on without T.V. sets for another ten years but we cannot do so without foodgrains. I want to know whether the Government propose to divert these funds to provide tubewells, electricity etc. in the country during the next ten years.

Shri F. A. Ahmed: I entirely agree with the Hon. Member. Nobody will disagree to the proposal to give utmost priority to agriculture. At the same time, it is also necessary to take up such other big or small schemes as can be implemented simultaneously.

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : माननीय मंत्री जी ने टेलीविजन की सुविधाओं को बढ़ाने के सम्बन्ध में कुछ केन्द्रों का उल्लेख किया था किन्तु हैदराबाद का नाम नहीं लिया था। क्या यह नाम जान-बूझकर नहीं लिया गया था ?

श्री भानु प्रकाश सिंह : हम इस समय बम्बई, कलकत्ता, मद्रास तथा कानपुर में टेलीविजन केन्द्र खोलने का विचार कर रहे हैं। माननीय सदस्य का यह सुझाव कि हैदराबाद में भी एक

टेलीविजन केन्द्र स्थापित किया जाये, सूचना और प्रसारण मंत्रालय को भेज दिया जायेगा, ताकि उसे भी ध्यान में रखा जाये।

पूर्वोत्तर रेलवे में यात्रियों के लिए सुविधाएं

+

*320. **श्री विभूति मिश्र :**

श्री क० ना० तिवारी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे पर यात्रियों के लिये की गई सुविधायें अन्य रेलों की तुलना में बहुत कम हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस भेद-भाव के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

Shri Bibhuti Mishra : Previously the North-eastern Railway was called B. N. W. Rly. and during the British regime, there was a difference in fares of the two. Now these fares have been brought at par. But there is a vast difference between the amenities provided in this Railway and the others. I want to know whether the Government propose to remove this discrimination.

श्री चे० मु० पुनाचा : हमें मूल सुविधाओं की व्यवस्था तो सभी स्टेशनों पर करनी पड़ती है और उसके बाद विशेष सुविधाओं की व्यवस्था भी करनी पड़ती है, जहां तक मूल सुविधाओं का सम्बन्ध है, पूर्वोत्तर रेलवे में लगभग सभी स्टेशनों में मूल सुविधाओं की व्यवस्था पूरी तरह है। जहां तक विशेष सुविधाओं का प्रश्न है, हम इस क्षेत्र में उत्तरोत्तर काफी अधिक राशि खर्च करते जा रहे हैं ताकि इस क्षेत्र में भी अन्य क्षेत्रों की भांति यथासंभव समान सुविधाएं उपलब्ध की जा सकें।

Shri Bibhuti Mishra : I want to know the reasons for not spending equal amount of money on this Railway when the fares are equal.

श्री चे० मु० पुनाचा : वास्तव में कुछ ज्यादा ही खर्च किया जा रहा है; कम का तो कोई सवाल ही नहीं।

Shri Bibhuti Mishra : Light-Facilities are provided in I, II and III class compartments on the broad guage lines. Water is also provided in their lavatories and there is cleanliness also. But the North-eastern Railway is deprived of all these basic amenities and facilities. Even the Ist class compartments are not well maintained and their window panes remain in damaged condition, yet there is nobody to bother for anything. I want to know the steps being taken by the Government to remove inconvenience to passengers and to improve the amenities.

श्री चे० मु० पुनाचा : हर रेलवे के लिये यात्रियों की युविधाओं सम्बन्धी समितियां बनी हुई हैं और हम आमतौर पर उनकी सिफारिशों पर चलते हैं। ये समितियां निरन्तर इसी प्रश्न

पर विचार करती रहती हैं कि यात्रियों को होने वाली असुविधाओं को ज्यादा से ज्यादा हद तक कैसे दूर किया जा सकता है और उनको और अधिक सुविधाएं किस प्रकार दी जा सकती हैं। ये स्थाई समितियां हैं जो कि निरन्तर सलाह देती रहती हैं और उनकी सलाह के आधार पर हम धन खर्च कर रहे हैं और तीन पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान हमने यात्रियों की सुविधाओं पर 42 करोड़ रुपये व्यय किये हैं तथा केवल इसी क्षेत्र में लगभग 5 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं—जो कि कुल खर्च का 11 प्रतिशत भाग है। वर्ष 1966-67 तथा 1967-68 के दौरान हमने........

श्री नायनार : हमें राशि के बारे में नहीं अपितु उन विशिष्ट सुविधाओं के बारे में बताइये जिनकी व्यवस्था की गई है।

अध्यक्ष महोदय : उस प्रश्न का उत्तर देने दीजिये।

श्री चे० मु० पुनाचा : मेरे पास एक बड़ी सूची है जिसे मैं सभा की जानकारी के लिये सभा-पटल पर रखूंगा, मैं नहीं समझता कि इसे पढ़ने के लिये मेरे पास काफी समय है।

Shri K. N. Tewari :May I know whether the Hon. Minister is aware that the North-eastern Railway passes through an area particularly inhabitated by the poor and mostly the poor people travel therein. I want to know whether the Government is paying attention to the catering side and taking steps to make available the cheap foodstuffs to the poor passengers.

श्री चे० मु० पुनाचा : भोजन व्यवस्था तथा सुविधाओं दोनों की ओर ही ध्यान दिया जा रहा है।

Shri Shiv Chandra Jha : May I know whether his attention has been drawn to the condition of the ill-managed Madhusudan Station on this Railway where even drinking water is not available and sanitary arrangements are far from satisfactory ?

श्री चे० मु० पुनाचा : इस रेलवे में 618 स्टेशन हैं। सदस्य महोदय के इस विशेष प्रश्न के बारे में मैं जानकारी एकत्रित करने की कोशिश करूंगा।

श्री एम० वाई० सलीम : इस बात को देखते हुए कि सभी रेलवे में दूसरी श्रेणी में सोने की जगह नहीं मिलती है क्या सरकार सभी रेलवे में दूसरे दर्जे के यात्रियों के लिये शयन स्थान की व्यवस्था करने का विचार कर रही है ?

श्री चे० मु० पुनाचा : माननीय सदस्य को यह तो मालूम ही होगा कि दूसरे दर्जे के यात्रियों को शयन स्थान नहीं मिलता। यथासंभव शयन बर्थ उपलब्ध होते हैं, किन्तु उनकी उपलब्धता इस बात पर निर्भर रहती है कि किसी खास दिन, किसी विशेष रेलगाड़ी में दूसरे दर्जे के टिकटों से कितने यात्री यात्रा कर रहे हैं।

Shri Ram Autar Shastri : It is a fact that first class compartments are not attached to the trains running between Samastipur and Khagriya Railway Stations and thereby causing much inconvenience to passengers and if so, the reasons therefor ?

श्री चे० मु० पुनाचा : इस प्रश्न का सम्बन्ध एक अन्य रेलवे स्टेशन समस्तीपुर से है। यदि इस सम्बन्ध में एक अलग प्रश्न रखा जाये, तो जानकारी एकत्रित करने की कोशिश करूंगा।

Shri Chandrika Prasad : Whether there is any proposal to extend the train to North Lakhi Sarai, which goes from Allahabad to Katihar Yogabani ?

श्री चे० मु० पुनाचा : यह सुझाव है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या यह सच नहीं है कि पूर्वोत्तर रेलवे में कई रेलवे स्टेशनों में प्रतीक्षालय नहीं हैं और यदि हां, तो क्या मंत्री जी प्रतीक्षालय के निर्माण को मूल सुविधा के रूप में मानते हैं या नहीं ?

श्री चे० मु० पुनाचा : प्रतीक्षालय विशेष सुविधाओं के अन्तर्गत आते हैं। मेरे पास इन सुविधाओं की एक सूची है, यदि माननीय सदस्य किसी स्टेशन विशेष के बारे में कोई जानकारी चाहें, तो मैं इसे दे सकता हूँ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं इस रेलवे से सम्बद्ध रेलवे उपयोगकर्त्ता सलाहकार समिति का सदस्य हूँ। मैं जानता हूँ कि कई स्टेशनों में गर्मी के दिनों में यात्रियों के बैठने या प्रतीक्षा करने के लिये कोई जगह नहीं है।

श्री चे० मु० पुनाचा : यदि वह मुझे किन्हीं विशेष स्टेशनों के बारे में बताएं तो मैं निश्चित रूप से उन बातों की जांच कराऊँगा और यथासंभव उचित व्यवस्था कराऊंगा।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने स्वयं यह कहा है कि यह मूल सुविधा नहीं है।

श्री चे० मु० पुनाचा : यह मूल सुविधाओं के अन्तर्गत नहीं, अपितु विशेष सुविधाओं के अन्तर्गत आता है जो कि हर स्टेशन पर यात्रियों की संख्या को ध्यान में रखकर उपलब्ध की जाती हैं।

श्री कन्डप्पन : इन रेलवे सुविधाओं का—मूल या विशेष—सारा झगड़ा तो यह है कि कागजों पर दी गई सुविधाएं प्लेटफार्म पर उपलब्ध नहीं होती हैं, इन सुविधाओं को वस्तुतः उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में सरकार का विचार क्या प्रभावी कार्यवाही करने का है ?

श्री चे० मु० पुनाचा : सभी स्टेशनों पर सुविधाओं की व्यवस्था करने का हमारा एक कार्यक्रम है। समूची रेलवे व्यवस्था में लगभग 7000 तथा उससे अधिक स्टेशन हैं। लगभग 5600 स्टेशनों में हमने उत्तरोत्तर कार्यक्रम के आधार पर सुविधाओं की व्यवस्था कर दी है। ऐसा किया जा रहा है आगे भी किये जाने की संभावना है। मैं नहीं समझा कि वह क्या प्रश्न विशेष पूछ रहे हैं।

श्री कन्डप्पन : मैं उदाहरण दे सकता हूँ, पानी के नल तथा पंखे नहीं चल रहे हैं,

शौचालयों आदि को साफ नहीं रखा जाता है । ऐसी छोटी-छोटी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता है । इन चीजों में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

अध्यक्ष महोदय : यह काम तो रेलवे कर्मचारियों का है । उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा सकती है ?

श्री चे० मु० पुनाचा : यह प्रश्न चलती गाड़ियों में सफाई की देख-रेख तथा रख-रखाव से सम्बन्धित है । हमने इस सम्बन्ध में पर्याप्त व्यवस्था की हुई है और अधिकारियों के एक वर्ग द्वारा इस बात की निरन्तर देख-रेख की जाती है । इस मामले में हम यात्रियों से भी सहयोग चाहते हैं ।

श्री बी० आर० कवाडे : क्या यह सच है कि यात्री गाड़ियां देर से चलती हैं क्योंकि माल-गाड़ियों को प्राथमिकता दी जाती है, यदि हां, तो यात्री गाड़ियों को ठीक समय पर चलाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री चे० मु० पुनाचा : आमतौर पर प्रत्येक यात्री गाड़ी को मालगाड़ियों की अपेक्षा प्राथमिकता दी जाती है लेकिन संचालन सम्बन्धी कारणों तथा अन्य कठिनाइयों के कारण कुछ सेक्सनों में हो सकता है, कुछ यात्री गाड़ियों को रुकना पड़ा होगा ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : किसी स्टेशन विशेष से प्राप्त होने वाले वार्षिक राजस्व का कितना प्रतिशत भाग उस स्टेशन पर यात्रियों की सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए खर्च करने हेतु नियत किया जाता है ।

श्री चे० मु० पुनाचा : किसी स्टेशन विशेष पर यात्रियों के लिये सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु प्रतिशतता के आधार पर नहीं अपितु आवश्यकता के अनुसार आवंटन किया जाता है ।

श्री दत्तात्रेय कुंटे : विशेष सुविधाओं की आवश्यकता का माप करने का तरीका क्या है ?

श्री चे० मु० पुनाचा : जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, इस प्रयोजन के लिये एक समिति बनी हुई है । यह समिति इस सम्बन्ध में सिफारिशें करती है जिनके आधार पर कार्यक्रम तैयार किये जाते हैं और उनकी क्रियान्विति की जाती है ।

श्री म० रं० कृष्ण : क्या पानी भी 'विशेष सुविधाओं' के अन्तर्गत आता है, क्या रेलवे बोर्ड ने कोई ऐसी समय सीमा निर्धारित की है जिसके अन्दर सभी रेलगाड़ियों में तीसरे दर्जे के डिब्बों में पीने के पानी की व्यवस्था कर दी जायेगी ?

श्री चे० मु० पुनाचा : हर एक स्टेशन पर पेय-जल की व्यवस्था की गई है ।

श्री एस० कुन्डू : क्या मंत्री जी को पता है कि यात्रा करने वाले विद्यार्थियों को बड़े स्टेशनों पर दूसरी गाड़ी पकड़ने के लिये घण्टों तक इन्तजार करने की परेशानी उठानी पड़ती है ?

इन विद्यार्थियों तथा तीसरे दर्जे के यात्रियों को शौचालय, स्नानागार तथा सस्ते कैन्टीनों के न होने के कारण बहुत कठिनाई उठानी पड़ती है। क्या माननीय मंत्री जी विद्यार्थियों तथा इस देश के नवयुवकों के लिये बड़े-बड़े स्टेशनों में एक वर्ष के भीतर शौचालयों-स्नानागारों की अधिक सुविधाएं देने तथा राज-सहायता प्राप्त कैन्टीनों की व्यवस्था करने के सुझाव पर विचार करेंगे ?

श्री चे० मु० पुनाचा : हम इस सुझाव को ध्यान में रखेंगे और उपलब्ध संसाधनों पर विचार करते हुए हम भरसक कोशिश करेंगे।

Shri Guna Nand Thakur : May I know whether Government is aware that there are not first class waiting rooms at many stations between Sansi and Saharsa Railway Stations; instead of a nine bogie train, only a six bogie-train is introduced there and with no Second Class compartments attached to it—thereby causing much inconvenience to the public; crossing should take place at Kopariya, but it is not so; and if so, the steps being taken by the Government in this regard ?

श्री चे० मु० पुनाचा : मैं इस मामले की जांच करूंगा।

भारत, संयुक्त अरब गणराज्य और यूगोस्लाविया के बीच व्यापार करार

+

*322. **श्री दी० चं० शर्मा** :

श्री च० चु० देसाई :

श्री रा० बरुआ :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1966 में भारत, संयुक्त अरब गणराज्य और यूगोस्लाविया के प्रतिनिधियों के बीच दिल्ली में हुई बातचीत के फलस्वरूप कोई व्यापारिक करार किया गया है, और

(ख) यदि हां, तो उस करार की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख). दिसम्बर, 1966 में भारत, संयुक्त अरब गणराज्य और यूगोस्लाविया के प्रतिनिधियों के बीच दिल्ली में हुई बातचीत के फलस्वरूप कोई व्यापारिक करार नहीं किया गया था। तीनों देशों के मंत्री-सम्मेलन में जो निर्णय किये गये वे सम्मेलन की समाप्ति पर जारी की गई संयुक्त विज्ञप्ति में दिये गये हैं। संयुक्त विज्ञप्ति की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाती है। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०**-308/67]

श्री दी० चं० शर्मा : पिछले वर्ष यूगोस्लाविया तथा संयुक्त अरब गणराज्य के साथ हमारा निर्यात व्यापार किस प्रकार बढ़ाया गया है तथा हमारे निर्यात व्यापार की तुलना में इन देशों के साथ कितना निर्यात व्यापार होता है ?

श्री दिनेश सिंह : मेरे पास विशिष्ट आंकड़े नहीं हैं क्या मुख्य प्रश्न सम्मेलन से सम्बन्धित है। यदि माननीय सदस्य चाहते हैं, तो मैं जानकारी प्राप्त करके उन्हें दे सकता हूं।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या यूगोस्लाविया तथा संयुक्त अरबगणराज्य के साथ हमारा निर्यात व्यापार बढ़ा है और आयात घटा है ?

श्री दिनेश सिंह : मैं बता चुका हूं कि मेरे पास आंकड़े नहीं हैं। संयुक्त बैठक में यह पाया गया कि इन देशों के बीच व्यापार बढ़ाया जा सकता है और इसके लिए कुछ कार्यकारी दल नियुक्त किये गये थे। उन्होंने इस सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक विचार किया है और हम अब इन सिफारिशों पर विचार कर रहे हैं। एक दल की बैठक हो चुकी है तथा अन्य दलों की बैठकें निकट भविष्य में होंगी।

श्री रा० बरुआ : इस सम्मेलन के निष्कर्षों को क्रियान्वित करने के लिए कुछ तदर्थ समितियां नियुक्त की गई थीं। ये तदर्थ समितियां किस प्रकार नियुक्त की गईं और क्या सिफारिशों की क्रियान्विति में समन्वय स्थापित करने के लिए कोई समन्वय समिति भी स्थापित की गई है ?

श्री दिनेश सिंह : तीन समितियां नियुक्त की गई थीं और उनमें से प्रत्येक में तीनों सरकारों का एक-एक सरकारी प्रतिनिधि था। इसी प्रकार समन्वय समिति भी बनाई गई थी।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : श्रीमन्, मैंने कुछ जानकारी मांगी है न कि प्रश्न पूछा। मंत्री महोदय ने कहा है कि सभा-पटल पर पत्र रखा जाता है। मुझे उस पत्र की प्रति नहीं मिली। कार्यालय से पूछने पर मुझे बताया गया कि पत्र की प्रति 12.30 बजे मिलेगी। इन पत्रों के पहले न मिलने पर नये सदस्य अनुपूरक प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता कि अन्य सदस्यों को इसकी प्रतियां मिलीं अथवा नहीं मिलीं, मैं समझता हूं कि समान्यतया कार्यालय पत्रों की प्रतियां भेज देता है।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : मैं कार्यालय में गया था और मैंने कार्यालय के अधिकारियों से कहा कि मैं पत्र देख कर अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं। कार्यालय ने मुझे बताया कि सभा-पटल पर रखे जाने वाले पत्रों की प्रतियां 12.30 बजे के बाद ही मिलती हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस सम्बन्ध में पूछताछ करूंगा।

डा० रानेन सेन : कुछ समय पूर्व भारत के समाचार-पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ था कि भारत यूगोस्लाविया में मालडिब्बे बनाने का एक कारखाना स्थापित करने वाला है ताकि भारत उस देश में मालडिब्बे बनाकर सस्ते मूल्य पर यूरोप के अन्य देशों को मालडिब्बों का निर्यात कर सके। क्या समाचार-पत्रों में प्रकाशित यह समाचार सच था ? यदि हां, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भारत में बहुत अधिक बेरोजगारी व्याप्त है और लोग भारत में अधिक उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, भारत सरकार इतने बड़े कारखाने को भारत से बाहर क्यों स्थापित करना चाहती है ?

श्री दिनेश सिंह : एक उपसमिति ने औद्योगिक उपक्रमों में संयुक्त सहयोग के प्रश्न पर विचार किया है और हम उसके प्रतिवेदन पर विचार कर रहे हैं। हमारा विचार है कि सभी

देशों के अपने-अपने उद्योग हों। ऐसी बात नहीं है कि ये कारखाने किसी एक देश को हानि पहुंचाकर स्थापित किये जायें। सम्बन्धित देश स्वयं अपने-अपने कारखाने खोलेंगे। यह निर्णय किया गया था कि विकासोन्मुख देशों के बीच सहयोग की संभावनाओं पर विचार किया जाये और और इस संभावना का और आगे पता लगाया जाये। इन तीन देशों ने समझा कि हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि नये उद्योग स्थापित करने के लिए एक दूसरे की सहायता करने में हम कैसे सहयोग कर सकते हैं।

श्री एस० आर० दामानी : इससे हमारी किन-किन वस्तुओं का निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ेगा ? क्या इसमें कपड़ा भी शामिल है ?

श्री दिनेश सिंह : इस समय यह नहीं कहा जा सकता है कि कितने प्रतिशत बढ़ेगा। इसकी जांच करनी पड़ेगी।

श्री कन्डप्पन : विज्ञप्ति में कहा गया है कि ये देश अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक नीति के कार्य-क्षेत्र के अन्तर्गत अधिमानित प्रशुल्क स्थापित करने के लिये सहमत हो गये हैं। इस विज्ञप्ति के जारी किये हुए चार महीने हो गये हैं। क्या मंत्री महोदय हमें यह बताने की स्थिति में हैं कि क्या इन देशों के अधिकारियों की बातचीत के दौरान इस विषय-विशेष के बारे में कोई प्रगति हुई है ?

श्री दिनेश सिंह : इस सम्बन्ध में उप-समिति विचार करेगी। मैं समझता हूं कि इसकी बैठक इस महीने के उत्तरार्द्ध में होगी।

Shri Sarjoo Pandey : May I know whether any industry proposed to be established in India with the collaboration between these countries according to the agreement ?

Shri Dinesh Singh : We are considering the possibility of establishing new industries with the collaboration between these countries.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 333 और 336 को भी प्रश्न संख्या 323 के साथ ही लिया जा सकता है।

रुई की स्थिति

+

*323. **श्री स० मो० बनर्जी :**	**श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्रीमती सुशीला रोहतगी :	**श्री के० एम० अब्राहम :**
श्री उमानाथ :	**श्री विश्वनाथ मेनन :**
श्री सी० के० चक्रपाणि :	**श्री के० अनिरुधन :**
श्री पट्टियम गोपालन :	**श्रीमती सुशीला गोपालन :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में रुई की स्थिति में सुधार हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो 1965 की तुलना में यह स्थिति कैसी है ; और

(ग) क्या सब कपड़ा मिलों को अब शनिवार को मिलें बन्द न करने के अनुदेश जारी कर दिये गये हैं ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, नहीं। क्योंकि अतिरिक्त कताई क्षमता के स्थापित हो जाने के कारण मांग और पूर्ति के मध्य अन्तर बढ़ गया है।

(ख) सामान्यतः यह प्रत्याशा है कि इस वर्ष फसल 1965-66 की फसल की अपेक्षा अच्छी नहीं होगी।

(ग) इसका उत्तर 'नहीं' में है।

वर्ष 1967-68 में रुई की आवश्यकता

*333. **श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1967-68 के दौरान रुई मिलों की आवश्यकता पूर्ति के लिये पर्याप्त मात्रा में रुई उपलब्ध नहीं होगी ;

(ख) यदि हां, तो अनुमानतः कितनी रुई की कमी होगी ; और

(ग) इस कमी को पूरा करने के लिये सरकार का क्या प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख). माननीय सदस्य का अभिप्राय सम्भवतः चालू रुई मौसम (सितम्बर, 1966—अगस्त, 1967) से है। इस मौसम में रुई के उपलब्ध सम्भरण में लगभग 11 लाख गांठों की कमी का अनुमान है।

(ग) इस कमी को, मशीनों को कम चलाकर मिलों में रुई की खपत में कमी करके और विदेशी रुई की अतिरिक्त मात्रा का जितना सम्भव हो सके आयात करके, दूर करने का विचार है।

कपड़ा आयुक्त द्वारा रुई के स्टाक का अधिग्रहण

*336. **श्री इन्दुलाल याज्ञिक :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपड़ा आयुक्त द्वारा अधिग्रहीत रुई का स्टाक आगामी महीनों में कपड़ा मिलों को चलाने के लिये कतई अपर्याप्त होगा ;

(ख) क्या रुई स्टाक के वर्तमान मालिक सरकार द्वारा इस समय निर्धारित अधिकतम मूल्य पर मिलों को रुई बेचने के लिये तैयार नहीं हैं ; और

(ग) क्या सरकार किसानों की कुछ सहायता करने और बहुत सी मिलों को बन्द होने से बचाने की दृष्टि से रुई के मूल्यों को बढ़ाने का विचार कर रही है क्योंकि पिछली बार वर्षा नहीं हुई है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) यह मंशा नहीं थी कि आगामी महीनों में सभी कपड़ा मिलों को सम्भरण के लिए वस्त्र आयुक्त कपास की पूरी फसल का अधिग्रहण करें। फिर भी, ऐसे मिलों के अनुरोध पर, जिन्हें उचित अधिकतम मूल्यों पर कपास प्राप्त करने में गम्भीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, वस्त्र आयुक्त ने कपास के कुछ स्टाक का अधिग्रहण किया। वह अब भी ऐसा कर रहे हैं।

(ख) सरकारी जानकारी के अनुसार, दिसम्बर के मास में और जनवरी के कुछ दिनों में सरकार द्वारा नियत अधिकतम मूल्यों के आस-पास ही मिलों को अधिकांशतः बाजार से कपास उपलब्ध थी और कहा जाता है कि जनवरी के दूसरे पक्ष से ही मूल्य बढ़ने आरम्भ हुए और बंगाल देशी कपास को छोड़कर बाकी किस्मों के मूल्य इन अधिकतम मूल्यों से अधिक ही बने रहे।

(ग) कपास के मूल्य को और बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या सरकार को पता है कि रुई की कृत्रिम कमी का मुख्य कारण यह है कि बिड़ला, रइया आदि बड़े व्यापार गृहों ने रुई एकत्रित कर ली है और इस प्रकार सारी रुई इन लोगों के पास चली गई है ? रुई की कमी के कारण छोटी मिलों की कठिनाई को देखते हुए सरकार का विचार रुई के इन स्टाकों को अधिग्रहीत करने अथवा रुई के गोदामों में छापे मारने के लिए क्या कार्यवाही करने का है ?

श्री दिनेश सिंह : मेरी इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य तथा अन्य सदस्यों से बातचीत हुई है। बातचीत के दौरान बताया गया था कि कुछ बड़ी मिलों ने रुई अपने पास एकत्रित कर ली है, मैंने उनसे प्रार्थना की कि वह विशिष्ट जानकारी दें जिससे हम रुई को अधिग्रहीत करने का प्रयत्न करेंगे और यह भी देखेंगे कि वर्तमान नियम के अनुसार कोई मिल अपनी दो महीने की आवश्यकता से अधिक रुई अपने पास न रखे।

श्री स० मो० बनर्जी : मिल मालिकों द्वारा अचानक पन्द्रह दिन तक मिलें बन्द रखने की धमकी देने पर यह निर्णय किया गया था कि सप्ताह में एक दिन अर्थात शनिवार को मिलें बन्द रहेंगी। क्या सरकार को पता है कि देश के सभी मजदूर संघों, 'इण्टक', 'एटक', हिन्द मजदूर सभा, हिन्द मजदूर पंचायत तथा अन्य लोगों ने और किसी अनिवार्य छुट्टी का विरोध किया है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा क्या सरकार लाखों मजदूरों की दयनीय स्थिति के बावजूद इसे आगे जारी रखना चाहती है या समाप्त करना चाहती है ?

श्री दिनेश सिंह : मुझे अनिवार्य छुट्टी के कारण मजदूरों को होने वाली कठिनाई का अच्छी तरह पता है। वास्तव में हमारे पास रुई की कमी है इसलिये यह कठिनाई हो रही है। यह कठिनाई देश के सभी लोगों को सहनी पड़ेगी। मैंने इस सम्बन्ध में सभा में विधेयक पुरः स्थापित किया है। इस पर चर्चा के दौरान में इस प्रकार के सुझाव रखूंगा जिनसे मजदूरों को यथासम्भव सुविधाएं मिल सकें। माननीय सदस्य विधेयक पर चर्चा के दौरान मेरे सुझावों पर विचार कर सकते हैं।

श्री उमानाथ : मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि आगामी फसल पूर्वानुमान से बहुत कम होने की सम्भावना है। सट्टेबाजी ने स्थिति को और अधिक गम्भीर बना दिया है। यह काफी समय से चल रही है। क्या सरकार का विचार उसी तरह रुई के वायदा व्यापार को बन्द करने का है जिस प्रकार आपातकाल के आरम्भ के 8 महीनों में किया गया था और बाद में उसमें ढील कर दी गई थी ? यदि सरकार का वायदा व्यापार को बन्द करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री दिनेश सिंह : हम इस सम्बन्ध में विचार कर रहे हैं। मैं माननीय सदस्य तथा इस सभा को आश्वासन दिलाता हूं कि रुई की कमी पैदा करने वाली सभी बातों पर अच्छी तरह विचार किया जायेगा। जहां तक मैं समझता हूं कि वायदा खरीद और बिक्री पर पहले से ही प्रतिबन्ध हैं। पहले खरीदने के लिये अवधि निश्चित है। निस्सन्देह हम इस पर विचार करेंगे।

श्री सी० के० चक्रपाणि : क्या यह सच है कि 1965 और 1966 में देश में रुई की कमी होने पर भी रुई का निर्यात किया गया था और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री दिनेश सिंह : हमने कुछ रुई का निर्यात किया है और कुछ रुई का आयात भी किया है। रुई की अनेक किस्में हैं। कुछ किस्म की रुई का आसानी से निर्यात किया जा सकता है और उसके स्थान पर हम अपने उपयुक्त रुई का आयात करते हैं।

श्री पट्टियम गोपालन : क्या सरकार का ध्यान कई कपड़ा मिलों में जमा आवश्यकता से अधिक रुई के स्टाकों की ओर दिलाया गया है और यदि हां, तो इस रुई को लेकर उसके उचित वितरण के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री दिनेश सिंह : मिलों में आवश्यकता से अधिक रुई रखना गैर-कानूनी है। यदि इस सम्बन्ध में मुझे कुछ जानकारी दें तो अधिक रुई अधिग्रहीत की जायेगी और सम्बन्धित व्यक्तियों को दण्ड दिया जायेगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : रुई के स्टाक की स्थिति क्या है और यह पहले तीन वर्षों की तुलना में कैसी है ? क्या विदेशों से रुई का आयात करने का हमारा कोई प्रस्ताव है ?

श्री दिनेश सिंह : मैं माननीय सदस्य को इस वर्ष के रुई के प्राक्कलन की एक प्रति भेज दूंगा। हम रुई की 3 लाख गांठों का आयात कर चुके हैं और जून से पहले 5 लाख रुई की गांठों का निर्यात करने का हमारा विचार है।

श्री के० एम० अब्राहम : चूंकि रुई के वायदा व्यापार से सट्टेबाज रुई के काफी स्टाक जमा कर लेते हैं अतः क्या सरकार वायदा व्यापार को बन्द करने के लिये कार्यवाही करेगी ?

श्री दिनेश सिंह : मैं इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं।

श्री वी० वी० मेनन : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मजदूरों को बिना किसी

अपनी गलती के एक सप्ताह में आधे दिन की मजूरी छोड़नी पड़ती है, क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि मजदूरों को अनिवार्य छुट्टी की पूरी मजूरी दी जाये ?

श्री दिनेश सिंह : माननीय सदस्य को विधेयक पर चर्चा के समय इन बातों को उठाने का अवसर दिया जायेगा ।

श्रीमती सुशीला गोपालन : भारत में रुई का संकट प्रायः स्थायी समस्या बन रहा है और बार-बार चेतावनी दिये जाने पर भी सरकार रुई की सप्लाई को व्यवस्थित नहीं कर सकी । क्या सभी कपड़ा मिलों को पर्याप्त मात्रा में रुई देने के लिये रुई का पूरी तरह राज्य व्यापार करेगी ?

श्री दिनेश सिंह : रुई के प्रश्न के बारे में मुख्य कठिनाई रुई की कमी है । यह कमी सूखे आदि के कारण है । जहां तक वितरण का सम्बन्ध है, सरकार रुई के अधिग्रहण तथा रुई की सप्लाई की सीमा निर्धारित करने आदि उपायों का विचार कर रही है ।

श्री एस० एस० कोठारी : क्या हम मिलों द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा को उन्हें दी गई विदेशी मुद्रा के साथ जोड़ सकते हैं, ताकि वे स्वयं अपने लिये विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकें ? क्या हम इस प्रकार की प्रोत्साहन योजना का विचार कर सकते हैं ?

श्री दिनेश सिंह : पहले ऐसी एक योजना थी । मैं समझता हूं कि यह अधिक लाभदायक नहीं है । यदि उद्योग माल का निर्यात करके विदेशी मुद्रा अर्जित करें तो मैं इस पर विचार करने के लिए तैयार हूं ।

श्री नारायण दांडेकर : क्या यह सच नहीं है कि कपड़ा उद्योग, मजदूर, कपड़ा व्यापारी तथा रुई उत्पादक सभी सरकार द्वारा किये गये नियंत्रित मूल्यों द्वारा, जिनका परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं है सरकार के कुचक्र में फंस गये हैं ? कपड़े के नियंत्रित मूल्यों और रुई के नियंत्रित मूल्यों में कोई तालमेल नहीं है जिससे भ्रम हो जाता है । अतः सरकार कपड़ा, रुई तथा अन्य सम्बन्धित वस्तुओं के सम्बन्ध में नियंत्रण के बारे में पुनर्विचार कब करेगी ?

श्री दिनेश सिंह : मैं माननीय सदस्य के विचार से सहमत नहीं हूं । जन-साधारण के उपयोग के कपड़े के मूल्य निर्धारित करना आवश्यक था क्योंकि मूल्य बहुत अधिक बढ़ रहे थे । अनियंत्रित कपड़े के मूल्य बहुत अधिक हैं । हमें रुई के मूल्य नियंत्रित करने के साथ-साथ कपड़े के मूल्य भी नियंत्रित करने पड़ते हैं । इन नियंत्रित मूल्यों का अच्छा परिणाम रहा है ।

श्री क० ना० पाण्डेय : क्या यह सच है कि अधिग्रहीत रुई अच्छी किस्म की नहीं है इसलिए मिल मालिक अधिग्रहीत रुई को खरीदने में अनिच्छा दिखाते हैं ?

श्री दिनेश सिंह : जो कुछ उपलब्ध हो उसे हम अधिग्रहीत करते हैं । हम अधिग्रहण करते समय अच्छी या बुरी का ध्यान नहीं रखते हैं ।

Shri Hukam Chand Kachwai : Textile Industry, labourers and traders are facing a crisis for we have very low yield of cotton during this season. May I know whether Government will inquire into a case where a trader sets fire on his cotton stock valued at Rs. 3 lakhs and files a claim for Rs. 24 lakhs for the loss he has thus suffered, and if so whether a statement showing the result of such inquiries will be placed on the Table of the House ?

Shri Dinesh Singh : It goes without saying that every Government will look into the matter.

Shri Hukam Chand Kachwai : There has been a case of this nature in Ujjain and I can furnish proofs in this regard. I want to know the nature of action to be taken or being taken in the matter.

Shri Dinesh Singh : We would certainly investigate the matter if the Hon. Member furnishes proof in support of his statement.

श्री एस० आर० दामानी : क्या उत्पादन केन्द्रों में बड़ी मात्रा में रुई रोक ली जाती है और यदि हां तो कितनी रुई वितरित की गई तथा इस रुई को उद्योगों को देने के लिए क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री दिनेश सिंह : यदि माननीय सदस्य मुझे विशिष्ट जानकारी दें, तो बहुत अच्छी बात है।

श्री एस० कुन्डू : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। हम मंत्री महोदय से अपने प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर चाहते हैं। इस सम्बन्ध में हम अध्यक्ष महोदय द्वारा हस्तक्षेप चाहते हैं। माननीय सदस्य ने पूछा था कि क्या कपड़ा मिलों के रुई के संकट को देखते हुए मंत्री महोदय रुई व्यापार को व्यवस्थित करेंगे तथा राज्य व्यापार आरंभ करेंगे। इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया और इस प्रश्न को टाला गया था। मैं आपका संरक्षण चाहता हूं और स्पष्ट उत्तर दिलाने के लिए आपकी सहायता चाहता हूं।

Shri Abdul Gani Dar : Will the Hon. Minister inform whether he has received complaints from the labourers wherein it has been mentioned that they have suffered a lot due to the closure of these mills. They did not stock intentionally. If it is a fact, whether the Government has considered to take any action against them. When the Government is of the opinion that cotton crop was not good this time may I know the reduction in percentage and whether the Government would ban the export of cotton this time ?

Shri Dinesh Singh : Mr. Speaker, one lakh bales were exported last year. Taking into consideration the necessity of the import of the cotton from outside, the export is very less because we can use the imported cotton for some very useful purposes. So far as the second part of the question of the member is concerned, if his question is related particularly with any mill, I will give him the necessary information after investigation.

Shri Abdul Gani Dar : I want to know the number of mills closed and the number of labourers affected as a result thereof. Whether their number is in thousands or only a few ?

Shri Dinesh Singh : It is twenty-eight. It will not be possible to give information at present about the stock of cotton accumulated in those mills at the time of closure.

Shri Ram Avtar Shastri : The reply should be clear. Whether these mills have been closed due to shortage of cotton......

श्री० आर० के० अमीन : अध्यक्ष महोदय इस ओर भी ध्यान दें ।

अध्यक्ष महोदय : सर्वश्री दांडेकर, कोठारी और हुकम चन्द कछवाय माननीय सदस्य की ओर से ही थे । मैं इस प्रकार की टिप्पणी पसन्द नहीं करता हूं । यदि कोई माननीय सदस्य प्रश्न पूछना चाहते हैं तो वह अपने स्थान पर खड़े हो जायें । मैं सब सदस्यों को समय देने में तो समर्थ नहीं हूं । मैं केवल दो या तीन सदस्यों को बोलने का समय दे सकूंगा । अतः इस प्रकार की टिप्पणी नहीं करनी चाहिये ।

श्री फ० गो० सेन : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या संयुक्त अरब गणराज्य और सूडान से रुई का आयात भारत से भेजी जाने वाली वस्तुएं, जिनकी इन देशों को आवश्यकता है, के बदले में किया जाना विचाराधीन है ।

श्री दिनेश सिंह : हां, वर्तमान समझौते के अन्तर्गत संयुक्त अरब गणराज्य से रुई की 1,70,000 गांठें और सूडान से 1 लाख गांठों का आयात करने का प्रस्ताव है । हम प्रयत्न कर रहे हैं कि इन देशों से और भी अधिक आयात सम्भव हो सके ।

Shri Ram Avtar Shastri : There are only two cotton mills in Bihar, one is in Gaya and the other in Phulwari Sharif. Both of them have been closed due to shortage of cotton. The Cotton mill of Phulwari Sharif has been closed since November 5, 1965—nearly about two years back, whether the Government would try to reopen them so that thousands of labourers who have become unemployed might get jobs.

Shri Dinesh Singh : These mills have not been closed only due to shortage of cotton. In some cases, it was a case of mismanagement and short of funds also. These mills have been closed after taking into consideration all these aspects. Now we have to look into the difficulties of each of them...... (**interruptions**).

An Hon. Member : Will the Government consider taking over of all these mills ?

श्री मनुभाई पटेल : मूल्य नियंत्रण और माल लाने ले जाने पर लगे प्रतिबन्ध के कारण बहुत सी बिक्री हुई रुई की गांठें मिलों द्वारा उठाई नहीं गई हैं । गुजरात को बेची गई 7 लाख रुई की गांठों में से केवल 2,35,000 गांठें उठाने की स्वीकृति मिली है । क्या सरकार बाकी बची इन 5 लाख गांठों को वर्षा ऋतु आरम्भ होने से पूर्व उठाने की स्वीकृति देगी ?

श्री दिनेश सिंह : यदि रुई खरीदी गई और उस पर दो महीने मे अधिक प्रतिबन्ध नहीं हुआ तो मिलों को निश्चित रूप से इसे ले जाने की अनुमति दी जायेगी ।

राज्य व्यापार निगम के माध्यम से गंधक का आयात

324. **श्री मधु लिमये :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान राज्य व्यापार निगम द्वारा 3 लाख टन से अधिक गन्धक के

संभरण के लिये एक अमरीकी फर्म के साथ किये गये करार के बारे में की गई आलोचना की ओर दिलाया गया है क्योंकि अमरीका के साख तथा बैंकिग क्षेत्र में इस फर्म को कोई दर्जा और स्थान प्राप्त नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या आलोचना की गई है तथा इस अमरीकी फर्म एवं राज्य व्यापार निगम के अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) आलोचना मुख्यत: संविदा के पूरा न किये जाने और इसके कारण हुई कथित हानि के बारे में थी। ज्यों ही राज्य व्यापार निगम को यह पता चला कि वह फर्म संविदा के पूरा करने में असमर्थ है, निगम ने संविदा को रद्द कर दिया। राज्य व्यापार निगम और फर्म के बीच बातचीत से ही एक समझौता हो गया है जिसके अनुसार फर्म 75,000 रुपये देने के लिये सहमत हो गई है। इस कारोबार पर राज्य व्यापार निगम को जो खर्च करना पड़ा वह उक्त राशि से बिल्कुल पूरा हो जाएगा अतएव कोई और कार्यवाही करना अपेक्षित नहीं समझा जाता।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, the necessary information has not been furnished. This is not the only allegation that the contract or the agreement has not been performed accordingly. This has already been discussed in the last session and the ex-minister made baseless allegations against me. I am reading it from the proceeding of 21st November, of the House.

"Vicious attacks, baseless and wanton allegations, wild allegations." Whereas all our allegations were based on facts and documents. Therefore, all this criticism has been started with three things in mind.

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न क्या है ?

Shri Madhu Limaye : I am asking the question for information. Although I can raise a point of order, but I want to save the time of the House. To say that no body can bring sulphur except the State Trading Corporation is nothing but to boast.

Secondly to have a contract with such a firm which have no status and standing in credit in banking Circles in U.S.A. This firm has a relation with some mining concern. This mining concern could not even produce more than one ton sulphur from that mine from 1953 to 1965. Fourthly, the agreement was done with great irresponsibility. Whereas the other people used to get forty dollars per ton, they made an agreement on fifty-five dollars F. O. B. per ton. These are the four or five things which have not been answered so far. Mr. Manubhai Shah assured us that......

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न काल है।

Shri Madhu Limaye : I am helpless. Necessary information has not been given and that is why we have to ask the same thing again and again. Mr. Speaker, the same question has been asked for the last two or three sessions, because the clear information has not been given.

अध्यक्ष महोदय : उनको प्रश्न पूछने का हक है। मैं यह जानता हूं कि उत्तर बहुत सन्तोषजनक नहीं होगा।

Shri Madhu Limaye : Not to speak of satisfactory answer, he has not given any answer at all.

अध्यक्ष महोदय : इसके लिये आप किसी और अवसर पर कह सकते हैं। मैं यह जानता हूं कि यह प्रश्न बहुत समय से चला आ रहा है जबकि श्री मनुभाई मंत्री थे। परन्तु प्रश्नकाल में अनुपूरक प्रश्न पूछते समय यदि आप पिछला इतिहास बतायेंगे तो आप केवल सभा का समय ही खराब करेंगे। मेरे लिये इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परन्तु आप इसको संक्षेप में कहें। इसका पूरा इतिहास बताने की आवश्यकता नहीं है।

Shri Madhu Limaye : I told the alternative that if the required necessary information has been given only supplementaries would have been asked. Now Shri Manubhai Shah has given us the assurance that the whole agreement would be fulfilled in case of failure, the company would be penalised. Now you hear the reply.

"A negotiated settlement has been reached by the S. T. C. with the firm by which the firm has agreed to pay Rs. 75,000 which would cover the expenditure incurred by the S. T. C. on account of this deal".

श्री च० का० भट्टाचार्य : क्या यह आधे घन्टे की चर्चा है ?

Shri Madhu Limaye . I am asking the question with the permission of the Speaker. I do not follow where is that penalty. I also want to know how much foreign currency has been wasted due to this agreement ? The country has also been insulted in the American trade section.

अध्यक्ष महोदय : यदि उत्तर देने से पहले इसका समस्त पिछला इतिहास देना पड़े तो मैं यह कहूंगा कि मुझे दुख है।

Shri Madhu Limaye : In that case the answer should be satisfactory and I will not take more than two minutes for the supplementaries.

अध्यक्ष महोदय : यह असम्भव है। इस प्रकार से तो हम प्रश्नों को ठीक प्रकार से नहीं निपटा सकेंगे।

Shri Madhu Limaye : There should be a clear rule that the question should be answered satisfactorily.

अध्यक्ष महोदय : नियम का प्रश्न ही नहीं उठता। हम अनुपूरक प्रश्नों के लिये कुछ नियम और तरीके अपना रहे हैं।

Shri Madhu Limaye : The answer should be clear.

Shri Dinesh Singh : So far as I understood, the Hon. Member has asked two questions. First is, whether any foreign currency has been wasted and secondly whether India has lost its prestige due to it ? I want to tell that no foreign currency has been wasted in it and India has not lost prestige as a result of it...... (**interruptions**).

Shri Madhu Limaye : You have not replied one of my questions. You have not replied regarding penalty. Mr. Manubhai Shah gave the assurance regarding penalty. What is that penalty ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने एक विषेष प्रश्न पूछा है ।

Shri Dinesh Singh : I have no hesitation in giving the answer to that question. He has asked about the penalty. I have to say in that connection that there was a performance clause in that and from that we judged our estimated expenditure and took the compensation accordingly.

Shri Madhu Limaye : You mean that there is no difference between penalty and compensation.

Shri Dinesh Singh : It has got its own history. Hon. Member was speaking in such an angry tone as if the Government or some officer has made some embezzlement in it. Some people used to import Sulphur from outside. They used to do at present also. They do not want that it should be imported through the Government. We wanted that it should be imported through the Government. The import may be less, but it should be through Government....

श्री नारायण दांडेकर : माननीय मंत्री आक्षेप लगा रहे हैं । क्या मुझे भी अनुमति है कि मैं भी आक्षेप लगाऊं । कृपया माननीय मंत्री से कहें कि वह आक्षेप न लगायें ।

श्री दिनेश सिंह : वह अपनी ओर से तथा दूसरों की ओर से उत्तर दे सकते हैं मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है । मैं तथ्य बतला रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : दोनों ओर से ही आक्षेप नहीं लगाने चाहिये ।

श्री दिनेश सिंह : मैं तो तथ्य बतला रहा हूं कि इसी कारण हम चाहते थे कि राज्य व्यापार निगम गन्धक का आयात करे । केवल यही कम्पनी थी कि जिसने गन्धक भेजी और वह उससे सन्तुष्ट थे । उनका किसी और कम्पनी से सम्बन्ध था जिसकी गन्धक की खाने थीं, जिसने उनसे कहा था कि वह गन्धक दे सकती है । दुर्भाग्य से वह गन्धक न भेज सकी । इसमें बहुत सी पेचीदियां थीं । मुझे माननीय सदस्य को जिन तथ्यों की मुझे जानकारी होगी बतलाने में बड़ी प्रसन्नता होगी । यदि माननीय सदस्य उन तथ्यों के विरोध में कुछ कहेंगे तो मैं उनकी जांच कराऊंगा ।

लेकिन मैं यह कहूंगा कि अभी यह करार पूरा नहीं हुआ था कि राज्य व्यापार निगम को दूसरे तरीकों से गन्धक का आयात मिलता रहा और उनका उसको लगातार मिलने की आशा है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हो गया है । अल्प सूचना प्रश्न, श्री बलराज मधोक ।

Shri Madhu Limaye : I have got a right to put another supplementary. Please do not take a new question.

अध्यक्ष महोदय : वह सब समाप्त हो गया है । मैं श्री मधोक को उनके अल्प सूचना प्रश्न के सम्बन्ध में पुकार चुका हूं ।

Shri Madhu Limaye : Please allow me to ask another supplementary.

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री मधोक को पुकार चुका हूं ।

अल्प सूचना प्रश्न

SDORT NOTICE QUESTION

आपात-कालीन कमीशन-प्राप्त पदाधिकारियों का नौकरी से निकाला जाना

+

अ० सू० प्र० सं० 8. श्री बलराज मधोक : डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री के० पी० सिंह देव : श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री वाई० गार्डिलिंगन गौड श्री रणजीत सिंह :
श्री मधु लिमये :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन पदाधिकारियों को, जिन्हें 1962-63 में आपात-कालीन कमीशन दिया गया था, नौकरी से हटाए जाने के नोटिस दे दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की इस कार्यवाही के विरुद्ध सम्बन्धित व्यक्तियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) जिन पदाधिकारियों को छंटनी किया जा रहा है क्या उन्हें उनका मंत्रालय कोई वैकल्पिक रोजगार देने का वचन दे रहा है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (घ). एक विवरण जिसमें अपेक्षित जानकारी दी हुई है सभा-पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-**309/67]

श्री बलराज मधोक : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि राष्ट्रपति अय्यूब खां ने पारस्परिक आधार पर सेना में कमी करने के बारे में भारत सरकार के सुझाव को अस्वीकार कर दिया है, और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अफसरों के प्रशिक्षण पर काफी समय और धन खर्च होता है और इस बात को देखते हुए कि आपात-कालीन कमीशन प्राप्त अफसरों ने पिछले युद्ध में बड़ा अच्छा कार्य किया है, क्या सरकार 9000 आपात-कालीन अफसरों की छंटनी करने के निर्णय पर पुनर्विचार करेगी ?

श्री स्वर्ण सिंह : समय-समय पर इन सभी बातों को ध्यान में रखा जाता है और किये गये निर्णय के बारे में सभा-पटल पर रखे गये वक्तव्य में बता दिया गया है।

श्री बलराज मधोक : उन्होंने पूरा उत्तर नहीं दिया है। मैंने कहा था कि सेना में कमी करने का एक सुझाव था और राष्ट्रपति अय्यूब ने घोषणा की है कि वह सेना में कमी नहीं करेंगे और देश की सुरक्षा को हुए भारी खतरे को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार अफसरों की संख्या में कमी करने के निर्णय पर पुनर्विचार करेगी ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह निर्णय आपात-कालीन कमीशन प्राप्त अफसरों के सम्बन्ध में है। इसका माननीय सदस्य द्वारा सुझाये गये प्रस्ताव से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसका दोनों देशों की सेनाओं में कमी करने से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री बलराज मधोक : इस बात को देखते हुए कि आपात-कालीन कमीशन प्राप्त करने वाले अनेक अफसर उस समय इंजीनियरिंग और मेडिकल कालेजों में पढ़ रहे थे और उन्हें सेना में भरती होने और देश के प्रति अपनी वफादारी दिखाने के लिये अपना अध्ययन छोड़ना पड़ा और उस समय सेना में नौकरी छोड़ने के बाद रिजर्व उत्तरदायित्व की कोई व्यवस्था नहीं थी, और अब उन पर रिजर्व उत्तरदायित्व थोप दिया गया है, क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार उनको फिर काम पर लगाने और रोजगार और पुनर्वास के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री स्वर्ण सिंह : माननीय सदस्य ने इस प्रश्न में इंजीनियरी स्नातकों और मेडिकल स्नातकों का उल्लेख किया है। मैं नहीं समझता कि उनको बनाये रखने अथवा वैकल्पिक रोजगार पाने में उन्हें कोई कठिनाई होगी।

श्री बलराज मधोक : अनेक व्यक्तियों ने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी।

श्री स्वर्ण सिंह : उन्होंने पढ़ाई पूरी कर ली थी। केवल थोड़ी सी छूट दी गई थी और उनको कुछ महीने पहले ही डिग्री दे दी गई थी।

श्री के० पी० सिंह देव : इस बात को देखते हुए कि आपात-कालीन स्थिति 1962 में उत्पन्न हुई और हजारों नवयुवकों ने सेना में भर्ती के आह्वान का प्रत्युत्तर दिया और देश की एकता के लिये बहुत त्याग किया और अब आपात-कालीन स्थिति समाप्त करने से पूर्व ही और जब कि हमारी सीमाओं पर अभी भी पाकिस्तान और चीन से खतरा है, क्या सरकार के लिये उनकी छंटनी करना उचित है ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि ये व्यक्ति प्रशंसा के पात्र हैं और हम इनके आभारी हैं लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि उनकी भर्ती आपात-कालीन आधार पर हुई थी और भर्ती की शर्तों के अनुसार ये सभी उपाय किये जाते हैं।

श्री के० पी० सिंह देव : लेकिन अभी आपात-कालीन स्थिति समाप्त नहीं की गई हैं।

श्री स्वर्ण सिंह : यह घोषणा की जा चुकी है कि हमारा इरादा बहुत शीघ्र आपात-कालीन स्थिति समाप्त करने का है।

श्री गार्डिलिंगन गौड : इस बात को देखते हुए कि इन व्यक्तियों ने देश की स्वतंत्रता पर आये संकट के समय बड़ा महत्वपूर्ण काम किया था, क्या सरकार भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा की परीक्षाओं में इन अफसरों के लिये आयु-सीमा में कोई छूट देने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री स्वर्ण सिंह : जी, हां । जो व्यक्ति उस समय इन परिक्षाओं में बैठ सकते थे जब उन्होंने आपात-कालीन कमीशन प्राप्त किया, वे अब भी उन परीक्षाओं में बैठ सकेंगे चाहे उनकी उम्र अधिक हो गई हो ।

Shri Madhu Limaye : Last time the Hon. Defence Minister had given an assurance that these officers who will be released from emergency commission, would be given comparative jobs elsewhere. Some States have done so. Is it a fact that now these officers are being asked to go to their old jobs ? Secondly, whether persons from the lower ranks promoted to officers grade are also being demoted ?

श्री स्वर्ण सिंह : इन आपात-कालीन कमीशन-प्राप्त अफसरों के बारे में, आपात-कालीन कमीशन की अवधि समाप्त होने पर, उन पदों पर, जहां कुछ आरक्षण है, नियुक्त के लिये विचार किया जा सकता है । कुछ राज्य सरकारें इन अफसरों के लिये कुछ पद रक्षित रखने को राजी हो गई हैं लेकिन उनमें से कुछ व्यक्तियों को या तो निम्न पदों पर आना होगा या अन्य रोजगार ढूंढना पड़ेगा । हम उनकी भरसक सहायता करेंगे लेकिन ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया था कि हर व्यक्ति को वैकल्पिक रोजगार दिया जायेगा ।

Shri Madhu Limaye : My question has not been replied. This is no answer. I, therefore, walk out.

Then Shri Madhu Limaye walked out

इसके बाद श्री मधु लिमये सदन छोड़कर चले गये ।

श्री कंवर लाल गुप्त : मंत्री महोदय ने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है । आप उनसे कहें कि वह साफ उत्तर दें ।

Mr. Speaker : Dr. Lohia.

Shri Hukam Chand Kachwai : If the Hon. Minister does not understand we can make it clear to him.

Dr. Ram Manohr Lohia : Is it a fact that Emergency Commissioned Officers are in any way inferior in the matter of behaviour, English speaking, eating habits and putting on clothes etc. to the regular commissioned officers ? Does the Hon. Minister agree that they should be promoted according to their ability doing away with the difference in uniforms etc. as is being done in Switzerland ? Is he prepared to give an assurance that these officers will not be released and most of the officers, at least 75 per cent., will be promoted from the ranks according to their merits ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह बात सही नहीं है कि वे बर्ताव या खान-पान के मामले में कुछ पीछे हैं । आपात-कालीन कमीशन-प्राप्त अफसरों और नियमित कमीशन-प्राप्त अफसरों के साथ आचार-व्यवहार में कोई भेदभाव या अन्तर नहीं है । दूसरी बात यह है क्या भविष्य में भर्ती केवल साधारण सिपाहियों को पदोन्नत करके की जायेगी । हमारी सेवाओं में पदोन्नति की ऐसी योजना नहीं है । सीधी भर्ती की जाती है । वास्तव में इन आपात-कालीन कमीशन-प्राप्त अफसरों को सीधे

भर्ती किया गया था। इसलिये कमीशन-प्राप्त पदों पर सेनाओं में अफसरों की भर्ती के तरीकों में कोई परिवर्तन करने का इरादा नहीं है।

Dr. Ram Manohar Lohia : The question was different and the answer is different. The question was whether these emergency commissioned officers are inferior to other officers in speaking English, eating habits and putting on clothes etc. and he has simply said that there is no distinction. I also asked whether it is a fact that in Switzerland they are doing away with the distinction in uniforms between an officer and the rank ? Has he reached to the conclusion that at least 75 per cent. officers should be prromoted from ranks ?

Shri Swaran Singh . I do not agree that they are in any way inferior to regular commissioned officers in english speaking, eating habits etc.

Dr. Ram Manohar Lohia : The answer is different. He is not understanding my question.

Shri Swaran Singh : The answer to each question cannot be in the affirmative.

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि उन्होंने प्रश्न का उत्तर दे दिया है कि ड्रैस, भोजन की आदत आदि के मामले में उनमें कोई अन्तर नहीं है। मैं खुद माननीय सदस्य का प्रश्न नहीं समझ पा रहा हूं।

श्री बलराज मधोक : यह आरोप लगाया जाता है कि कागज पर भले ही कोई भेदभाव न हो लेकिन तथ्य यह है कि कुछ वरिष्ठ अफसर जो सैनिक स्कूलों से आये हों और जहां उनको अंग्रेजी ढंग से शिक्षा दी गई हो, वे उनको पसन्द नहीं करते और इसलिये उनको निकाला जा रहा है। क्या मंत्री महोदय इस बारे में जांच करायेंगे ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता।

Shri George Fernandes : In the statement it is stated that the policy of the Government is to make one-third of the emergency commissioned officers as regular commissioned officers. On the one hand lakhs of rupees are being spent on the training of officers in Kadakvasla and Dehradun and on the other the policy of Government is to make these officers, who were trained in other way during last four or five years and who fought two wars and showed their talent, unemployed and recruit in their place children of rich people ?

श्री स्वर्ण सिंह : अफसरों की नई भर्ती और भर्ती के बाद खड़गवासला और देहरादून में उनका प्रशिक्षण हमारे भर्ती और प्रशिक्षण कार्यक्रम का एक अत्यावश्यक अंग है। इन सब व्यक्तियों को प्रतियोगिता आधार पर नियुक्त किया जाता है। यह कहना गलत है कि इन संस्थाओं में केवल धनी लोगों के बच्चों को ही प्रवेश मिलता है। यह अखिल भारत प्रतियोगिता है। जहां तक मुझे पता है औसत आय वाले व्यक्तियों के बच्चे भारी प्रतिशतता में आवेदन करते हैं और उन्हें चुनकर प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के समय कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होता। इसलिये यह कहना गलत है कि लोगों को या उनके अभिभावकों को उस समय उनका व्यय सहन करना पड़ता है।

Shri George Fernandes : The answer is different to the question.

अध्यक्ष महोदय : आप उत्तर से सहमत न हों, मैं सहमत हू। उत्तर संतोषजनक भले न हो, लेकिन प्रश्न का उत्तर तो दिया गया है ।

Shri George Fernandes : On a point of order......

Shri Ram Sewak Yadav : On a point of order. The motive to ask a question is to get the reply. He has said children of both rich and poor get admission there. The question is very simple that in place of two-thirds of officers who have already worked, is it justified to have new children ? This part of the question has not been replied.

अध्यक्ष महोदय : इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री रंजीत सिंह : मुझे दो या तीन अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : आप एक ही अनुपूरक प्रश्न में (क), (ख), (ग) आदि करके बातें पूछ सकते हैं लेकिन तीन अनुपूरक प्रश्नों की अनुमति नहीं है ।

श्री रंजीत सिंह : आप मुझे इजाजत दे दीजिये । मुझे सेना का अनुभव है। मैंने इसको इसलिये छोड़ा है.......................... **(अन्तर्बाधा)**

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य अपने सभी प्रश्न अध्यक्ष को सम्बोधित करेंगे तो गड़बड़ कम होगी । मैं उनके व्यक्तिगत अनुभव के बारे में चर्चा करने की अनुमति नहीं दे सकता। मैं आशा करता हूं कि वह अपने प्रश्न तक ही अपने आपको सीमित रखेंगे ।

श्री रणजीत सिंह : अभी हाल ही में चीन ने हमें चुनौती दी है। पीपल्स रिपब्लिक आफ चाइना की सरकार ने कांग्रेसी सरकार को 27 जनवरी को एक पत्र में लिखा था कि भारत सरकार ने अपने टिप्पण में फिर अवैध 'मेकमोहन' रेखा को चीन और भारत की सीमा के प्रश्न के साथ जोड़ा है, ताकि इस अवैध रेखा को वैध रूप दिया जा सके। यह एक ऐसा स्वप्न है जो कभी भी सत्य सिद्ध नहीं होगा। इस चुनौती पर विचार किया जाना चाहिये। हमें चीन से अनवरत खतरा बना हुआ है। इन परिस्थितियों में, क्या यह सत्य नहीं है कि ई० सी०-1 और ई०सी०-2 सेना के 1500 आपातकालीन कमीशन प्राप्त अफसर, इनमें बहुत से लोग तो ऐसे अफसर हैं जिन्हें युद्ध का अद्वितीय अनुभव है, युद्ध का अनुभव प्रशिक्षण की पराकाष्ठा होती है; आई० एम० ए० अथवा खड़गवासला में चाहे जितना प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया जाय, उसकी युद्ध के अनुभव से तुलना नहीं की जा सकती। सेना का निर्माण 'आपरेशन एबलेज' और 'आपरेशन रिडल' में युद्ध की कठोरता के आधार पर होता है। ये 1500 अफसर भी इस वर्ष नौकरी से निकाल दिये जायेंगे और इसके साथ ही 500 नियमित अफसर भी सेवा से निवृत्त हो जायेंगे, जबकि आई० एम० ए० तथा ओ० टी० एस० से हमें बहुत कम संख्या में अफसर मिल सकते हैं। इसका परिणाम यह होगा कि हमारी सेना दुर्बल हो जायेगी क्योंकि उसमें अफसरों की संख्या बहुत ही कम हो जायगी जबकि कम से कम 20 प्रतिशत अफसरों की कमी इस समय भी है ? क्या यह सत्य नहीं है

कि.........(**व्यवधान**) इससे खतरा यह है कि मेरे इस प्रश्न का आधा भाग तो यह सुनेंगे नहीं, जो सुनेंगे उससे आधा समझेंगे और जो यह समझेंगे उसका आधा उत्तर देंगे।

क्या यह भी सत्य नहीं है कि हालांकि सीमा सुरक्षा सेना के कर्तव्य वही हैं जो नियमित सेना के हैं, परन्तु 900 ई० सी० अफसरों में से, जो सीमा सुरक्षा सेना में नौकरी चाहते थे, साक्षात्कार के लिए केवल 300 व्यक्ति ही चुने गये हैं ? क्या अल्प-कालीन साक्षात्कार के बाद युद्ध में अनुभवी इन व्यक्तियों को न चुनना गलत और अन्यायपूर्ण बात नहीं है, क्योंकि वे तो पहले ही सिलेक्शन बोर्ड द्वारा कई दीर्घकालीन परीक्षाओं को पास करके चुने गये थे ?

यह मेरा प्रश्न है और मैं इस प्रश्न का विस्तृत उत्तर चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये। वह यथासम्भव इसका उत्तर देंगे। यह एक लम्बा प्रश्न है।

श्री रणजीत सिंह : वह इसका लम्बा उत्तर दे सकते हैं। हम सुनने के लिए तैयार हैं।

अध्यक्ष महोदय : हम सारा समय प्रश्नों पर ही व्यय नहीं कर सकते।

श्री स्वर्ण सिंह : हम अपने पड़ोसियों से—उत्तर से भी और पश्चिम तथा पूर्व से भी—अर्थात चीन और पाकिस्तान के खतरे के प्रति सजग हैं। हमारी सुरक्षा सम्बन्धी तैयारियां और प्रबन्ध इस खतरे के आधार पर ही किये जाते हैं। इसलिए मैं सभा को और देश को यह आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि हम इन खतरों के सम्बन्ध में सतर्क हैं और हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम अपने देश की अखण्डता और प्रभुसत्ता की सुरक्षा के संभावित खतरे का मुकाबला करने के लिये सदा तैयार रहें।

जहां तक आपात-कालीन कमीशन-प्राप्त अफसरों का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य ने दो या तीन बातें पूछी हैं। पहली बात तो ठीक है कि कुछ आपात-कालीन कमीशन-प्राप्त अफसरों को नियमित कमीशन-प्राप्त अफसरों और अल्प-सेवा कमीशन-प्राप्त अफसरों के समान ही युद्ध का अनुभव है और कुछ को तो सम्मानित भी किया गया है। स्थायी कमीशन देते समय हम इस अनुभव और सम्मान आदि का ध्यान रखते हैं। इन सभी तथ्यों पर विचार किया जाता है और हम युद्ध में किये गये कार्य का तथा युद्ध सम्बन्धी प्रशिक्षण के महत्व का भी ध्यान रखते हैं।

सेना को नौजवान तथा कार्यक्षमता से पूर्ण बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि किसी भी स्तर विशेष पर आयु का व्यवधान न रहने दिया जाये परन्तु इसके साथ ही साथ अधिक प्रशिक्षण प्राप्त नौजवानों को इनका स्थान ग्रहण करना ही चाहिए। यह बात सेना को वास्तव में सदा तैयार रखने के लिए आवश्यक है और यही बात मेरे पूर्ववर्ती मंत्री के सम्मुख थी। जब अल्प-सेवा कमीशन देने का काम आरम्भ किया गया था, ताकि सेना में अनवरत रूप से नौजवान व्यक्ति आते रहें और वे अच्छी तरह अपने कर्तव्य का पालन करें। इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है। ऐसे अफसर, जिन्हें नौकरी छोड़नी पड़ती है, उनके लिए

हम सरकारी कार्यालयों में, सरकारी उपक्रमों और राज्य सरकारों में नौकरियों का प्रबन्ध करते हैं । मेरे विचार में यह बात देश के हित में है और व्यक्ति के हित में भी है ।

श्रीमती शारदा मुकर्जी : अपने वक्तव्य में मंत्री महोदय ने यह बात मानी है कि इन अफसरों में से एक तिहाई को अब नौकरी से निकाल दिया जायेगा । और दो तिहाई को धीरे-धीरे निकाला जायेगा । यह धीरे-धीरे वाली बात बहुत खतरनाक है । पिछले विश्व युद्ध में यह क्रमबद्ध कार्यक्रम 15 वर्षों तक चलता रहा था । क्या मैं मंत्री महोदय से पूछ सकती हूं कि इन अफसरों की, जिन्हें निकाला गया है औसत आयु कितनी है और क्या सरकार ने उन्हें क्षतिपूर्ति देने अथवा पेंशन देने की कोई योजना बनाई है ? ये अफसर अनिवार्य भरती वाले नहीं हैं, ये तो आपात-कालीन कमीशन-प्राप्त हैं । इसलिये क्या मंत्री महोदय इसके बारे में कुछ बतायेंगे कि क्या इन निकाले जाने वाले अफसरों को क्षतिपूर्ति देने अथवा पेंशन देने का कोई निश्चित कार्यक्रम बनाया गया है ?

श्री स्वर्ण सिंह : क्रमबद्ध कार्यक्रम तो इस विवरण में दिया गया है वह यह है कि वर्ष 1967 से 1970 तक इन्हें चार भागों में निकालने का विचार है । कमीशन-प्राप्त अफसर पेंशन के अधिकारी नहीं होते । परन्तु नोटिस की अवधि के सम्बन्ध में कुछ नियम हैं और इस अवधि के लिए उन्हें कुछ धनराशि दी जाती है ।

श्रीमती शारदा मुकर्जी : यह क्रमबद्ध कार्यक्रम पिछले युद्ध के पश्चात् बनाया गया था, उसमें यही बात थी कि अगले तीन वर्षों में इतने अफसर निकाल दिये जायेंगे और इस कार्यक्रम को पूरा करने में 15 वर्ष लग गये और 15 वर्षों के बाद भी आपात-कालीन कमीशन फिर भी थे । क्योंकि वे न तो क्षतिपूर्ति के अधिकारी थे और न पेंशन के अधिकारी थे । यही अन्तर मैं बता रही थी ।

श्री स्वर्ण सिंह : मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि किसी को ऐसी असुविधा न होने पाये ।

श्री हेम बरुआ : हैंडरसन ब्रुक्स रिपोर्ट में कहा गया है कि नेफा में चीनियों से हमारी हार का एकमात्र कारण यही था कि हमारी सेना में अनुभवी अफसरों की कमी थी । दूसरी ओर न तो चीन ने अपना दावा नेफा पर छोड़ा है और न ही पाकिस्तान ने काश्मीर पर अपना दावा छोड़ा है । फिर मंत्री महोदय भी सेना को अनुभवी और नौजवान बनाए रखने की बात कह रहे हैं । जवानी और अनुभव एक साथ नहीं चल सकते । जब पाकिस्तान ने हम पर आक्रमण किया तो हमने नौजवान अफसरों को युद्धक्षेत्र में धकेल दिया था और वे काफी संख्या में हताहत हुए ।

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा : वे बड़ी वीरता से लड़े ।

श्री हेम बरुआ : परन्तु हमारी हानि तो बहुत हुई । इस संदर्भ में क्या मैं यह पूछ सकता हूँ कि बजाए इसके कि इन आपात-कालीन कमीशन-प्राप्त अफसरों की शक्ति व्यर्थ में नष्ट की जाय, जिन्होंने देश के प्रति इतनी राष्ट्रभक्ति दिखाई है, और जिन्हें अब अनुभव भी हो गया है और जो वीर एवं साहसी भी हैं, सरकार इन्हें सेवा में क्यों नहीं रख लेती अथवा क्या सरकार ने इन्हें देश में विभिन्न सेवाओं में लाभप्रद नौकरी दिलाने की कोई योजना बनाई है ?

श्री स्वर्ण सिंह : हमें अपने नौजवान अफसरों के प्रति श्रद्धान्जलि अर्पित करनी चाहिए जिन्होंने बड़ी वीरता तथा साहसपूर्ण ढंग से अपना जीवन बलिदान कर दिया। उन्होंने अपनी सेना का पथ-प्रदर्शन किया और किसी प्रकार के खतरे की परवाह नहीं की। यह हमारे इतिहास का शानदार अध्याय है जिस पर हमें सदा गर्व होना चाहिए। इसी संदर्भ में माननीय सदस्य को इस बात का उल्लेख करना चाहिए था। हम अनुभव, जवानी तथा वीरता का ध्यान रखते हैं और इन सब बातों पर ध्यान रखते हुए अपनी सेना को सुसज्जित रखने के लिये ये निश्चय किये गये हैं और मैं यह आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि हम उनकी व्यक्तिगत समस्याओं को भी सुलझाने के लिए यथासम्भव प्रयत्नशील रहेंगे। अब राज्य सरकारों में विरोधी दलों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है, अतः मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ कि वे भी उन राज्य सरकारों में इन अफसरों को नौकरी दिलाने के लिये अपने प्रभाव का प्रयोग करें।

श्री दी० चं० शर्मा : इस वक्तव्य के लिए मैं मंत्री महोदय को बधाई देता हूँ।

श्री मं० रं० कृष्ण : अभी कुछ किया तो गया नहीं, वह बधाई किस बात की दे रहे हैं?

श्री दी० चं० शर्मा : मंत्री महोदय ने कहा है कि पाकिस्तान और चीन से हमें अब भी खतरा बना हुआ है। जब हमारे देश की प्रभुसत्ता और अखण्डता को इन दोनों देशों से लगातार खतरा बना हुआ है तो क्या मैं माननीय प्रतिरक्षा मंत्री से पूछ सकता हूँ कि उन्होंने आपात-कालीन कमीशन-प्राप्त अफसरों के बारे में इतनी निराशाजनक स्थिति क्यों बताई है। वह कहां तक न्यायसंगत है? क्या वह आशा करते हैं कि संकटकालीन अफसरों, वीर, साहसपूर्ण तथा बलवान नौजवानों की दोबारा आवश्यकता पड़ने पर वे हमारी सेना में भरती होना पसन्द करेंगे, विशेषकर जब उन्हें इस क्रमबद्ध कार्यक्रम का पता चलेगा, जो बाद में अनिश्चित काल के लिये चलता रहता है और जब उन्हें यह भी पता चलेगा कि उन्हें क्षतिपूर्ति भी नहीं दी जायेगी? क्या यह सत्य नहीं है कि आपात-कालीन कमीशन-प्राप्त करने के लिए हमारे देश के नौजवान इन बातों से निरुत्साहित हो जायेंगे?

श्री स्वर्ण सिंह : यदि मैंने कोई निराशाजनक बात कह दी हो तो मुझे इस पर खेद है। इसमें निराशा की कोई बात नहीं। वास्तव में हमारी जनता और नौजवानों की अपेक्षा आलोचकों और संदेहशील व्यक्तियों के मन में अधिक निराशा है। मुझे इस बात में बिल्कुल संदेह नहीं कि भविष्य में भी संकट की स्थिति में अधिक से अधिक नौजवान मैदान में आयेंगे। संकटकालीन कमीशन के फलस्वरूप ही इतने नौजवान भरती हुए थे। इस भरती के पीछे देशभक्ति की भावनाएं हैं और भविष्य में किसी भी संकटकालीन स्थिति में ये भावनाएं बनी रहेंगी।

Dr. Ram Manohar Lohia: Don't do as you did at that time. Greater response is required. If it remains as the previous one, the country will go to dogs.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : जब आपात-कालीन कमीशन-प्राप्त अफसरों की भरती की गई थी तो किसी प्रकार की शर्तें नहीं लगाई गई थीं, परन्तु वर्ष 1966 में कुछ संशोधन स्वीकार किए गए, जिनके फलस्वरूप अब इन्होंने 10 वर्ष की अनिवार्य सेवा की शर्त लगा दी है, क्या सरकार

अब यह शर्त हटा देगी क्योंकि वे अब उनकी सेवाओं को अधिक उचित ढंग से प्रयोग करने के लिये उत्सुक हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह सत्य है कि जब ये अफसर आपात-कालीन कमीशन के लिए भरती किये गये थे तब कुछ अवधि के लिए अथवा किसी निश्चित आयु तक जो भी पहले हो, कोई अनिवार्य सेवा की शर्त नहीं लगाई गई थी। यह शर्त बाद में लगाई गई थी क्योंकि हमने सोचा कि एक तो उनकी नौकरी बनी रहेगी, दूसरे देश भी उनके प्रशिक्षण से लाभ उठा सकेगा। मैं माननीय सदस्य के सुझाव पर विचार करूंगा और यदि इसमें कोई परिवर्तन हुआ तो मैं सभा को सूचित कर दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए मैंने इस प्रश्न के लिये 35 मिनट का समय दे दिया है। यदि कुछ और सदस्य इस सम्बन्ध में प्रश्न पूछना चाहें, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं।

श्री श्रीपद अमृत डांगे : क्या यह सरकार की नीति है कि भाग जाने वाले जनरलों को पुस्तकें लिखने की आज्ञा दी जाए, वे पुस्तकें प्रकाशित करें और डालर अर्जित करें और बेकारी के साथ जूझने वालों को पुरस्कृत किया जाय और उन्हें सूखी श्रद्धांजलि अर्पित की जाये क्योंकि मेरे विचार में रोजगार का स्थानापन्न श्रद्धांजलि नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में मंत्री महोदय इसका उत्तर नहीं देंगे।

श्री स्वर्ण सिंह : यह हमारी नीति नहीं है।

Shri S. M. Banerji : On one hand Mr. Ayub Khan has issued a statement in which he has clearly said :

"पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खां ने आज घोषणा की है कि भारत के रुख को देखते हुए पाकिस्तान अपनी सेना की शक्ति कम नहीं करेगा। पाकिस्तान रेडियो के अनुसार उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने किसी निश्चित ध्येय को प्राप्त करने के लिये अपनी सेना को बढ़ाया है और उसे शक्तिशाली बनाया है और वह निश्चित ध्येय उनकी सीमा के विरुद्ध बढ़ते हुए खतरे का मुकाबला करना है। जब तक यह खतरा बना हुआ है, पाकिस्तान अपनी सेना को कम नहीं कर सकता।

It is quite clear from this statement that they have not reduced their army strength while we have done so. Last time Shri Chavan had said that he would try to suggest some alternative to that. It is just like this that if a Minister is defeated or a Speaker loses his Speakership, he will at once be appointed as Governor, Ambassador etc.......

अध्यक्ष महोदय : यह कैसा प्रश्न है ?

श्री स० मो० बनर्जी : मैं वैकल्पिक नौकरियों के बारे में पूछ रहा हूँ। जैसा उन लोगों के लिए किया जाता है, वही दृष्टिकोण इन व्यक्तियों के बारे में भी अपनाया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : अब हम 'ध्यान दिलाने वाली सूचना' पर विचार करेंगे । श्री चिन्तामणि पाणिग्रही ।

श्री स० मो० बनर्जी : कम से कम मेरे प्रश्न के प्रथम भाग का उत्तर दिला दिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : अब हमने अगला विषय ले लिया है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

बोकारो इस्पात परियोजना

*321. **श्री सेझियान :** क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बोकारो इस्पात परियोजना के निर्माण के लिये रूसी सरकार के साथ समझौता किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के प्रत्येक चरण पर कितना व्यय होगा; और

(ग) लागत रूसी विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुत मूल परियोजना रिपोर्ट की अपेक्षा कितनी कम हुई है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० एम० चेन्ना रेड्डी) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-310/67**]

जापान को कोयले का निर्यात

*325. **श्री स० चं० सामन्त :**
डा० प० मंडल :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जापान तथा अन्य देशों को कोयले के निर्यात की संभावनाओं का पता लगाने के लिये एक पैनल बनाया है;

(ख) यदि हां, तो पैनल के सदस्य कौन-कौन हैं तथा उसके निर्देश-पद क्या हैं; और

(ग) कोयले के निर्यात के बारे में क्या आशा है और विदेशी मुद्रा कमाने के लिये किन किस्मों का कोयला मिल सकेगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (ग) . कोयले के निर्यात सम्बन्धी अध्ययन दल ने अन्य बातों के साथ-साथ एक लघु स्थायी दल की स्थापना के लिए सिफारिश की थी, जो सरकार को प्रतिवेदन दे कि निर्यात के लिये, विशेषतः जापान को, कौन-कौन से कोयले तथा

कोयला खानों को रखा जाये और प्राइम कोक कर कोयले (ग्रेड ए० से सी०) के निर्यात से इस्पात संयंत्रों पर क्या सम्भाव्य प्रभाव हो सकते हैं। सरकार ने सिफारिश को स्वीकार कर लिया है और एक स्थायी दल गठित किया है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :

(1) कोयला नियंत्रक	अध्यक्ष
(2) उप-प्रादेशिक व्यवस्थापक, खनिज तथा धातु व्यापार निगम, कलकत्ता।	सदस्य
(3) कोयला खनन सलाहकार, खान तथा धातु विभाग।	सदस्य
(4) लोहे तथा इस्पात विभाग का एक प्रतिनिधि।	सदस्य

निर्यात के लिये कोयले के विभिन्न ग्रेडों तथा किस्मों पर सरकार के सम्बन्धित विभागों के विचारों और अध्ययन दल की सिफारिशों पर सरकार विचार कर रही है।

खनिजों के खनन का विकास

*326. **डा० प० मंडल :**

श्री स० चं० सामन्त :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खनिज निकालने के विकास के लिये वित्तीय सहायता देने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ख) क्या बैंकों तथा अन्य ऋणदाता संस्थाओं से ऋण लेने के लिए खनन पट्टों को बन्धक रखने की अनुमति देने का विचार है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० एम० चेन्ना रेड्डी) : (क) औद्योगिक वित्तीय निगमें, राज्य सरकारों की वित्तीय निगमें, तथा अनुसूचित बैंक खनिज उद्योग को वित्तीय सहायता देने वाली वर्तमान संस्थाएं हैं। खनन मशीनें/उपकरण खरीदने, खानों के विकास की व्यवस्था करने, जाने के लिए सड़कें बनाने, खानों के लिए निजी रेल की पटरियां डालने तथा मह्रा-तुलाएं बनाने आदि के लिए मिनरल एण्ड मैटल कारपोरेशन आफ इंडिया लि० भी कुछ खान मालिकों को जो अयस्क देने के ठेके लेते हैं ऋण देती हैं। हाल ही में, खनन उद्योग के लिए वित्त व्यवस्था के प्रश्न का अध्ययन करने के लिये एक अध्ययन मंडल बनाया गया है। इस मंडल ने खनन उद्योग को ऋण देने की शर्तों को उदार बनाने और बैंकों तथा दूसरी वित्तीय संस्थाओं के वाणिज्य कार्यों में खनन उद्योग के पक्ष में झुकाव लाने के कुछ प्रस्ताव दिये हैं। इन प्रस्तावों पर विचार हो रहा है।

(ख) 1960 के खनिज रियायती नियमों के अधीन वित्तीय संस्थाओं जैसे औद्योगिक

वित्तीय निगमों अथवा अनुसूचित बैंकों से ऋण लेने के लिये खनन पट्टों को गिरवी रखने की इजाजत है ।

कम्पनियों द्वारा राजनैतिक दलों को धन का दिया जाना

*327. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :**

श्री मधु लिमये :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि, 1 अप्रैल, 1966 से 31 मार्च, 1967 तक की अवधि में कम्पनियों ने विभिन्न राजनैतिक दलों को कितना धन दिया ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): कम्पनियों द्वारा, दलानुसार राजनैतिक अंशदान का खुलासा, 1 मार्च, 1966 से 28 फरवरी, 1967 तक जैसा उन्होंने पंजीयकों को भेजे, लाभ-हानि लेखाओं में प्रकट किया, सोलह समवाय पंजीयकों में से आठ द्वारा भेजे गये नियत-विवरण से, इस प्रकार है :

दल का नाम	अंशदान राशि का योग
	रु०
1— कांग्रेस	6,27,538
2— स्वतंत्र	13,320
3— जनसंघ	2,488
4— पी० एस० पी०	2,030
5— एस० एस० पी०	1,021
6— आई० एन० टी० यू० सी०	500
7— हिन्दू महा सभा	21
8— अकाली दल	10
योग...	6,46,928

कम्पनियों के आर्थिक वर्ष में विस्तृत हेर-फेर होने से यह आंकड़े 1 अप्रैल, 1966 से 31 मार्च, 1967 के समय तक दिये गये अंशदान से आवश्यक रूप से संबंधित नहीं, तथा कुछ स्थितियों में दिया गया अंशदान इस समय से पहले ही समाविष्ट कर दिया होगा । उन कम्पनियों के लाभ-हानि के लेखे जिनका आर्थिक वर्ष 30 जून, 1966 को समाप्त होता हो, कुछ अंश तक ऐच्छिक सूचना दे सकते हैं, उनमें से भी कुछ ने, समवाय पंजीयकों को अभी तक न भेजे हों, क्योंकि ऐसे लेखे भेजने के लिये, कम्पनियां आर्थिक वर्ष के समाप्त होने पर, समाप्त तिथि के पश्चात् अधिकतम समय, दस मास तक बढ़ा सकती हैं ।

डीजल लोकोमोटिव वर्कशाप, वाराणसी

*328. **श्री सी० जनार्दनन : क्या रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लोकोमोटिव वर्कशाप, वाराणसी धन की कमी के कारण बन्द होने की हालत में है; और

(ख) यदि हां, तो इस संकट को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

समवाय विधि का समेकन

*329. **दी० चं० शर्मा :**

श्री राम किशन गुप्त :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समवाय विधि के उद्देश्यों की पूर्ति करने तथा समवाय प्रशासन के क्षेत्र में व्याप्त बुराइयों का उन्मूलन करने के लिए समवाय विधि को प्रभावी कानून बनाने के लिए इस कानून को समेकित करने की आवश्यकता का विचार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) तथा (ख) कम्पनी कानून के उपबन्ध, केवल 11 वर्ष पहले समेकित किये गये थे, तथा कम्पनी अधिनियम, 1956, सामाजिक तथा आर्थिक उद्देश्यों को दृष्टि में रखते हुए, पारित किया था। इसके उपबन्ध लगातार समीक्षान्तर्गत हैं तथा 1960, 1963 तथा 1965 में संशोधित अधिनियम, उन बुराइयों के उन्मूलन तथा कमियों को समाप्त करने, जिनका पता चला, पारित किये गये।

(ग) विभाग में सभी संभव साधनों से प्राप्त आलोचनाओं तथा सुझावों पर चिन्तनीय विचार तथा परीक्षण किया गया है। यदि कोई अन्य परिवर्तन करने की आवश्यकता अनुभव की गई, तो आवश्यक संशोधन, उपयुक्त समय पर किये जायेंगे।

तीन पहिये वाली गाड़ियां बनाने वाले उद्योगों में उत्पादन

*330. **श्री रामचन्द्र उलाका : श्री खगपति प्रधानी :**

श्री धुलेश्वर मीना श्री हीरजी भाई :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीन पहिए वाली गाड़ियां बनाने वाले उद्योगों में उत्पादन कम हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) जी, हां। तीन पहिए वाली गाड़ियों का उत्पादन कुछ हद तक कम हो गया है।

(ख) और (ग). उत्पादन में कमी का मुख्य कारण विदेशी मुद्रा की कठिनाई की वजह से पिछले वर्ष इस उद्योग को नियत की गई विदेशी मुद्रा को कम कर दिया जाना है। इस उद्योग को अब उन उद्योगों की सूची में शामिल कर लिया गया है जो अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण से सहायता पाने के हकदार हैं और स्थापित क्षमता का पूरा इस्तेमाल करने की दृष्टि से पुर्जों/कच्चे माल का आयात करने के लिए उद्योग को विदेशी मुद्रा दे दी गई है। इसे ध्यान में रखते हुए आशा की जाती है कि तीन पहिए वाली गाड़ियों का उत्पादन इस वर्ष से पूरा होने लगेगा।

केनिया में भारतीय सहयोग से कारखाने की स्थापना

*331. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केनिया में क्राउन कार्क, कार्क डिस्क, गैस्केट्स तथा कार्क लाइनर्स बनाने का कारखाना स्थापित करने में बम्बई की एक फर्म सहायता देगी;

(ख) यदि हां, तो इस करार की शर्तें क्या हैं; और

(ग) निकट भविष्य में भारतीय सहयोग से केनिया में और कितने कारखाने खोलने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह): (क) जी, हां।

(ख) स्वीकृति व्यवस्था के अनुसार, भारतीय सहयोगी, प्रस्तावित उद्यम में अपनी हिस्सा पूंजी के रूप में भारत से 36,000 पौंड मूल्य के स्वदेशी पूंजीगत माल उपकरण, औजार, संरचनात्मक माल आदि का सम्भरण करेगा। इसके अतिरिक्त, भारतीय पक्ष प्रायोजना की स्थापना के लिए अपेक्षित तकनीकी जानकारी उपलब्ध करेगा और भारत के अपने कारखानों में वहाँ के तकनीशनों के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी करेगा।

(ग) माननीय सदस्य ने जिस प्रायोजना का उल्लेख किया हैं उसके अलावा भारत सरकार ने केनिया में 7 अन्य संयुक्त औद्योगिक उद्यमों की स्थापना के लिए विभिन्न भारतीय उद्योगपतियों के प्रस्तावों का अनुमोदन किया है। इनमें से एक सूती कपड़ा उद्योग सम्बन्धी है जिसमें इस समय उत्पादन भी हो रहा है।

खाद्यान्नों तथा अन्य वस्तुओं के मूल्य

*332. **श्री अब्दुल गनी दार** :
श्री मोहसिन :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिन राज्यों में गैर-कांग्रेसी सरकारें बनी हैं उनमें खाद्यान्नों

तथा अन्य वस्तुओं के मूल्य काफी गिर गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने मूल्य गिरने के कारणों का विश्लेषण किया है; और

(ग) क्या अन्य राज्य सरकारों के मार्ग दर्शन के प्रयोजनार्थ उन गैर-कांग्रेसी सरकारों से इस सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट मांगी गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह): (क) हाल ही में कांग्रेस सरकारों वाले राज्यों तथा गैर-कांग्रेस सरकारों वाले राज्यों दोनों में ही खाद्यान्नों तथा अन्य वस्तुओं के मूल्यों का मिलाजुला रुख रहा है और कुछ खाद्यान्नों के मूल्यों में विशेष रूप से गिरावट का रुख रहा है।

(ख) वर्ष के इस समय में खाद्यान्नों के मूल्यों में गिरावट आना सामान्य बात है क्योंकि जमा माल को, रबी की फसल आने की आशा में और विद्यमान मूल्यों का फायदा उठाने के लिए, बाजार में लाया जाता है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

सूअर के बालों (ब्रिस्टल्स) का नेपाल से होकर निर्यात

*335. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि कुछ भारतीय व्यापार-गृह सूअर के बालों का निर्यात नेपाल के मार्ग से यूरोपीय देशों को कर रहे हैं जिससे इस देश को काफी विदेशी मुद्रा की हानि हो रही है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस प्रथा को बन्द करने का है; और

(ग) इस तरीके से इस काम में लगे हुए लोगों के विरुद्ध सरकार ने यदि अब तक कोई कार्यवाही की है, तो वह क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह): (क) से (ग). यह बात सरकार के ध्यान में लायी गई कि कुछ व्यापारी भारत से नेपाल को कड़े बालों का निर्यात कर रहे हैं जहां से उनका अन्य देशों को पुनर्निर्यात किया जाता है और इस प्रकार वे भारत को विदेशी मुद्रा के सम्बन्ध में हानि पहुंचाते हैं। इन शिकायतों की छानबीन की गई परन्तु कोई भी विशिष्ट मामला नहीं पकड़ा जा सका। फिर भी, सावधानी के तौर पर, नेपाल को कड़े बालों के निर्यात को रोकने के लिए पहले ही कार्यवाही की जा चुकी है।

Retrenchment on Western Railway

*337. **Dr. Ram Manohar Lohia :**
Shri Shiva Chandra Jha :
Shri Rabi Ray :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that about forty A. I. O. Ws on the Western Railway are to be retrenched on the ground of economy ;

(b) whether it is also a fact that about one and a half lakh of rupees were spent on their training etc.;

(c) whether Government have examined the possibility of absorbing them on other Railways before taking this action; and

(d) if not, the reasons therefor?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha): (a) Yes, only 29 Assistant Inspectors of Works have been retrenched so far and 5 more are likely to be retrenched shortly.

(b) Yes, about Rs. 1,05,000 has been spent by way of stipend on the training of the 34 Assistant Inspectors of Works.

(c) Yes.

(d) Does not arise.

रेलवे सामान का आयात

*338. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री अ० क० गोपालन :
श्री सी० के० चक्रपाणि :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1965-66 में अमरीका से भारी मात्रा में रेलवे सामान का आयात किया है;

(ख) यदि हां, तो इस अवधि में कुल कितने मूल्य का सामान खरीदा गया ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि इसमें से कुछ सामान देश में ही बनाया जा सकता था; और

(घ) यदि हां, तो इस सामान को बाहर से खरीदने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) और (ख). 1965-66 में अमरीका से रेलवे का जो सामान आयात किया गया उसके लिए विदेशी मुद्रा के रूप में केवल 16.61 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया, जबकि इस अवधि में खरीदे गये सामान की कुल कीमत 329.71 करोड़ रुपये थी ।

(ग) अमरीका से जो उपर्युक्त सामान आयात किये गये थे उनमें वे मद शामिल नहीं थे जिनका उत्पादन आर्डर देने के समय भारत में होता था ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

वेंकटाचलम् समिति

*339. **श्री एस० आर० दामानी :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछड़े हुए क्षेत्रों के लिए विशेष प्रोत्साहनों का सुझाव देने के सम्बन्ध में वेंकटा-

चलम् समिति ने अपनी सिफारिशें दे दी हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त प्रतिवेदन पर विचार कर लिया गया है और यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस प्रतिवेदन के कब तक प्रस्तुत किये जाने की आशा है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) और (ख). जी, हां । उद्योगों के छिटकाव संबंधी समिति (जिसका सामान्य नाम वेंकटाचलम् समिति है) अपना प्रतिवेदन दिसम्बर, 1961 में दे दिया था जिस समय अन्य सम्बन्धित मंत्रालयों के परामर्श से इस समिति की सिफारिशों पर विचार किया जा रहा था, उसी समय राष्ट्रीय आपात काल की घोषणा कर दी गई थी और यह महसूस किया गया था कि कुछ समय के लिए इस पर और आगे विचार करना स्थगित कर दिया जाय । बाद को चौथी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा बनाते समय योजना आयोग के कहने पर भारत सरकार ने बचत के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम तैयार करने के लिए भिन्न-भिन्न कार्यकारी दलों की नियुक्ति की थी । इस कार्य के एक अंश के रूप में लघु उद्योगों का एक उप-वर्ग नियुक्त किया गया था जिसके अध्यक्ष श्री के० वी० वेंकटाचलम् थे । उस उप-वर्ग ने उद्योगों का विकेन्द्रीकरण करने के लिए उद्योगों का फैलाव करने के सम्बन्ध में अपनी सिफारिशें करने के लिए इस समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार किया ।

इसी बीच योजना आयोग की ग्रामीण उद्योग आयोजन समिति ने दिसम्बर, 1964 में ग्रामीण उद्योगीकरण के लिए प्रोत्साहन सम्बन्धी समिति नामक की नियुक्ति की जिसके अध्यक्ष डा० डी० के० मल्होत्रा संयुक्त सचिव थे । (डा० मल्होत्रा के बाद में संयुक्त राष्ट्र में चले जाने पर इस समिति के अध्यक्ष श्री के० वी० वेंकटाचलम् हो गये थे) इस समिति को चुने हुए ग्रामीण उद्योग परियोजन क्षेत्रों में उद्योगों का विकास करने के लिए अपेक्षित प्रोत्साहन देने पर विचार करना था । समिति ने जून, 1966 में अपनी रिपोर्ट दे दी थी । समिति ने अपनी सिफारिशें देते समय उद्योगों का फैलाव करने वाली समिति की सिफारिशों पर भी विचार किया और इस निष्कर्ष पर पहुंची कि रिपोर्ट में सुझाई गई रियायतों और प्रोत्साहनों को केवल चौथी पंचवर्षीय योजना में 49 ग्रामीण उद्योग परियोजना क्षेत्रों के लघु उद्योगों को मिलने चाहिए । बाद में बनाई गई इस समिति की सिफारिशों पर योजना आयोग द्वारा विचार किया जा रहा है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

औद्योगिक नीति सम्बन्धी संकल्प के अनुकूल न चलना

*340. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान केरल के उद्योग मंत्री के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने यह संकेत दिया है कि औद्योगिक नीति सम्बन्धी संकल्प के अनुसार चलना संभवतः संभव न हो सके;

(ख) क्या राज्य सरकार द्वारा अनुशरण की जाने वाली नई नीति का ब्योरा सरकार को मिल चुका है; और

(ग) केरल सरकार की प्रस्तावित नई औद्योगिक नीति केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक नीति सम्बन्धी समूचे संकल्प के कहां तक अनुरूप होगी ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फख्रुद्दीन अली अहमद): (क) और (ख). कुछ समाचार-पत्रों में प्रकाशित समाचार सरकार की जानकारी में आ गया है जिसके अनुसार कहा जाता है कि केरल के उद्योग मंत्री ने राज्य सरकार की औद्योगिक नीति में परिवर्तन करने की संभावना के बारे में संकेत किया है। बताया जाता है कि उन्होंने नई नीति का ब्योरा बताने से इन्कार कर दिया है जो उनके कथनानुसार अभी सरकार के विचाराधीन है। उक्त समाचार में औद्योगिक नीति संकल्प के बारे में कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। भारत सरकार को इस मामले में और आगे कोई भी जानकारी नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

एक्स-रे ट्यूबों का निर्माण

*341. **श्री प्र० के० देव :** **श्री के० पी० सिंह देव :**
श्री गु० च० नायक : **श्री अ० दीपा :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में सरकारी क्षेत्र में एक्स-रे ट्यूबों के निर्माण का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इसके फलस्वरूप विदेशी मुद्रा की कितनी बचत प्रति वर्ष होगी;

(ग) क्या इस परियोजना के लिए कोई विदेशी सहयोग प्राप्त करने का भी विचार है; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फख्रुद्दीन अली अहमद): (क) जी, हां। मेसर्स भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, बंगलौर का विचार एक्स-रे की ट्यूबें बनाने का है।

(ख) लगभग 47 लाख रु० प्रति वर्ष।

(ग) जी, हां।

(घ) ब्योरों की जांच की जा रही है।

भारतीय रेलों की परिचालन दक्षता

*342 **श्री के० पी० सिंह देव :**
श्री डी० एन० पाटोदिया :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलवे में हाल में अधिक पूंजी लगाये जाने के बावजूद अन्य विकसित देशों की

तुलना में भारतीय रेलों की परिचालन दक्षता तथा गति बढ़ाने में क्या बाधाएं हैं; और

(ख) भारतीय रेलों का परिचालन स्तर सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) और (ख). एक बयान सभा-पटल पर रख दिया गया है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०**-311/67]

खेत्री तांबा परियोजना

*343. **श्री डी० एन० पाटोदिया :**
श्री एन० के० सोमानी :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुछ वर्ष पहले प्रारम्भ में खेत्री तांबा परियोजना पर कितना पूंजीगत व्यय होने का अनुमान लगाया गया था और अब इस परियोजना के लिए कितने पूंजीगत व्यय का नवीनतम अनुमान लगाया गया है;

(ख) प्रारम्भ में इस परियोजना को पूरा करने में कितना समय लगने का अनुमान था और इस परियोजना को पूरा करने के लिए अब सरकार कितना समय आवश्यक समझती है;

(ग) यदि परियोजना को पूरा करने में अधिक समय लगने की संभावना है, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या पूंजीगत व्यय को ध्यान में रखते हुए परियोजना के पूरा होने पर अनुमानित कुल उत्पादन आर्थिक दृष्टि से लाभदायक समझा गया है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० एम० चेन्ना रेड्डी): (क) 1962 में अनुमान लगाया गया था कि 21,000 टन तांबा प्रतिवर्ष उत्पादन के लिए बनाई गई खेत्री तांबा परियोजना पर पूंजी की लागत 24.44 करोड़ रुपये होगी ।

अनुमान लगाया गया है कि बढ़ाई हुई परियोजना, जिसके अन्तर्गत गंधक के तेजाब और उर्वरक प्लांट के साथ-साथ 31,000 टन तांबा धातु प्रतिवर्ष (21,000 टन खेत्री से तथा 10,000 टन कोलिहान अयस्क से) उत्पादित होगा, पर संशोधित पूंजी की लागत 73.52 करोड़ रुपये होगी ।

(ख) इस परियोजना को पहले 1966 तक पूरा करने का प्रस्ताव था । अब आशा है कि 1969-70 के अन्त तक यह चालू की जा सकेगी ।

(ग) परियोजना की विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विदेशी ऋण के प्राप्त न होने के कारण परियोजना के सम्पन्न होने में देरी हुई । इसके अतिरिक्त, यह भी निश्चय किया गया कि परियोजना की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए इस परियोजना की परिधि का विकास किया जाय तथा उप-पदार्थों को फिर से प्राप्त करने और काम में लाने की भी व्यवस्था की जाए ।

(घ) ताबां धातु की कमी, देशीय उत्पादन को बढ़ाने का महत्व तथा धातु के चल रहे दामों को ध्यान में रखते हुए यह परियोजना संशोधित पूंजी की लागत पर भी कम खर्चे वाली समझी जाती है।

रेलगाड़ी में विधान-सभा (उत्तर प्रदेश) के एक सदस्य का गोली से मारा जाना

*344. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

श्री राम किशन गुप्त :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 16 मार्च, 1967 को प्रतापगढ़ से तीन मील की दूरी पर भूपिया मऊ रेलवे स्टेशन के निकट एक रेलगाड़ी में उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य श्री दरबारीलाल को गोली मार दी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) चलती रेलगाड़ियों में होने वाली इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिये सरकार का विचार क्या उपाय करने का है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां।

(ख) 16-3-67 को विधान सभा सदस्य, श्री दरबारी लाल अपने एक मित्र के साथ, जो कि एक स्थानीय स्कूल के प्रिंसिपल हैं, इलाहाबाद से 357 अप गाड़ी से 10.35 बजे रात को रवाना हुए। वे तीसरे दर्जे के डिब्बे में सो रहे थे। ज्योंही गाड़ी भूपिया मऊ स्टेशन से रवाना हुई, लगभग 00.30 बजे खतरे की जंजीर खींच कर उसे रोक लिया गया। कुछ व्यक्ति डिब्बे में दाखिल हुए और उन्होंने श्री दरबारीलाल पर तीन बार गोली चलायी। हत्यारे गाड़ी से उतर गये और अंधेरे में खेतों में गायब हो गये। श्री दरबारीलाल को प्रतापगढ़ स्टेशन पर लाया गया और चिकित्सा सम्बन्धी सहायता के बाद उन्हें सिविल अस्पताल भेज दिया गया, जहां दुर्भाग्य से उनकी मृत्यु हो गयी।

(ग) रेलवे परिसर में कानून और व्यवस्था कायम रखना, रेल परिसम्पत्ति और यात्रियों तथा रेल कर्मचारियों के जान-माल की संरक्षा और सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार और राज्य सरकार की रेलवे पुलिस की है। आवश्यकतानुसार विभिन्न स्तरों पर उनसे निकट सम्पर्क कायम रखा जाता है।

निर्यात प्रधान कताई मिल

*345. **श्री वासुदेवन नायर :**

श्री सी० जनार्दनन :

श्री पी० सी० अदिचन :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र द्वारा प्रायोजित निर्यात प्रधान कताई मिलों की स्थापना के स्थानों के

बारे में अन्तिम रूप में कोई निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिये कौन-कौन से स्थान चुने गये हैं ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) तथा (ख). केन्द्र द्वारा प्रायोजित निर्यात-प्रधान कताई मिलों के स्थान के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

पूर्वी यूरोप के देशों के साथ व्यापार

*346. **श्री रा० बरुआ** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के महीनों में पूर्वी यूरोप के देशों के साथ भारत का व्यापार काफी कम हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो गिरावट की इस प्रवृत्ति को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, नहीं । अगस्त, 1966 से व्यापार में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है, यद्यपि नवम्बर में कुछ गिरावट आई, जैसा कि संलग्न विवरण से स्पष्ट है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०**-312/67] यह गिरावट आकस्मिक मानी जा सकती है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

All India Ticket Checking Staff Council

*347 **Shri Mohan Swarup** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the All India Ticket Checking Staff Council has demanded a raise in their salaries and grant of Night Duty Allowance ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes, Sir. Certain Resolutions passed by All India Conference of Ticket Checking Staff have been received.

(b) The existing scales of pay allotted to the Ticket Checking Staff are those recommended by the Second Pay Commission and are commensurate with the duties and responsibilities attached to the posts in their various grades. There is, therefore, no justification for revising them.

As regards grant of Night Duty Allowance, as a result of discussions with organised labour, certain decisions have been taken and will be implemented shortly.

दक्षिण रेलवे में रेलवे-रेस्तरां

*348. **श्री ए० श्रीधरन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दक्षिण रेलवे में सभी रेलवे-रेस्तरांओं को विभाग द्वारा चलाये जाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) क्या यह सच है कि दक्षिण रेलवे के ओलवक्कोट डिवीजन में रेलवे-रेस्तरांओं के बारे में बार-बार शिकायतें होती हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं।

(ख) संभवतः माननीय सदस्य का आशय उन भोजनालयों से है जिनका संचालन ओलवक्कोट मंडल में रेलवे विभाग द्वारा किया जा रहा है। ईरोड, कोयम्बटूर और एरणाकुलम स्टेशनों पर तीन शाकाहारी भोजनालय हैं, जो विभागीय प्रबन्ध के अधीन हैं। 1966 में इन भोजनालयों के सम्बन्ध में क्रमशः 6, 3 और 3 शिकायतें मिली थीं।

(ग) इन सभी शिकायतों की जांच की गयी थी और प्रत्येक मामले में जो कर्मचारी जिम्मेदार पाये गये उनके विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की गयी थी। खान-पान का अच्छा स्तर सुनिश्चित करने के लिये पर्यवेक्षण भी कड़ा कर दिया गया है।

कपड़ा उद्योग

750. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :**
डा० रानेन सेन :
श्री जे० एम० बिस्वास :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वह कपड़ा उद्योग को पेश आ रही समस्याओं के बारे में कपड़ा उद्योग तथा कपड़ा उद्योग के श्रमिकों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करते रहे हैं ; और

(ख) कपड़ा उद्योग में स्थिति को और अधिक खराब न होने देने के लिये उन्होंने क्या उपाय सोचे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) तथा (ख). जी, हां। हाल ही में कपास से सम्बद्ध सभी हितों के साथ जो बातचीत की थी उसके परिणामस्वरूप निम्नलिखित कार्यवाही पहले ही की जा चुकी है या करने का विचार है :

(1) उस अध्यादेश को, जो दिसम्बर, 1966 में प्रख्यापित किया गया था, अधिनियम में परिवर्तित करने के लिये एक विधेयक अभी हाल ही में संसद् में पुरःस्थापित किया गया है। कपास की, जिसकी पूर्ति कम है, बचत करने के उद्देश्य से यह अध्यादेश केन्द्रीय सरकार और उसके अधिकारियों को हमारे मिलों की मशीनों को अनिवार्यतः कम चलाने के लिए अधिकार देता है।

(2) देशी तथा विदेशी दोनों प्रकार की कपास की सीमित उपलब्ध मात्रा के व्यवस्थित और न्यायपूर्ण वितरण को सुनिश्चित करने के लिए पहले ही कार्यवाही की जा चुकी है। इस कार्यवाही में, वस्त्र आयुक्त द्वारा दिये गये परमिटों के अधीन कपास को लाने-ले जाने का विनियमन,

मिलों द्वारा कपास के स्टाक को रखने की अधिकतम सीमा का नियतन और जहां आवश्यक तथा व्यवहार्य हो कपास संभरण का अधिग्रहण शामिल है।

(3) विदेशी कपास की अतिरिक्त मात्रा आयात करने की सम्भावनाओं पर भी विचार किया जा रहा है।

महाराष्ट्र में एल्यूमीनियम कारखाने की स्थापना

751. **श्रीमती शारदा मुकर्जी :** क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र में सरकारी क्षेत्र में एक एल्यूमीनियम कारखाना स्थापित किया जाना है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कारखाने के स्थान के बारे में निर्णय कर लिया गया है ; और

(ग) कारखाने की अनुमानित लागत कितनी है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० एम० चेन्ना रेड्डी) : (क) हां, महोदय।

(ख) पश्चिमी जर्मनी की परामर्श देने वाली फर्म मैसर्स वैरिगनाइट एल्यूमीनियम वर्क के विशेषज्ञ दल के परामर्श से स्थान निश्चित करने के विभिन्न कारकों जैसे तकनीकी लाभ, परिवहन क्षमता तथा सुगमता और पूंजी तथा परिचालन व्यय आदि के विषय में विचार करने के बाद, परामर्शदाताओं को, पश्चिमी तट में रतनगिरि की परियोजना की स्थिति मानकर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिये कहा गया था। परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और उस पर विचार हो रहा है।

(ग) पश्चिम जर्मनी के परामर्शदाताओं का अनुमान है कि इस परियोजना पर 76.09 करोड़ रुपये (जिसमें 5.19 करोड़ रुपये नगर स्थापना के लिए शामिल हैं) की लागत आयेगी। लागत के अनुमान ऊंचे प्रतीत होते हैं और उन्हें उपयुक्त रूप से संशोधित करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

जादूपुर गांव में यात्री रेलगाड़ी रुकने की व्यवस्था

752. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भुवनेश्वर (दक्षिण-पूर्व रेलवे) के निकट जादूपुर गांव के लोगों की ओर से वहां पर एक यात्री रेलगाड़ी के रुकने की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी इस मांग को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां।

(ख) इस प्रस्ताव की जांच की गयी थी, लेकिन पर्याप्त औचित्य न होने के कारण इसे स्वीकार नहीं किया जा सका।

Level Crossings at Itarsi Junction

*753 **Shri Nitiraj Singh :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether there are two level crossings at Itarsi junction of the Central Railway in the City area ;

(b) whether the aforesaid two level crossings are inside the distant signals near the Railway Station ;

(c) whether passengers and vehicles plying on the road have to wait for a long time due to Railway traffic and shunting on both of those crossings ;

(d) whether Government propose to construct bridges over these crossings in view of the difficulties stated above ; and

(e) if so, when ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes.

(b) Yes.

(c) Yes.

(d) and (e). A proposal for construction of a road overbridge in replacement of the existing level crossing on Itarsi-Jhansi Section has already been sanctioned. Work on the bridge proper will be commenced by the Railway after the road is temporarily diverted by the State Government.

There is no proposal so far from the State Government for a road overbridge in replacement of the other level crossing in the City, on Itarsi-Jabalpur Section.

Running of Trains on Itarsi-Jabalpur Section

754. **Shri Nitiraj Singh :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether all passenger trains in Itarsi-Jabalpur Section of the Central Railway, with the exception of one UP, one Down and one Mail train, run daily during night-time only ;

(b) whether Government are aware of the inconvenience caused to the passengers of this area on account of the night running of trains ; and

(c) if so, the action proposed to be taken to remove the inconvenience to the passengers ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) to (c). Six pairs of trains including 41/42 Bi-weekly Janata Expresses, are, at present, available on Jabalpur-Itarsi section. Of these, three trains viz., 389 Passenger, 7 Bombay-Culcutta via Allahabad Mail and 41 Bi-weekly Janata Express, provide day-time services from Itarsi to Jabalpur, and two trains, viz., 390 Passenger and 42 Bi-weekly Janata Express, provide similar service in the return direction. Introduction of an additional train on Itarsi-Jabalpur section is already under Railways' consideration and such action, as is operationally feasible and justified, will be taken as soon as resources by way of line capacity and coaching stock are available.

Sheds on Platform at Stations on Itarsi-Jabalpur Section

755. **Shri Nitiraj Singh :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether double railway line has been provided between some stations on the Itarsi-Jabalpur section of the Central Railway ;

(b) whether UP and Down trains stop on separate platforms as a result thereof;

(c) whether sheds have been provided on the stations where both the platforms are being used for the protection of the passengers from sun and rain;

(d) if not, the reasons therefor; and

(e) when the sheds are likely to be constructed?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha): (a) and (b). Yes.

(c) to (e). As a result of doubling of certain sections, cover over platforms is being provided only at stations where justification for the same exists. The work at one such station has been completed while the work at four other stations will be completed in stages from October, 1967 to March, 1968.

Derailment at Maharajpur Station

756. **Shri Ram Singh Agarwal:**
Shri Hukam Chand Kachwai:

Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some bogies of the Delhi-bound Upper India Express got derailed recently at Maharajpur Station, 345 kilometres away from Sealdah;

(b) if so, the causes of the accident; and

(c) the extent of loss of life and property?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha): (a) Presumably the reference is to the derailment of Upper India Express at Maharajpur station—337.27 kilometres from Sealdah—on 22.3.1967. In this accident 3 bogies, 3rd to 5th from the engine, derailed while the train was entering the loop line of the station.

(b) The cause of this accident is under investigation.

(c) No one was killed or injured. The cost of damage to railway property was estimated at approximately Rs. 2,550/.

चामराजनगर तथा सत्यमंगलम के बीच रेलवे लाइन

757. **श्री सिद्द्य्या :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर तथा मद्रास राज्यों की सरकारों ने केन्द्रीय सरकार को सिफारिश की थी कि चामराजनगर तथा सत्यमंगलम के बीच रेलवे लाइन का निर्माण-कार्य दूसरी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया जाना चाहिए;

(ख) क्या दोनों राज्य सरकारों ने पुनः सिफारिश की थी कि इस लाइन को चौथी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया जाये ;

(ग) क्या केन्द्रीय परिवहन बोर्ड ने भी 1952 में इस लाइन के निर्माण के लिये सिफारिश की थी ;

(घ) क्या दो मार्गों, एक चामराजनगर से मेट्टुपालयम तक और दूसरा चामराजनगर से कोयम्बटूर तक के बारे में वर्ष 1948-49 में किये गये यातायात तथा इंजीनियरिंग सर्वेक्षण से यह स्पष्ट हो गया था कि चामराजनगर-कोयम्बटूर लाइन आर्थिक दृष्टि से अधिक लाभप्रद सिद्ध होगी और उसका निर्माण किया जा सकता है ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त लाइन को चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने का है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां।

(ख) केवल मैसूर सरकार ने चौथी योजना में इस लाइन के निर्माण की सिफारिश की है।

(ग) केन्द्रीय परिवहन बोर्ड ने 1952 में यह सिफारिश की थी कि उत्तरी और दक्षिणी मीटर लाइनों की खाई पाटने के लिए खण्डवा-हिंगोली रेल-सम्पर्क के साथ-साथ चामराजनगर-कोयम्बटूर लाइन का निर्माण किया जाये।

(घ) जी हां, लेकिन वित्तीय दृष्टि से दोनों मार्गों का औचित्य सिद्ध नहीं हुआ।

(ङ) जी नहीं। उत्तरी और दक्षिणी मीटर लाइनों के बीच कड़ी के रूप में चामराजनगर-सत्यमंगलम लाइन बनाने के बारे में विचार किया गया था। लेकिन चामराजनगर-कोयम्बत्तूर मेट्टुपालयम की अपेक्षा बेंगलूरु-सैलम वैकल्पिक रेल-सम्पर्क को अधिक अच्छा समझा गया और इस पर निर्माण-कार्य शुरू कर दिया गया और काम जारी है।

दक्षिण-पूर्व रेलवे के खुरदा डिवीजन में छात्रवृत्तियां

758. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण-पूर्व रेलवे के खुरदा डिवीजन में कर्मचारी लाभ निधि में से 1962-63, 1963-64, 1965-66 तथा 1966-67 में कितनी छात्रवृत्तियां दी गई थीं ;

(ख) क्या 1967-68 के लिए छात्रवृत्तियों की संख्या बढ़ा दी गई है ; और

(ग) यदि हां, तो कितनी वृद्धि की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) 1962-63 में 18

1963-64 में 29

1965-66 में 28 और

1966-67 में 28

(ख) यह इस बात पर निर्भर करेगा कि छात्रवृत्तियों के लिए कितने आवेदन-पत्र आते हैं। अभी आवेदन-पत्र नहीं मांगे गये हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

उर्वरक कारखाना, नेवेली

759. **श्री सेझियान : क्या इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 13 फरवरी, 1967 को नेवेली में उर्वरक कारखाने में लिग्नाइट के चूरे में आग लग गई थी ;

(ख) यदि हां, तो जान और माल की कितनी हानि हुई ;

(ग) क्या आग लगने के कारणों और वहां पर उपलब्ध आग को रोकने के उपायों के बारे में जांच की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो जांच के बाद सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० एम० चेन्ना रेड्डी) : (क) हां, महोदय ।

(ख) दो कर्मचारी—एक जूनियर प्लांट मैनेजर तथा एक अर्ध-निपुण कार्यकर्ता—दुर्घटना से मर गये । जायदाद को कोई हानि नहीं हुई ।

(ग) और (घ). मद्रास सरकार के फैक्टरी निरीक्षणालय तथा नेवेली लिग्नाइट निगम द्वारा स्थापित एक विशेष समिति ने इस विषय में छानबीन की है । निरीक्षणालय की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है, समिति की सिफारिशों पर निगम विचार कर रहा है । तथापि तुरंत उपाय के रूप में निगम ने गैस प्लांट के शोषक स्टैक में कुछ व्यवस्थापन कर दिया है जिससे आशा है कि इस प्रकार की दुर्घटनाएं दोबारा न होंगी ।

पैसैंजर कारों का निर्माण

761. **श्री सेझियान** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में पैसैंजर कारों के निर्माण से संबंधित विस्तार कार्य में कटौती का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और कितनी कमी करने का निर्णय किया गया है ; और

(ग) देश में पैसैंजर कारों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) पैसैंजर कारों का निर्माण करने के लिये अतिरिक्त क्षमता किस प्रकार स्थापित की जानी चाहिये इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

Accident at Luckeesarai Station

762. **Shri Madhu Limaye :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the report of investigation into a very serious accident that took place at Luckeesarai Station (Eastern Railway) on the 24th November, 1966 has since been received by Government ; and

(b) whether Government propose to reconstruct the railway station and the railway track nearby ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Presumably, the reference is to the accident which took place at Luckeesarai Station on the 24th October, 1966. The Commissioner of Railway Safety who held an enquiry into this accident, has submitted his preliminary report, in which he has held that the accident was caused by the prospective rail travellers attempting to cross the line in the face of the approaching train at the last moment instead of using the foot-overbridge provided for crossing the lines safely.

(b) No.

दिल्ली क्षेत्र में बड़े स्टेशन को छोड़ कर सीधी गुजरने वाली रेलवे लाइनें (रेलवे अवार्यडिंग लाइन)

763. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या रेलवे मंत्री 4 नवम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 488 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के बड़े स्टेशन को छोड़कर सीधी गुजरने वाली रेलवे लाइन तथा सम्बन्धित यातायात सुविधाओं की परियोजना किस वर्ष तैयार की गई थी ;

(ख) परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) इन लाइनों पर कब यातायात आरम्भ होने की संभावना है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (ग). इस परियोजना की मंजूरी, जनवरी, 1962 में दी गयी थी, लेकिन इसके काम में पर्याप्त प्रगति न हो सकी। इसका कारण यह था कि जमीन के अधिग्रहण से सम्बन्धित कठिनाइयों को दूर करना पड़ा और काम में पर्याप्त प्रगति कायम रखने में असफल होने के कारण एक ठेकेदार का ठेका खत्म करना पड़ा जिसके फलस्वरूप भी कुछ विलम्ब हुआ। अभी हाल में प्रायः पूरी जमीन पर कब्जा मिल गया है और शेष काम पूरा करने के लिये टेण्डर स्वीकृत किये जा चुके हैं। अब सभी क्षेत्रों में काम पूरी तेजी से हो रहा है।

कुल मिलाकर काम में 52 प्रतिशत प्रगति हुई है और आशा है कि यह परियोजना दिसम्बर, 1968 के अन्त तक पूरी हो जायेगी।

सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं की क्रियान्विति में विलम्ब

764. **श्री च० चु० देसाई :**
श्री रा० बरुआ :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी सहयोगी पक्षों / देशों द्वारा निश्चित समय के अन्दर वह सहायता न दिये जाने के कारण, जिसका उन्होंने वचन दिया था, सरकारी क्षेत्र की कुछ परियोजनाओं की क्रियान्विति में विलम्ब हुआ है अथवा वे परियोजनाएं रोक दी गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो वे परियोजनाएं कौन-कौन सी हैं जिनकी क्रियान्विति में विलम्ब हुआ है और संबंधित विदेशी सहयोगियों के नाम क्या हैं ; और

(ग) सम्बन्धित विदेशी पक्षों / देशों द्वारा किन कारणों से इन परियोजनाओं की क्रियान्विति में देरी की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और वह सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

निर्यात बाजार

765. **डा० कर्णी सिंह :**
श्री एन० के० सोमानी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कारण है कि भारत अपने निर्यात बाजार नहीं बढ़ा सका ;

(ख) किन-किन वस्तुओं के मूल्य विदेशी बाजारों में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते ; और

(ग) क्या किस्म और व्यापार के तरीके भी निर्यात में हमारी असफलता के कारण बने हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) यह कहना ठीक नहीं है कि भारत अपने निर्यात बाजार का विस्तार नहीं कर सका है । तीसरी योजना अवधि के 1961-62 में प्रारम्भ होने वाले पांच वर्षों में भारत से 3812 करोड़ रु० का निर्यात हुआ जो कि पहली दो योजनाओं में किए गए निर्यात से 20 से 25% अधिक था ।

(ख) यद्यपि अवमूल्यन के परिणामस्वरूप बहुत सी वस्तुओं में प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति आ गई है फिर भी कई वस्तुओं जैसे इंजीनियरी सामान, रासायनिक तथा सम्बद्ध उत्पाद, फैरो मैंगनीज, कोयला, चीनी आदि के भारतीय लागत मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों से अब भी ऊंचे हैं ।

(ग) किस्म तथा व्यापार के तरीकों का देश के व्यापार पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है । भारत का लगभग 80 प्रतिशत निर्यात अब किस्म नियंत्रण तथा लदान-पूर्व निरीक्षण के अन्तर्गत किया जाता है जिससे हमारे निर्यातों पर स्वस्थ प्रभाव पड़ रहा है ।

उद्योगों पर अवमूल्यन का प्रभाव

766. **श्री स० चं० सामन्त :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन उद्योगों को छोटे अथवा अन्य, पिछले वर्ष रुपए के अवमूल्यन के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और कठिनाइयों को दूर करने के लिए उन्हें क्या सहायता दी गई है ;

(ख) इनमें से कौन से उद्योग अब भी कठिन परिस्थिति में हैं और किस प्रकार उनकी सहायता की जा रही है ; और

(ग) क्या इनमें से कुछ उद्योग बन्द हो गये हैं अथवा पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहे हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख). उन उद्योगों के नाम जिन पर अवमूल्यन का विपरीत प्रभाव पड़ा है संलग्न सूची में दिए गए हैं (परिशिष्ट 1) । [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०**-313/67] । किन्तु अवमूल्यन का लघु उद्योग पर कोई विशेष विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा। अवमूल्यन के विपरीत प्रभाव को दूर करने के लिए उठाए गए पगों की एक सूची (परिशिष्ट 2) भी संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी०**-313/67]

(ग) जी, नहीं ।

महेश्वरी देवी जूट मिल्स, कानपुर

767. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार महेश्वरी देवी जूट मिल्स कानपुर को अपने कब्जे में ले रही है ;

(ख) यदि नहीं, तो ऐसा न किये जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इन मिलों के कुप्रबन्ध के बारे में कोई जांच की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) मिल की भारी देनदारियों के कारण ।

(ग) 1966 के प्रारूप में एक सरकारी समिति ने मिल के कार्य चालन, इसकी वित्तीय आवश्यकताओं तथा इसकी प्रबन्ध-व्यवस्था में सुधार लाने तथा उसे सुदृढ़ बनाने के लिये अपेक्षित तरीकों की जांच की ।

(घ) समिति ने अपने प्रतिवेदन में यह बताया था कि प्रबन्धक मण्डल, कम्पनी का पुनरुद्धार करके उसे उचित रूप से पुनः नहीं चला सकेगा और यह सिफारिश की थी कि कम्पनी

के कार्यों को किसी सक्षम तथा साख वाले वैकल्पिक प्रबन्धक मण्डल के हाथों में सौंपा जाय। मिल को अन्य पार्टी को पट्टे पर देने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई थी परन्तु दुर्भाग्य से कोई सर्व-सम्मत कारगर हल न निकल सका।

Construction of Overbridge at Simbhooli Railway Station

768. **Shri Prakash Vir Shastri:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether there is a scheme to construct an overbridge between two platforms at Simbhooli Railway Station situated between Hapur and Gajraula;

(b) whether it is a fact that apart from the inconvenience caused to the passengers, students of the two main colleges of the city have also to cross the railway line, entailing constant danger of accidents thereby; and

(c) if so, the time by which the said bridge would be constructed?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha): (a) No.

(b) No inconvenience is caused to passengers, as foot paths connecting the two platforms exist on either end. Students should not trespass through the Railway yard but are expected to cross the railway line through authorized level crossing close-by at a distance of 1000′ from the station towards Ghaziabad end of the yard.

(c) Does not arise.

फतेहपुर से चुरू तक का रेल का किराया

769. **श्री हुकम चन्द कछवाय :** क्या **रेलवे** मंत्री 18 नवम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1721 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फतेहपुर से चुरू तक की यात्रा के लिये जो दुगुना किराया लिया जा रहा था उसे कम करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) यह किराया कब कम किये जाने की सम्भावना है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख). दिसम्बर, 1966 में पुनरीक्षण किया गया था। वर्तमान 100 प्रतिशत वृद्धि से भी 1965-66 में इस लाइन से आर्थिक लाभ नहीं हुआ। इस मामले के सभी पहलुओं की फिर से जांच की जायेगी और जल्द ही कोई निर्णय किया जायेगा।

महेजी स्टेशन के निकट दुर्घटना

770. **श्री हुकम चन्द कछवाय :** क्या **रेलवे** मंत्री 4 नवम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 525 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 21 सितम्बर, 1966 को मध्य रेलवे पर महेजी रेलवे स्टेशन के निकट हुई रेलवे दुर्घटना के कारणों की जांच इस बीच पूरी हो चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में कितने व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है और क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां।

(ख) जांच समिति के निष्कर्ष के अनुसार जब मालगाड़ी नं० डी० बी० आई०-2 अप महेजी स्टेशन पर पहुंच रही थी, तो गाड़ी के इंजन से 21वें नम्बर पर लगाया गया माल से लदा एक माल डिब्बा किलोमीटर 388/7 पर पटरी से उतर कर उलट गया, क्योंकि इसका दाहिना ट्रेलिंग जरनल गर्म हो जाने के कारण टूट गया था। आड़ा खिचाव पड़ने के फलस्वरूप पटरियां टेढ़ी हो जाने की वजह से इसके बाद के 8 माल डिब्बे उलट गए और 8 अन्य डिब्बे पूरी तरह पटरी से उतर गये।

(ग) दुर्घटना यांत्रिक उपस्कर की खराबी के कारण हुई थी जिसके लिए किसी रेलवे कर्मचारी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया।

ब्रजराजनगर स्टेशन पर रेल भिड़न्त

771. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या रेलवे मंत्री 2 दिसम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3004 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रजराजनगर स्टेशन पर दो मालगाड़ियों की टक्कर होने के कारणों का पता लगाने के लिये की जा रही जांच पूरी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें कितना समय लगने की सम्भावना है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां।

(ख) जांच समिति के निष्कर्ष के अनुसार दुर्घटना का कारण यह था कि नं० 770 डाउन मालगाड़ी के ड्राइवर ने खतरा-सूचक आदान सिगनलों की अवहेलना की और गाड़ी को नियंत्रित करने में वह असफल रहा जिसके लिए उसके विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाई की जा रही है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

स्टेशन-मास्टरों की हड़ताल

772. **श्री हुकम चन्द कछवाय** :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिसम्बर, 1966 में स्टेशन मास्टरों ने अपनी मांगें मनवाने के

लिये हड़ताल की थी जिसके परिणामस्वरूप रेलवे यातायात में बहुत गतिरोध हो गया था;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या थीं; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता।

लखनऊ की कैरेज तथा वैगन वर्कशाप में हुई दुर्घटना

773. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या **रेलवे** मन्त्री 18 नवम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1698 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 22 जून, 1966 को लखनऊ की कैरेज तथा वैगन वर्कशाप में हुई घटना के कारणों की जांच इस बीच पूरी हो चुकी है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) उसके कारण जान और माल की कितनी हानि हुई ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) 22 जून, 1966 को कोई दुर्घटना नहीं हुई। आलमबाग (लखनऊ) कारखाने में दुर्घटना 26 अक्तूबर, 1966 को हुई थी।

जांच समाप्त हो गयी है।

(ख) वायवीय पाइप लाइन में विस्फोट हुआ था जिसका प्रत्यक्ष कारण यह था कि पाइप लाइन में तेल और कार्बन युक्त पदार्थ जमा हो गये थे जो अधिक तापमान पर दबी वायु के सम्पर्क में आने से प्रज्वलित हो उठे।

(ग) लुहारखाने की भट्ठी से निकली हुई तेज लपटों और पाइप लाइन के गर्म झोंके से 23 व्यक्ति जलकर जख्मी हो गये। इनमें से 12 व्यक्तियों को प्राथमिक चिकित्सा के बाद छोड़ दिया गया और 11 को अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। इनमें से एक व्यक्ति बाद में अपने जख्मों के कारण मर गया। रेल-सम्पत्ति को लगभग 9,420 रुपये की हानि होने का अनुमान है।

रूस की सरकार से उर्वरकों का आयात

774. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के कृषि उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से रूसी उर्वरकों की सप्लाई के बारे में भारत और रूस की सरकारों के बीच हाल में एक करार हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) तथा (ख). अमोनियम सल्फेट, यूरिया तथा मुरियेट आफ पोटाश के आयात के लिये राज्य व्यापार निगम ने मे० सोयुशप्रोम-ऐक्सपोर्ट, मास्को के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं। मूल्य, मात्रा तथा किस्म, माल की सुपुर्दगी आदि के विषय में ब्योरा इस प्रकार है :

क्रम सं०	उर्वरक का नाम	करार की मात्रा	किस्म	सुपुर्दगी	पैंकिग	कुल मूल्य
						रु०
1	अमोनियम सल्फेट	1,70,000 मे० टन	21% नाइट्रोजन	जून-दिसम्बर 1967 की अवधि में।	शुद्ध 45 किलो के बोरों में।	6,36,95,600
2	यूरिया	41,500 मे० टन	46% नाइट्रोजन	दूसरी तिमाही, 67-6500 मे० टन तीसरी तिमाही, 67-15,000 मे०टन चौथी तिमाही, 67-20,000 मे०टन विक्रेताओं को इससे पहले लदान करने का अधिकार होगा	शुद्ध 36 किलो तथा 40 किलो के बोरों में	2,75,65,960
3	मुरियेट आफ पोटाश	30,000 मे० टन	कम से कम 60% पोटाशियम मोनोक्साइड	जून-दिसम्बर 1967 की अवधि में विस्तृत	माल थोक रूप में भेजा जायेगा	82.55 लाख जहाज तक निःशुल्क

हथकरघा व्यापार शिष्ट-मण्डल

775. **श्री एस० के० सम्बन्धन** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आस्ट्रेलिया समेत सुदूरपूर्व के देशों को कोई हथकरघा व्यापार शिष्ट-मण्डल भेजा गया था; और

(ख) यदि हां, तो क्या मद्रास से इस शिष्ट-मण्डल में हथकरघा के किसी निर्यातकर्त्ता को सम्मिलित किया गया था ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) तथा (ख). मद्रास राज्य सरकार के उद्योग विभाग के सचिव श्री टी० एन० लक्ष्मीनारायणन के नेतृत्व में एक पांच-सदस्यीय

शिष्ट-मण्डल ने 23 जनवरी तथा 11 फरवरी, 1967 के बीच आस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और मलयेशिया का दौरा किया था। शिष्ट-मण्डल में नेता के अतिरिक्त निम्नलिखित सदस्य थे :

1. श्री वी० के० दर, हथकरघा निदेशक, आंध्र प्रदेश सरकार।
2. श्री वी० वी० रमन, निर्यात संवर्द्धन अधिकारी, अखिल भारतीय हथकरघा वस्त्र सहकारी समिति लि० बम्बई।
3. श्री डी० एन० सर्राफ, महा प्रबंधक, भारतीय हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम, नई दिल्ली।
4. श्री एम० एस० ए० मजीद, सदस्य, प्रशासन समिति, हथकरघा निर्यात संवर्द्धन परिषद, मद्रास।

2. अतः इससे स्पष्ट है कि मद्रास का प्रतिनिधित्व दो व्यक्तियों—शिष्ट-मण्डल के नेता तथा श्री मजीद ने किया था।

हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात संघ, मद्रास

776. **श्री एस० के० सम्बन्धन** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात संघ, मद्रास तथा इसकी शाखाओं को, जिनमें विदेश स्थित शाखाएं भी शामिल हैं; यदि ऐसी कोई शाखाएं हैं; चलाने के लिये कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों और अन्य खर्चों पर कुल कितना धन व्यय होता है;

(ख) वर्ष 1965 और 1966 में (एक) हथकरघे के माल तथा (दो) हस्तशिल्प की वस्तुओं का कुल कितना निर्यात किया गया; और

(ग) उपर्युक्त अवधि में कितनी हानि अथवा लाभ हुआ ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) से (ग). संभवतः निर्देश नई दिल्ली में स्थित भारत के हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम नई दिल्ली की ओर है, जिसके न्यूयार्क, मोन्ट्रियल तथा हम्बर्ग में स्थित तीन विदेशी कार्यालयों के अतिरिक्त एक शाखा कार्यालय मद्रास में तथा एक प्रादेशिक कार्यालय कलकत्ता में है।

भाग (क) से (ग). के संबंध में जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-314/67]

रुई कातने के कारखाने

777. **श्री एस० के० सम्बन्धन** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास राज्य में तीसरी पंचवर्षीय योजना में गैर-सरकारी क्षेत्र में रुई कातने के कितने कारखाने स्थापित करने का विचार था; और

(ख) रुई कातने के उन कारखानों की संख्या कितनी है जिन्होंने (एक) उत्पादन आरम्भ कर दिया है; (दो) जिनका निर्माण-कार्य अभी चल रहा है; तथा (तीन) जिनका निर्माण-कार्य अभी नहीं हुआ है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) तथा (ख). मद्रास राज्य में तीसरी पंचवर्षीय योजना में गैर-सरकारी क्षेत्र में रुई कातने के नये कारखानों की स्थापना के लिये 12 लाइसेंस दिये गये थे। किसी भी कताई मिल में अभी तक उत्पादन शुरू नहीं हुआ है। फिर भी 10 लाइसेंसों के सम्बन्ध में मिलों की स्थापना के लिये प्रभावी कार्यवाही की गई है। बाकी 2 लाइसेंसों के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

नेशनल कोल डेवलपमेंट कारपोरेशन

778. **डा० प० मण्डल :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्षों की तुलना में वर्ष 1965-66 में नेशनल कोल डेवलपमेंट कारपोरेशन की कोयला खानों के कार्य की स्थिति का ब्योरा क्या है;

(ख) कोयला खानों में कोयले की औसतन उत्पादन लागत तथा कोयले के विक्रय का औसतन मूल्य क्या है; और

(ग) यदि कोई हानि हुई है तो उसको दूर करने अथवा कम करने अथवा लाभ बढ़ाने के लिये क्या प्रस्ताव किये गये हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) 1965-66 वर्ष के दौरान निगम ने 61,76,392 रुपये का लाभ कमाया जबकि 1964-65 में उसे 1.71 करोड़ रुपये का घाटा उठाना पड़ा था। 1965-66 में कुल उत्पादन 9.65 मिलियन टन था जबकि इसके मुकाबले में 1964-65 से उत्पादन 8.24 मिलियन टन था। इसके और विस्तार राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की 1965-66 की वार्षिक रिपोर्ट में दिये गये हैं। यह रिपोर्ट 29-3-67 को सदन की मेज पर रखी गई थी।

(ख) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम बहुत सी आगम कोयला खानें चला रही है और एक खान में उत्पादन की लागत दूसरी खान में उत्पादन की लागत से भिन्न है। उत्पादन की औसतन लागत बताना लोक हित में नहीं होगा। तथापि 1965-66 वर्ष के दौरान निगम द्वारा उत्पादन किये गये कोयले के विक्रय की औसतन कीमत 25.29 रुपये प्रति टन थी।

(ग) निगम द्वारा निम्नलिखित सुधार के उपायों के परिणामस्वरूप निगम 1964-65 वर्ष के दौरान उत्पादन बढ़ा सका है और लाभ कमा सका है :

1—विक्रय के विशेष अभियान।

2—उतना ही उत्पादन करना जिसका विक्रय हो सके ।

3—यथासम्भव मितोपभोगी तथा मितव्ययी उपायों से खर्च कम करना ।

4—जो सिविल निर्माण-कार्य स्थगित किये जा सकते हैं, उनको स्थगित करना ।

5—संग्रहीत पदार्थों तथा अतिरिक्त पुर्जों के जमा रखने की मात्रा की कड़ी जांच करना ताकि जो आवश्यकता से अधिक हो उसका भुगतान किया जा सके । ताजा आये हुये माल को भी तालिका बनाकर नियंत्रण रखने की पद्धति अपना कर विनियमित किया जाता है ।

इस्पात संयंत्रों से गंधक की प्राप्ति

779. **डा० पी० मंडल :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस्पात संयन्त्रों और आसाम के कोयले से गन्धक प्राप्त करने की सम्भावनाओं के बारे में अध्ययन पूरा कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो अध्ययन के परिणामों का ब्योरा क्या है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) नहीं, महोदय ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मैसर्स अशोका मार्केटिंग लिमिटेड

780. **श्री मधु लिमये :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मैसर्स अशोका मार्केटिंग लिमिटेड के वर्ष 1965-66 के संतुलन-पत्र तथा पटसन की वस्तुओं के सम्भरण के बारे में विदेशी खरीदारों के दावों पर लेखा परीक्षण द्वारा दी गई टिप्पणियों की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या इन दावों के समंजन के लिये भारत के रिजर्व बैंक की अनुमति ली गई है;

(ग) क्या यह सच है कि इस कम्पनी के लेखा परीक्षक मैसर्स एम० एस० सिंघी एण्ड कम्पनी ने इस समंजन का विरोध किया है और त्याग-पत्र दे दिया है;

(घ) क्या मैसर्स अशोका मार्केटिंग लिमिटेड ने अपने संतुलन-पत्र में 2,80,000 रुपये की वह राशि जमा खाते में दिखाई है जिसका दावा उन्होंने पटसन की वस्तुओं की सप्लाई के बारे में किया था; और

(ङ) क्या मैसर्स अशोका मार्केटिंग लिमिटेड के कार्यों की जांच के आदेश दे दिये गये हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) हां, श्रीमान् । 1964-65 तथा 1965-66 के लेखा परीक्षकों ने अंशधारियों का ध्यान, इन वर्षों में, बट्टे खाते में डाले गये, क्रमशः 21,77,448 तथा 21,57,769 रुपयों की ओर आकर्षित किया था ।

(ख) मार्च, 1965 में कम्पनी ने, रिजर्व बैंक को सूचित किया कि, उनके, 1,215,859 स्टैरलिंग, मूल्य के बिलों का भुगतान, जो जूट कारपेट बैंकिग क्लोथ के निर्यात के थे, उनके अमेरिकन खरीददारों ने, इस तर्क के साथ रोक लिया था कि अन्तिम खरीददारों ने, कुछ माल को, जिसके लिये उन्होंने अग्रिम भुगतान किया था, सदोष पाया था । इस कारण उन्हें 7,33,758 स्टैरलिंग की हानि सहन करनी पड़ी थी । यह मामला एक मध्यस्थ को निर्देशित किया मालूम होता है ।

(ग) सरकार को इस प्रभाव की सूचना नहीं । मैसर्स एच० पी० खण्डेवाल एण्ड कम्पनी 1964-65 के वर्ष के लिये, लेखा परीक्षक थे, मैसर्स सिंघी एण्ड कम्पनी नहीं । श्री खण्डेवाल के निधन के पश्चात्, श्री आर० सिंघी, कुछ अन्य के साथ, मैसर्स एच० पी० खण्डेलवाल एण्ड कम्पनी के साझीदार हो गये । फर्म अपने पुराने नाम से ही अपना व्यवसाय करती रही । अभिलेखों से प्रतीत होता है, कि कम्पनी ने, 1965-66 के वर्ष के लिये मैसर्स गुटगुटिया एण्ड कम्पनी को अपनी साधारण सभा में, नियुक्त किया । लेखा-परीक्षकों की फर्म, मैसर्स गुटगुटिया एण्ड कम्पनी के विधान में, परिवर्तन के परिणामस्वरूप, कम्पनी के निर्देशक मंडल ने, मैसर्स के० एन० गुटगुटिया एण्ड कम्पनी को इस आकस्मिक रिक्तता के कारण लेखा-परीक्षक नियुक्त किया ।

(घ) नहीं, श्रीमान् । कम्पनी ने, उक्त धन की पुनः प्राप्ति के दावे में, मुकद्दमा दायर कर दिया प्रतीत होता है ।

(ङ) कम्पनी अधिनियम की धारा 237 (बी) तथा 249 (1) (ए) के अनुसार, अप्रैल, 1963 में जांच का आदेश हुआ था । जांच में इस कारण प्रगति नहीं हो सकी है, कि कुल लिखित याचिका तथा अपीलें कलकत्ता हाईकोर्ट में अनिर्णीत हैं ।

इस्पात के मूल्य

781. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात उद्योग की इस प्रार्थना पर, कि इस्पात **विश्वजनीन** मूल्यों पर उपलब्ध किया जाये, विचार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा है; और

(ग) इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (ग). निर्यात के इंजीनियरी माल के उत्पादन के लिये, सरकार स्वदेशी लोहे तथा इस्पात को, लन्दन मेटल बुलेटिन में प्रकाशित मूल्यों के छमाही औसत पर आधारित मूल्यों पर उपलब्ध कराने के लिये सिद्धांततः सहमत हो गयी है। इस निर्णय को क्रियान्वित करने के लिये उपायों पर विचार किया जा रहा है।

बोकारो इस्पात कारखाना

782. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री सूपकार :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोकारो इस्पात कारखाने के निर्माण में अब तक कितनी प्रगति हुई है और उस पर कुल कितनी राशि व्यय हुई है; और

(ख) इसमें अनुमानतः किस तिथि को उत्पादन आरम्भ होने की सम्भावना है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० एम० चेन्ना रेड्डी) : (क) स्थल को समतल करने का लगभग 91 प्रतिशत कार्य और साइडिंग के निर्माण का 93 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है। गर्गं बांध के निर्माण का लगभग 93 प्रतिशत काम पूरा हो गया है, यह बांध कारखाने के निर्माण तथा बस्ती के लिए पीने के पानी की पूर्ति करेगा। सोवियत संघ से आने वाले संयन्त्र, उपकरण तथा दूसरे माल के लिए मई 1966 में करार पूर्ण कर दिये गये, तथा देश से प्राप्त किए जाने वाले उपकरण और दूसरे सामान की सूचियां भी बना ली गई हैं। अब तक सोवियत संघ से 10,115 टन के लगभग उपकरण, पाइप आदि आ चुके हैं। कारखाने की विभिन्न इकाइयों के लिए कार्यकारी आलेख (वर्किंग ड्राइंग्स) भी आ रहे हैं। बोकारो स्टील लिमिटेड ने कारखाने के सिविल इंजीनियरी, तथा संरचनात्मक कार्यों के लिए हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्सट्रक्शन लिमिटेड को ठेके दिये हैं। मार्च 1967 के अन्त तक प्रायोजना पर कुल मिलाकर 37.49 करोड़ रुपये खर्च हो चुके थे।

(ख) प्रथम धमन भट्ठी के 1970 के आरम्भ में उत्पादन आरम्भ करने की आशा है और पूर्ण संयंत्र 1971 की पहली तिमाही के अन्त तक चालू हो जायेगा।

अपशिष्ट अभ्रक

783. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत में कितना अभ्रक अपशिष्ट रह जाता है तथा यह खान से निकाले जाने वाले कुल अभ्रक का कितना प्रतिशत है;

(ख) क्या इस अपशिष्ट अभ्रक का किसी प्रकार उपयोग किया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० एम० चेन्ना रेड्डी) : (क) देश में, नष्ट होने वाले अभ्रक की मात्रा के बारे में ठीक-ठीक सूचना प्राप्त नहीं है। तथापि अनुमान है कि कच्चे अभ्रक से अभ्रक की चादरें जैसे पदार्थ बनाते समय लगभग 20,000 से 25,000 टन नष्ट अभ्रक तथा अभ्रक का कचरा प्रतिवर्ष निकल आते हैं। खनन किये गये समस्त अभ्रक में नष्ट होने वाले अभ्रक की प्रतिशतता बहुत बदलती रहती है। आमतौर पर यह प्रतिशतता 60 से 90 तक होती है।

(ख) हां, महोदय।

(ग) वर्तमान समय में नष्ट हुये अभ्रक के प्रयोग यह हैं :

(1) औद्योगिक भट्ठियों में काम आने वाली गर्मी को अलग करने वाली अभ्रक की ईंट बनती है इस विधि का विकास केन्द्रीय कांच तथा सीरेमिक अनुसंधान संस्था, कलकत्ता में किया गया और इसका प्रयोग तीन निजी फर्मों द्वारा वाणिज्य उत्पादन के लिये किया जा रहा है।

(2) रंग बनाने, तेल व्यधन करने, विद्युतद्वार संधान (वैल्डिंग इलेक्ट्रोड), रबड़ और देश के दूसरे उद्योगों में शुष्क भूगर्भ अभ्रक का प्रयोग होता है।

(3) क्षेप्य (सक्रैप) रूप में अभ्रक का निर्यात होता है।

(4) अभ्रक के प्रकीर्ण प्रयोग भी हैं। उदाहरण के तौर पर बाइयोटाइट अभ्रक का आयुर्वेदिक दवाइयों, लांड्री आदि में प्रयोग किया जाता है।

अमागुडा से केसिंगा तक रेलवे लाइन

784. **श्री प्र० के० देव :** **श्री के० पी० सिंह देव :**
श्री गु० च० नायक : **श्री अ० दीपा :**

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी० बी० के० रेलवे परियोजना के अन्तर्गत अमागुडा से केसिंगा तक रेलवे लाइन बिछाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब आरम्भ किये जाने की संभावना है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख). दण्डकारण्य क्षेत्र में उद्योगों के संघटित विकास के सन्दर्भ में अमागुडा से लांजीगढ़ रोड तक एक बड़ी लाइन बनाने के लिए शक्यता एवं लागत अध्ययन किया गया है और सर्वेक्षण रिपोर्टों की जांच की जा रही है। जब

तक रेलवे बोर्ड द्वारा रिपोर्टों की जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक इस परियोजना को चौथी योजना में शामिल करने के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता ।

दुर्गापुर इस्पात कारखाना

785. **श्री सूपकार :** क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दुर्गापुर इस्पात कारखाने के उत्पादन में हुई कमी के बारे में रिपोर्ट देने के लिये श्री जी० पांडे की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी; और

(ख) यदि हां, तो इस समिति की उपपत्तियां क्या हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० एम० चेन्ना रेड्डी) : (क) जी, हां ।

(ख) समिति की अन्तिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है ।

रबड़ का आयात

786. **श्री वासुदेवन नायर** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रबड़ बोर्ड ने इस बात का अभ्यावेदन किया है कि बोर्ड के परामर्श से ही रबड़ के आयात के लिये लाइसेंस दिये जायें; और

(ख) यदि हां, तो इसके संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) जी, हां ।

(ख) आयात किये जाने वाले रबड़ की मात्रा, मोटेतौर पर, देश में उपलब्ध मात्रा तथा भारत में रबड़ के सामान के निर्माताओं द्वारा अपेक्षित मात्रा के बीच के अन्तर पर निर्भर करती है; यह सम्प्रति उपलब्ध विदेशी मुद्रा के साधनों की स्थिति पर भी निर्भर करती है । भारत में प्राकृतिक रबड़ की उपलब्धि के बारे में रबड़ बोर्ड से सदा सलाह ली जाती है; इस पर तथा अन्य उपरोक्त बातों पर विचार करके भारत सरकार यह निश्चय करती है कि कितनी मात्रा में लाइसेंस दिये जायें ।

टेलीविजन सेटों का निर्माण

787. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेलीविजन सेट बनाने के लिये कितने तथा किन-किन फर्मों को लाइसेंस दिये गये हैं अथवा देने का विचार है;

(ख) क्या भारत में दूर नियंत्रण (रिमोट कंट्रोल) वाले टेलीविजन सेट भी तैयार किये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो कहां ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) दो फर्मों अर्थात् कानपुर के मैसर्स जे० के० रेयन लि० और बम्बई के मैसर्स टेलिराड प्रा० लि० के नाम प्रतिवर्ष दस-दस हजार टेलीविजन सेटों का निर्माण करने के लिए आशय-पत्र जारी किये जा चुके हैं। लघु एककों के दो कंसोर्शिया द्वारा प्रतिवर्ष पांच-पांच हजार सेटों का निर्माण करने के बारे में एक तीसरा प्रस्ताव भी सरकार के विचाराधीन है। इन सभी योजनाओं में सेन्ट्रल इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्ट्रीट्यूट, पिलानी द्वारा विकसित देश में उपलब्ध ज्ञान का उपयोग किये जाने का विचार है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

अनन्तनाग (काश्मीर) में भूचाल के झटके

788. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने काश्मीर में अनन्तनाग जिले का, जहां फरवरी, 1967 में 25 बार भूचाल के झटके आये थे, दौरा करने तथा वहां भूचाल आने के कारणों का पता लगाने के लिये विशेषज्ञों का एक दल नियुक्त किया है; और

(ख) यदि हां, तो उन विशेषज्ञों के नाम क्या हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० एम० चेन्ना रेड्डी) : (क) और (ख). हां, महोदय। काश्मीर के अनन्तनाग जिले में हाल ही में आये भूकम्पों की प्रकृति तथा कारणों का विस्तृत अध्ययन करने के लिये भारतीय भौमिकी विभाग के दो अधिकारियों (सर्वश्री जी० एल० वखालू तथा एस० पी० रस्तोगी) के एक दल को लगाया गया है।

भारत में उपलब्ध लौह अयस्क चूरा

789. **श्री रामचन्द्र उलाका** : **श्री खगपति प्रधानी** :
श्री धुलेश्वर मीना : **श्री हीरजी भाई** :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत में कितना लौह अयस्क चूरा उपलब्ध है; और

(ख) इसको किस प्रकार उपयोग में लाने का सरकार का इरादा है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) देश में प्राप्य कच्चे लोहे के चूर्ण की समस्त मात्राओं (जिसमें प्राकृतिक चूर्ण जैसे हैमाटाइट कच्चा लोहा निक्षेपों में विद्यमान बल्यू डस्ट और खनन प्रक्रिया में विशेष रूप से पिण्ड अयस्क के यंत्रीकृत

खनन के दौरान उत्पादित होने वाले चूर्ण शामिल हैं) का विस्तृत अनुमान अभी तक नहीं लगाया गया है। (गोआ में विशेष कोटि के निक्षेप के लिये 1962-63 में भारतीय खान ब्यूरो ने एक प्रारम्भिक निर्धारण किया था जिसके अनुसार गोआ में कच्चे लोहे के चूर्ण के अनुमानित संचय 250 मिलियन टन के स्तर के हैं)।

(ख) कच्चे लोहे के चूर्ण को उपयुक्त अभिपिंडन के बाद इस्पात उत्पादन में प्रयोग किया जा सकता है (बशर्ते कि तकनीकी शक्यता तथा समस्त आर्थिक मूल्यों को ध्यान में रखा जाय)। कच्चे लोहे के चूर्ण के प्रयोग के लिये जमशेदपुर, भिलाई, भद्रावती तथा राउरकेला के इस्पात प्लांटों में सिंटरिंग प्लांटों की स्थापना की गई है। दुर्गापुर के स्टील प्लांट में भी एक सिंटरिंग प्लांट स्थापित किया जा रहा है। बोकारो के प्रस्तावित इस्पात प्लांट के लिये भी कच्चे लोहे के चूर्णों का सिंटरिंग (संपुन्जन) करने का विचार है। बेलादिला (मध्य प्रदेश), कुदरमुख और बेलारी-हास्पत (मैसूर) में कच्चे लोहे के चूर्ण से गुल्लिकाएं बनाने के लिये शक्यता जांच की जा रही हैं। गोआ की एक निजी फर्म ने 0.5 मिलियन टन प्रति वर्ष क्षमता का गुल्लिका बनाने का एक प्लांट स्थापित किया है। 1. 5 मिलियन टन की क्षमता के गुल्लिकाएं बनाने वाले प्लांट के लिये गोआ की एक निजी फर्म की परियोजना रिपोर्ट को अनुमदित कर दिया गया है। गोआ की एक तीसरी निजी फर्म ने भी गुल्लिका बनाने वाले प्लांट को स्थापित करने के बारे में एक परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है। उड़ीसा में इसी प्रकार का गुल्लिका प्लांट लगाने के लिये उपयुक्त कार्यवाही करने के हेतु उड़ीसा की एक फर्म को अभिप्राय-पत्र (लैटर आफ इन्टैंट) दिया गया है।

कपड़ा मिलों को तकुओं का नियतन

790. **श्री खगपति प्रधानी :** **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका : **श्री हीरजी भाई :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में स्थित कपड़ा मिलों को इस वर्ष किया गया तकुओं का नियतन 1967-68 में बढ़ाया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) तथा (ख) . अभी हाल में सूती वस्त्र उद्योग पर से लाइसेंस लेने सम्बन्धी शर्त हटा दी गई है, जब तक की एक कारखाने की कुल कताई क्षमता 25,000 तकुओं से अधिक की न हो। इसको देखते हुए 1967-68 में विभिन्न राज्यों में स्थित कपड़ा मिलों को अतिरिक्त तकुओं के नियतन का प्रश्न ही नहीं उठता।

नमक का उत्पादन तथा निर्यात

791. **श्री खगपति प्रधानी : श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका : श्री हीरजी भाई :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नमक का उत्पादन तथा निर्यात कम हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, नहीं, 1966 में उत्पादन में मामूली कमी और 1965 में निर्यात में मामूली कमी को छोड़कर, 1962 से 1966 की अवधि में नमक का उत्पादन और निर्यात स्थिर रूप में बढ़ता रहा।

(ख) 1966 में उत्पादन की कमी इस कारण हुई कि विभिन्न लवण कारखानों में नमक भारी मात्रा में जमा हो गया था अतः पश्चिमी समुद्री तट और गुजरात राज्य के स्थलीय क्षेत्र के कारखानों ने उत्पादन में स्वेच्छा से कटौती की। इसके अतिरिक्त रासायनिक उद्योगों द्वारा खपत भी प्रत्याशित स्तर पर न पहुंच सकी।

निर्यात में गिरावट के सम्बन्ध में जापान, जो भारतीय नमक का प्रमुख निर्यात बाजार है, गुजरात के सम्बन्ध पत्तनों पर जहाजों को नहीं रखना चाहता था और 1965 के अंतिम महीनों में, जबकि भारत और पाकिस्तान के मध्य अचानक संघर्ष आरम्भ हो गया, जापान ने उन जहाजों को अन्यत्र ले जाने का आग्रह किया जो वहां लादे जा रहे थे।

(ग) राज्य व्यापार निगम और मूल रसायन, भेषज तथा साबुन निर्यात संवर्द्धन परिषद्, न केवल परम्परागत बाजारों को निर्यात बढ़ाने के लिये अपितु विदेशों में अपने दूतावासों के साथ सलाह करके नये निर्यात बाजारों का पता लगाने के लिये भी प्रयत्नशील हैं।

मैंगनीज और लौह अयस्क का उत्पादन

792. **श्री खगपति प्रधानी : श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका : श्री हीरजी भाई :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार और उड़ीसा में मैंगनीज और लौह अयस्क की खानों में उत्पादन घट गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) नहीं, महोदय। पिछले कुछ वर्षों में कच्चे लोहे तथा मैंगनीज अयस्क का उत्पादन बढ़ा है जैसा कि नीचे दिखाया गया है :

टनों में

	1964		1965		1966	
	मैंगनीज	**कच्चा लोहा**	**मैंगनीज**	**कच्चा लोहा**	**मैंगनीज**	**कच्चा लोहा**
बिहार	25,301	3,658,356	31,661	4,262,048	35,025	5,365,816
उड़ीसा	402,525	5,711,149	459,012	6,451,203	509,190	6,721,785

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

उड़ीसा में औद्योगिक सहकारी समितियां

793. **श्री धुलेश्वर मीना** : **श्री खगपति प्रधानी** :
श्री रामचन्द्र उलाका : **श्री हीरजी भाई** :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 31 दिसम्बर, 1966 को उड़ीसा में कितनी औद्योगिक सहकारी समितियां चल रही थीं और उनकी उत्पादन क्षमता कितनी है?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : राज्य सरकार से सूचना इकट्ठी की जा रही है और वह सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

आविष्कार संवर्धन बोर्ड

794. **श्री धुलेश्वर मीना** : **श्री खगपति प्रधानी** :
श्री रामचन्द्र उलाका : **श्री हीरजी भाई** :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-67 में आविष्कार संवर्धन बोर्ड के लिये कितनी राशि का अनुदान मंजूर किया गया था; और

(ख) इसी अवधि में कुल कितनी राशि खर्च की गई और किस प्रकार व्यय की गई?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) 3.10 लाख रु०

(ख) बोर्ड द्वारा 28-2-1967 तक खर्च की गई राशि निम्न प्रकार हैं :

(i)	प्रशासनिक व्यय	1,15,131.35 रु०
(ii)	तकनीकी सहायता और आविष्कार आदि का मूल्यांकन	1,03,388.59 रु०
(iii)	अनुदान के रूप में सहायता	77,453.00 रु०
	योग	2,95,972.94 रु०

उड़ीसा में अम्बर चरखा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

795. **श्री धुलेश्वर मीना :** **श्री खगपति प्रधानी :** **श्री रामचन्द्र उलाका :** **श्री हीरजी भाई :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1966 में उड़ीसा में कितने अम्बर चर्खा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चालू किये गये; और

(ख) इनमें कितने प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया तथा इस अवधि में इन पर कुल कितना धन व्यय हुआ ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) 26 ।

(ख) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में 359 प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों पर 29,410 रुपये खर्च हुए ।

सनफ्राइज्ड कपड़े का आयात

796. **श्री धुलेश्वर मीना :** **श्री खगपति प्रधानी :** **श्री रामचन्द्र उलाका :** **श्री हीरजी भाई :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966 में सनफ्राइज्ड कपड़े के आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई;

(ख) क्या देशी रंगहीन कपड़ा आयातित कपड़े की माग को पूरा कर सकता है; और

(ग) यदि हां, तो इस कपड़े का आयात करने का क्या कारण है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) कुछ भी नहीं ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

काफी का उत्पादन

797. **श्री धुलेश्वर मीना : श्री खगपति प्रधानी :**
श्री रामचन्द्र उलाका : श्री हीरजी भाई :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में काफी का उत्पादन कम हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं तथा सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) जी, नहीं । 1965-66 के 63,350 मैट्रिक टन के उत्पादन की तुलना में 1966-67 में 70,000 मैट्रिक टन का उत्पादन का अनुमान है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Porterage at Delhi Railway Station

798. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the porterage at Delhi Railway Station has been raised ;

(b) whether Government propose to fix uniform porterage on all the Railway Stations; and

(c) if not, the reasons therefor ;

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes.

(b) and (c). No. Porterage charges depend on local conditions, the cost of living and the general level of wages outside, and as such it is not feasible to fix uniform rates at all stations.

Railway Porters at Kota

799. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Railway porters at Kota have been asked to pay for licence badges supplied to them six years ago ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) and (b). According to the extant orders, badges are supplied to the licensed porters by the Railway administrations free of cost, but a small amount is taken as Security deposit, which is refundable when the porters return the badges, etc. and cease to function as licensed porters. As the rule was not strictly enforced at the time the badges were issued to the licensed porters at Kota, the security amount is now being realised from them.

क्लच एसेम्बली तथा इक्विपमेंट का आयात

800. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका से क्लच एसेम्बली तथा इक्विपमेंट के आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या उक्त उपकरणों के निर्माण के सम्बन्ध में भारत आत्म-निर्भर हो गया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग). संयुक्त राज्य अमेरिका सहित सभी देशों से क्लच एसेम्बली तथा इक्विपमेंट के आयात करने की अनुमति सुस्थापित आयातकों को मोटर गाड़ी के हिस्सों के समेकित कोटा लाइसेंस के आधार पर दी जाती है। परन्तु आयात की यह मद स्वदेशी उद्योग की अप्रतिबन्धित आयातों से रक्षा करने के लिये अमरीकी ऋण सहायता के अन्तर्गत नहीं आती।

वस्तुओं के लिये नये प्रमापों का जारी करना

801. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-67 में भारतीय मानक संस्था ने कितने नये प्रमाप जारी किये;

(ख) किन-किन मुख्य वस्तुओं के लिये इन प्रमापों को जारी किया गया;

(ग) कितनी वस्तुओं के लिये प्रमाप अस्वीकृत कर दिये गये; और

(घ) इसी अवधि में कितने आशय-पत्र जारी किये गये ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण नत्थी है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-315/67]

परादीप पतन के पास उद्योग

802. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परादीप पत्तन के पास कुछ बड़े उद्योग स्थापित करने के प्रस्ताव हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और वह यथासमय सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

उड़ीसा में अयस्क के निक्षेप

803. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में मालंगटोली खंड में अयस्क के निक्षेपों से अयस्क निकालने की तथा उसके निर्यात की योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) उस खंड में अयस्क के कितने निक्षेप होने का अनुमान है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) नहीं महोदय ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) इस खंड में अयस्क के संचय 163 मिलियन टन के स्तर के सिद्ध हुए हैं ।

छोटी कारों का निर्माण

804. **श्री च० चु० देसाई :**
श्री रा० बरुआ :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी सहयोग से देश में छोटी कारों का निर्माण करने के बारे में कोई निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पाकिस्तान द्वारा जब्त किया गया जहाज का माल

805. **श्री च० चु० देसाई** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष में पाकिस्तान द्वारा जब्त किये गये जहाज के माल तथा अन्य सम्पत्ति को छुड़ाने के लिये पाकिस्तान के साथ हाल में कोई बातचीत हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

जयनगर से पलेजाघाट के लिये एक रेल-डिब्बा (बोगी)

806. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पलेजाघाट से जयनगर के लिये तथा जयनगर से पलेजाघाट के लिये शाम की गाड़ियों में लगाया जाने वाला डिब्बा अब नहीं लगाया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार का रात की यात्रा के लिये जयनगर तथा पलेजाघाट के बीच शयन-डिब्बों की व्यवस्था करने का विचार है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख). जयनगर और पलेजाघाट के बीच चलने वाले मिले-जुले सीधे सवारी डिब्बे को 1.10.55 से लागू समय सारणी के अनुसार बन्द कर दिया गया था, क्योंकि इससे बहुत कम यात्री सफर करते थे।

(ग) जयनगर और पहलेजाघाट के बीच एक शयन-यान की व्यवस्था करने कोई विचार नहीं है।

नार्थ-ईस्ट फ्रन्टियर रेलवे फार्म्स डिपो, गोहाटी

807. **श्री धीरेश्वर कलिता** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नार्थ-ईस्ट फ्रंटियर रेलवे फार्म्स डिपो को गोहाटी (आसाम) से हटा कर न्यू जलपाईगुड़ी ले जाने का प्रस्ताव है, जैसा कि 7 जनवरी, 1967 को आसाम ट्रिब्यून समाचारपत्र में प्रकाशित हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या नार्थ-ईस्ट फ्रन्टियर रेलवे फार्म्स डिपो के कर्मचारियों ने रेलवे बोर्ड को अभ्यावेदन भेजा है ; और

(घ) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां।

(ख) ऐसा प्रशासी कारणों से किया गया और इससे खर्च में बचत और कार्यकुशलता बढ़ जाने की आशा थी।

(ग) कर्मचारियों ने स्थानीय प्राधिकारियों को एक ज्ञापन दिया है। उन्होंने रेलवे बोर्ड को भी एक तार भेजा है।

(घ) उनकी मांग है कि यथावत स्थिति को कायम रखा जाय। गोहाटी और न्यू जलपाईगुड़ी दोनों डिपों में ही पुस्तकें, फार्म और लेखन-सामग्री रखने के संशोधित प्रस्ताव की सरकार जांच कर रही है।

रेलवे में स्टेनोग्राफर

808. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 22 जनवरी तथा 19 अप्रैल, 1965 को सरकार के आदेश जारी होने से पहले रेलवे में विभिन्न वेतनक्रमों के स्टेनोग्राफरों के पद किस अनुपात से बांटे गये थे ;

(ख) मजदूर संगठनों ने स्टेनोग्राफरों की ओर से क्या-क्या मांगें प्रस्तुत की थीं तथा उपरोक्त भाग (क) में निर्दिष्ट सरकार के आदेशों द्वारा विभिन्न वेतनक्रमों के पदों की संख्या निश्चित किये जाने से ऊंचे वेतनक्रमों में किस सीमा तक सुधार हुआ है ;

(ग) क्या उपरोक्त निर्दिष्ट आदेशों के लागू किये जाने के परिणामस्वरूप रेलवे के सभी खण्डों में ऊंचे वेतनक्रमों के पदों की संख्या में समान वृद्धि हुई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (घ). रेल प्रशासनों से सूचना मंगायी जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

मैसूर में सरकारी उद्योग

809. **श्री के० लकप्पा** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की सूचना मिली है कि मैसूर सरकार कुछ सरकारी उद्योगों को बेचने के लिये बिड़ला उद्योग समूह के साथ बातचीत कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह बात केन्द्रीय सरकार की मान्य नीति के प्रतिकूल नहीं है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कटक और परादीप के बीच रेलवे लाइन

810. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : क्या **रेलवे** मंत्री 4 नवम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 590 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कटक और परादीप के बीच अथवा परादीप को दैतेरी खान से मिलाने के लिये रेलवे लाइन बिछाने की योजनाओं को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो दोनों में से कौन सी रेलवे लाइन बिछायी जा रही है और निर्माण कार्य के कब आरम्भ हो जाने की संभावना है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) अभी तक नहीं। कटक-परादीप रेल सम्पर्क के लिये प्रारम्भिक इंजीनियरिंग और यातायात सर्वेक्षण किये जा रहे हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पूर्व तथा दक्षिण-पूर्व रेलवे में बिजली तथा डीजल से चलने वाली गाड़ियां

811. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व तथा दक्षिण पूर्व रेलवे में 1966 में बिजली तथा डीजल से चलने वाली गाड़ियों की संख्या क्या थी ;

(ख) क्या बिजली तथा डीजल से गाड़ियां चलाने के पश्चात् इन रेलों में कोयले की खपत कम हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो गत पांच वर्षों में कोयले की खपत में कितनी कमी हुई है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ग). एक बयान नत्थी है जिसमें अपेक्षित सूचना दी गयी है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-316/67]

(ख) जी हां।

एकाधिकार जांच आयोग

812. **श्री सूपकार :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एकाधिकार जांच आयोग की कितनी सिफारिशें अब तक क्रियान्वित की जा चुकी हैं ; और

(ख) आयोग द्वारा प्रस्तावित विधान कब पेश किये जाने की संभावना है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख). एकाधिकार जांच आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर, सरकार के निर्णय की रूप रेखा सम्बन्धी एक संकल्प, दिनांक 5 सितम्बर, 1966, सभा के पटल पर, 6 सितम्बर, 1966 को, रख दिया गया था। संकल्प के पैरा 5 से 7 में, सिफारिशों पर अवेक्षित अनुगमन कार्यवाही सूचित है। एक स्थाई सांविधिक आयोग नामांकित 'मानोपोलीज एण्ड रेस्ट्रक्टिव ट्रेड प्रेक्टिसिज, आयोग' की स्थापना के लिए एक विधेयक, जो संकल्प के पैरा 5 तथा 6 में, निर्देशित है, इस

वर्ष के अन्त तक, संसद में, प्रस्तावित होने की सम्भावना है। उपरोक्त निर्देशित संकल्प की प्रतियों, सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों को, इसके पैरा 7 के उप-पैरा (1) से (3) में वर्णित निर्णयों को कार्यान्वित करने को भेज दी गई हैं। इन निर्णयों की क्रियान्वित, तथा उप-पैरा (4) में वर्णित निर्णय, अविच्छिन्न प्रकृति के हैं, तथा, किसी विशिष्ट स्थिति के समाश्वस्त होने पर, प्रभावित होने हैं।

कोयला-खानों के पास गड्ढों में जमा स्टाक

813. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री अ० क० गोपालन :
श्री सी० के० चक्रपाणि :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1967 के पहले सप्ताह में कोयला खानों के पास गड्ढों में कुल कितना स्टाक जमा था ;

(ख) क्या सरकार की दृष्टि में स्टाक की स्थिति असामान्य है ; और

(ग) यदि हां, तो इस स्टाक की स्थिति असामान्य होने के क्या कारण हैं और इसे ठीक करने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) 5.43 मिलियन टन।

(ख) और (ग). पिछले महीने के मुकाबिले में जनवरी 1967 के पहले हफ्ते में कोयलों के मुहानों पर संचयों की वृद्धि हुई है परन्तु इसके मुख्य कारण हैं उत्पादन की अधिकता तथा खाली बैगनों की प्राप्ति में गिरावट जो कि अस्थाई प्रावस्था है।

निर्यात व्यापार

814. **श्री खगपति प्रधानी :** **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका : **श्री हीरजी भाई :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान निर्यात व्यापार का विकास करने के सम्बन्ध में भारतीय नौवहन निगम के प्रस्ताव पर इस बीच विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) तथा (ख). वाणिज्य मंत्रालय को ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं मिला है परन्तु भारतीय नौवहन निगम द्वारा टन-भार में वृद्धि का एक प्रस्ताव परिवहन मंत्रालय के विचाराधीन है।

स्कूटरों और आटो साइकलों का निर्माण

815. **श्री खगपति प्रधानी :** **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका : **श्री हीरजी भाई :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री 2 दिसम्बर, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 631 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्कूटरों तथा आटो-साइकलों के निर्माण के लिये आये आवेदन-पत्रों पर, जो प्रारम्भिक जांच में उपयुक्त पाये गये थे, इस बीच अन्तिम रूप से विचार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय किया गया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) और (ख) . आटो-साइकिलों का निर्माण करने के लिये आवेदनों पर अन्तिम रूप से विचार कर लिया गया है तथा पांच पार्टियों में से प्रत्येक को प्रतिवर्ष 50,000 की क्षमता के लिये एक वर्ष के वास्ते मान्य आशय-पत्र जारी कर दिये गये हैं। स्कूटरों का निर्माण करने के आवेदनों पर और आगे विचार करना फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। इस क्षेत्र में और अधिक कारखानों को लाइसेंस देने के प्रश्न पर अन्तिम रूप से विचार करने से पहले पुर्जों और कच्चे माल के लिये उदार की गई आयात नीति के अधीन विद्यमान कारखानों को दी गई सहायता को ध्यान में रखते हुये इन कारखानों की प्रगति और काम करने के ढंग पर नजर रखने का विचार है।

जाली रेल टिकट

816. **श्री खगपति प्रधानी :** **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका : **श्री हीरजी भाई :**

क्या **रेलवे** मंत्री जाली रेल-टिकटों की बिक्री के बारे में 2 दिसम्बर, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 637 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच जांच पूरी की जा चुकी है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) इस मामले की अभी जांच हो रही है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम का पुनर्गठन

817. **श्री हीरजी भाई :** **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका : **श्री खगपति प्रधानी :**

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री 25 नवम्बर, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 515 उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के पुनर्गठन के प्रश्न पर अब विचार कर लिया

गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी): (क) और (ख). राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के पुनर्गठन पर सरकार ने अन्तिम विचार नहीं किया है। इस विषय का राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के नये नियुक्त हुए अध्यक्ष-तथा-प्रबंध संचालक के परामर्श से परीक्षण हो रहा है।

कपड़ा मिलों का बन्द होना

818. **श्री एस० आर० दामानी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1966 के पश्चात् से कपड़ा मिलों के सप्ताह में एक दिन और बन्द रहने का क्या प्रभाव पड़ा है;

(ख) उसका (एक) कपड़ा मिलों के कार्य तथा (दो) कपड़ा मिलों की लाभ कमाने की क्षमता पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ग) राष्ट्र को तथा खजाने को क्रमशः उत्पादन शुल्क, आयकर तथा बिक्रीकर के रूप में प्राप्त होने वाले राजस्व की कितनी हानि हुई ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) सप्ताह में एक अतिरिक्त छुट्टी के परिणामस्वरूप मिलों द्वारा रुई की खपत में लगभग 75,000 गांठें प्रतिमास की बचत हुई है।

(ख) उत्पादन लागत में लगभग 4-$\frac{1}{2}$ प्रतिशत की वृद्धि बताई जाती है। चूंकि मिल उत्पादन का 60 प्रतिशत भाग सांविधिक मूल्य नियंत्रण से मुक्त है अतः कुल मिलाकर मिलों के लाभ प्राप्त करने पर शायद कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है तथा वह सभा-पटल पर रख दी जायगी।

Rail Link between Lalitpur and Satna Railways Station (C. Rly.)

819. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government are considering a scheme to connect Lalitpur Railway Station (Central Railway) with Satna Railway Junction via Tikamgarh, Chatarpur and Panna for the development of Bundelkhand ; and

(b) if so, whether the construction work thereon would be started during the Fourth Five Year Plan ?

Tha Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) No.

(b) Does not arise.

इरोड से चामराजनगर तक रेलवे लाइन

820. **श्री पी० ए० स्वामीनाथन :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने इरोड से बरास्ता गोबी सत्यमंगलम-चामराजनगर तक एक नई रेलवे लाइन चालू करने के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो यह मामला इस समय किस अवस्था में है; और

(ग) इस योजना को कब क्रियान्वित किये जाने की सम्भावना है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं। लेकिन इस लाइन के चामराज-नगर-सत्यमंगलम भाग का सर्वेक्षण 1948-49 में चामराजनगर-सत्यमंगलम-कोयम्बटूर/मेटुप्पा-लेयम रेल सम्पर्क के एक अंश के रूप में किया गया था।

(ख) और (ग) . चामराजनगर-सत्यमंगलम-कोयम्बटूर/मेटुप्पालेयम रेल सम्पर्क के निर्माण का वित्तीय दृष्टि से औचित्य नहीं पाया गया। उत्तर और दक्षिण की मीटर लाइनों के बीच रेल सम्पर्क स्थापित करने के सन्दर्भ में इस प्रस्ताव पर विचार किया गया था। इस प्रयोजन के लिए बेंगलूरुसेलम लाइन को अपेक्षाकृत अच्छा विकल्प समझा गया और इसका निर्माण-कार्य शुरू किया जा चुका है।

इरोड से जालारपेट तक रेलवे लाइन को दोहरी बनाना

821. **श्री दण्डपाणि :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे में इरोड और जालारपेट के बीच रेलवे लाइन को दोहरी बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव इस समय किस अवस्था में है ; और

(ग) कितने समय में कार्य पूरा होने की संभावना है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (ग). जालारपेट और इरोड के बीच 179 कि०मी० लम्बे खंड के 119 कि०मी० में, अर्थात् (i) जालारपेट-तिरुप्पत्तूर (8 कि०मी०) और (ii) मोरप्पूर-अनंगूर (111 कि०मी०) के बीच पहले से ही दोहरी लाइन बनी हुई है। अनंगूर और इरोड के बीच (12 कि०मी०) दोहरी लाइन बिछाने का काम जुलाई, 1967 तक पूरा हो जाने की संभावना है। मोरप्पूर और तिरुप्पत्तूर (48 कि०मी०) के बीच इकहरी लाइन वाले बाकी भाग पर दोहरी लाइन बिछाना यातायात की दृष्टि से अभी जरूरी नहीं समझा जाता।

तिरुप्पुर तथा पलानी के बीच रेलवे लाइन

822. **श्री दण्डपाणि :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे में तिरुप्पुर और पलानी के बीच दारपुरम से होकर एक नई

रेलवे लाइन बिछाने के किसी प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कार्य के लिये आवश्यक सर्वेक्षण पूरा हो चुका है; और

(ग) इस नई लाइन को बिछाने के कार्य के कब से आरम्भ होने की सम्भावना है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव रेलवे बोर्ड के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

रेलवे लोको शेड, कोयम्बटूर का अन्य स्थान पर ले जाया जाना

823. **श्री दण्डपाणि** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे लोको शेड, कोयम्बटूर को किसी अन्य स्थान पर ले जाने के लिये कोयम्बटूर के नागरिकों से अभ्यावेदन मिले हैं क्योंकि यह शेड जनरल अस्पताल, कोयम्बटूर के 100 गज के अन्दर है; और

(ख) क्या लोको शेड को किसी अन्य स्थान पर ले जाया जायगा और यदि हां, तो कहां और कब ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां ।

(ख) इस मामले के सभी पहलुओं की जांच की गयी है और इंजन शेड को उसके वर्तमान स्थान से हटाना संभव नहीं पाया गया है ।

Conversion of the Erstwhile Gwalior State Narrow Gauge Railway Lines Into Metre Gauge

824. **Shri Yashwant Singh Kushwah:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the time taken by passenger trains running on the Gwalior to Bhind, Gwalior to Sheopur Kalan and Gwalior to Shivpuri narrow gauge lines of the Central Railway as in 1947 and as at present;

(b) the III class fare charged per mile on the said trains in 1947 and at present; and

(c) whether Government propose to convert the said narrow gauge railway lines into metre gauge?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha): (a) Time taken by the Mixed trains on the three sections concerned is as under:

Section		Running time	
		As in 1947	As at present
Gwalior-Bhind	..	3'-35"	4'-35"
Bhind-Gwalior	..	3'-22"	4'-25"
Gwalior-Sheopur Kalan	..	10'-40"	10'-5"
Sheopur Kalan-Gwalior	..	11'-5"	10'-15"
Gwalior-Shivpuri	..	7'-13"	6'-30"
Shivpuri-Gwalior	..	6'-55"	6'-45"

(b) In 1947, the III Class Mail/Express and Ordinary fares charged by the Scindia State Railway were 7½ pies and 5 pies respectively per mile. This comes to 2.50 paise and 1.63 paise per kilometre respectively. The III Class Mail/Express and Ordinary fares at present charged are 2.76 paise and 2.37 paise respectively per kilometre.

(c) No.

अम्बाला शहर में गाड़ियों का रुकना

825. **श्री सूरज भान** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काश्मीर मेल, फ्रन्टियर मेल, सप्ताह में तीन बार चलने वाली डी-लक्स गाड़ी तथा कुछ अन्य महत्वपूर्ण गाड़ियां अम्बाला शहर (हरियाणा) जो कि एक जिला मुख्यालय है, में नहीं रुकती हैं; और

(ख) यदि हां, तो अम्बाला शहर में इन गाड़ियों को ठहराने की व्यवस्था करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख). 31/32 फ्रन्टियर डाकगाड़ी, 33/34 काश्मीर डाकगाड़ी और सप्ताह में तीन बार चलने वाली वातानुकूल एक्सप्रेस गाड़ियों को छोड़कर, सभी डाक/एक्सप्रेस और सवारी गाड़ियां अम्बाला शहर स्टेशन पर ठहरती हैं जिससे वहां के यात्रियों की जरूरत पर्याप्त रूप से पूरी हो जाती है। इस स्टेशन से जाने-आने वाले लम्बे सफर के यात्रियों की संख्या को देखते हुए उपर्युक्त तीनों गाड़ियों को भी वहां ठहराने का कोई औचित्य नहीं पाया गया है।

रेलवे फाटक, जगाधरी (उत्तर रेलवे)

826. **श्री सूरज भान** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966 के अन्त तक जगाधरी के रेलवे फाटक पर कितने व्यक्ति हताहत हुए; और

(ख) वहां पर एक उपरि पुल बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ताकि ऐसी घटनायें न हों तथा जिले के सबसे बड़े औद्योगिक केन्द्र में यातायात सुगम हो जाये ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क). हाल के वर्षों में जगाधरी के समपार फाटक पर अनधिकृत रूप से लाइन पार करने या सड़क वाहनों और रेलगाड़ियों की टक्कर के कारण किसी के हताहत होने की रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ख) रेल प्रशासन किसी भी वर्तमान व्यस्त समपार पर ऊपरी/निचला सड़क पुल बनाने के लिये तैयार है, बशर्ते इसकी योजना राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित हो, और राज्य सरकार या सड़क प्राधिकारी अपने हिस्से की लागत देने के लिये तैयार हों। मोटेतौर पर 24 फुट चौड़े

खास पुल की लागत रेलवे देती है और ढलवां पहुंच मार्गों और खास पुल की अतिरिक्त चौड़ाई की लागत राज्य सरकार या सड़क प्राधिकारी को देनी होती है।

जगाधरी समपार पर ऊपरी सड़क पुल बनाने के लिये अभी तक राज्य सरकार से कोई निश्चित प्रस्ताव नहीं मिला है।

Industries in Khurja Tehsil of Bulandshahr District

827. **Shri Ram Charan:** Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state:

(a) the industries proposed to be set up with the Central assistance in Khurja Tehsil of Bulandshahr District during the Fourth Five Year Plan; and

(b) the extent of financial assistance proposed to be given to private industries for this purpose?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed): (a) There is no proposal for setting up any Central Government Project in Khurja Tehsil of Bulandshahr District during the Fourth Five Year Plan period. Central Government do not have any information regarding proposals, if any, for setting up industries in Khurja Tehsil by the State Government or private entrepreneurs.

(b) Financial assistance to private industries is given through the various financial institutions such as the Industrial Finance Corporation, Industrial Development Bank etc. Any industry which may be located in Khurja Tehsil can approach to one of such institutions for financial assistance.

Direct Rail Link between Delhi and Bulandshahr

828. **Shri Ram Charan:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether the attention of Government has been drawn to the statement of the General Manager Northern Railway, published in the 'Hindustan' dated 31st December, 1966, to the effect that the demand to establish a direct rail link between Delhi and Bulandshahr has been accepted and that steps to this effect would be taken shortly;

(b) if so, the action taken so far; and

(c) when this line is expected to be opened?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha): (a) Assurance was given by the General Manager, Northern Railway only for examining the proposal for a direct train service to Delhi from Bulandshahr on a representation made to him by some residents of Bulandshahr, and not for construction of a direct rail link between these two places. The proposal for direct train service was examined and found not feasible.

(b) There is no proposal at present to construct a new direct rail link between Delhi and Bulandshahr as these are already connected by rail by two different routes.

(c) Does not arise.

Charges for Unloading Goods From Railway Wagons

829. **Shri Ram Sewak Yadav :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state.

(a) the amount charged for unloading the goods belonging to public, from the railway wagons with the help of cranes;

(b) the date from which the current crane charges were fixed and whether the Railway Administration has to incur loss because of increase in other expenditure since then;

(c) if so, whether the Railway Administration propose to revise the rates; and

(d) if so, when?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha): (a) The charges at present in force are shown in the statement attached. **[Placed in Library. See No. L.T.-317/67]**

(b) to (d). These charges were introduced in March, 1961. They were fixed with reference to the costs incurred by the Railways in providing, maintaining and operating the cranes. All items of cost have been steadily going up. The present rates are out of tune with the present level of costs and the question of revising them is under examination. A decision may be taken quite soon.

Crane Capacity on Northern Railway

830. **Shri Ram Sewak Yadav :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the present crane capacity of the Northern Railway;

(b) whether this capacity is insufficient to meet the requirements;

(c) whether it is a fact that the crane consignment wagons are held up as a result thereof; and

(d) if so, the steps being taken to remedy the situation?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha): (a) A statement showing the cranes available on Northern Railway as on 30.9. 1966 is attached. **[Placed in Library. See No. L.T.-3181/67].**

(b) to (d). The existing crane capacity on Northern Railway, as a whole, is sufficient to meet their requirements. Due to fluctuation in the number of crane consignments received in different areas, the capacity available in some areas was under-utilised and temporary difficulties were experienced at some points like Delhi area, Ambala and Bareilly. Steps are being taken to augment crane capacity at these points by shifting of cranes from areas where arrival of crane consignments have gone down. A few additional cranes are also being programmed for the Northern Railway, in accordance with anticipated traffic needs.

केरल में काजू के कारखानों का बन्द होना

831. **श्री सी० जनार्दनन :**

श्री पी० सी० अदिचन :

श्री वासुदेवन नायर :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ महीनों में केरल में काजू के कारखानों के बन्द हो जाने में काजू

के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो काजू के कारखानों को पुनः चालू करने के लिये क्या कार्यवाही की की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकार कारखानों को पुनः चालू करने के सभी संभव उपायों का पता लगा रही है।

इलायची का निर्यात

832. **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री सी० जनार्दनन :
श्री पी० सी० अदिचन :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में वर्षवार, इलायची के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा कमाई गई; और

(ख) इलायची की पैदावार बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) गत पांच वर्षों में इलायची के निर्यात से उपार्जित विदेशी मुद्रा निम्नलिखित थी :

	(लाख रुपयों में)
1962-63	277
1963-64	319
1964-65	283
1965-66	439
1966-67	667 (फरवरी 1967 तक)

(ख) इलायची का उत्पादन बढ़ाने के लिये ये प्रस्ताव हैं कि :

(1) जिन किस्मों पर कट्टे रोग का; जिसके बारे में कहा जाता है कि उत्पादन बढ़ाने में यह अत्यंत उल्लेखनीय अड़चन है, प्रभाव न पड़े, उन किस्मों के बड़े पैमाने पर पुनर्रोपण को प्रोत्साहन दिया जाये;

(2) नए क्षेत्रों में बुवाई को प्रोत्साहन दिया जाय; और

(3) उर्वरक, कीट-नाशकों आदि का संभरण सुनिश्चित करके उत्पादकों को प्रोत्साहन दिया जाये।

Trains Running between Allahabad and Katihar

833. **Shri Chandrika Prasad**: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there was a proposal to convert the 37 Up and 38 Down trains running between Allahabad and Katihar into express trains;

(b) if so, the reasons for not converting them into express trains so far; and

(c) the reasons for not running the Diesel train between Varanasi and Allahabad?

The Minister of Railways (**Shri C. M. Poonacha**): (a) No.

(b) Does not arise.

(c) Non-availability of requisite Diesel Cars at present.

बोकारो सिविल वर्क्स के लिये टेंडर

834. **श्री मधु लिमये** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन 21 ठेकेदारों को 11/12 मार्च, 1967 को दोबारा बातचीत के लिये बुलाया गया था जिनमें से कुछ को (हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड द्वारा मांगे गये) बोकारो सिविल वर्क्स के लिये अपने टेंडरों में परिवर्तन करने या अपनी शर्त वापस लेने की अनुमति दी गई थी;

(ख) क्या केवल 9 ठेकेदारों से बातचीत की गई थी और उन्हें आश्वासन दिया गया था कि उन्हें ठेके दिये जायेंगे;

(ग) क्या इन सभी 9 ठेकेदारों को अपने टेंडरों में परिवर्तन करने या उनके साथ लगी शर्त वापस लेने की अनुमति दी गई थी;

(घ) इन 9 ठेकेदारों के नाम क्या है;

(ङ) क्या यह भी सच है कि अन्य ठेकेदारों को तार द्वारा इन तारीखों को इंटरव्यू के लिये बुलाया गया था परन्तु उनका इंटरव्यू नहीं हुआ; और

(च) यदि हां, तो इस अनियमित प्रक्रिया के अपनाए जाने के क्या कारण हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० एम० चेन्ना रेड्डी) : (क) से (च) प्रश्न का सम्बन्ध मेसर्स हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के दिन प्रति-दिन के कार्य से है। यह कंपनी सरकारी क्षेत्र का एक उपक्रम है जिसके बारे में सामान्यतः सरकार को सूचनाएं नहीं दी जाती हैं। फिर भी सूचना इकट्ठी की जा रही है और जैसे ही सूचना प्राप्त हो जायेगी सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड

835. **श्री मधु लिमये** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड ने बोकारो इस्पात

कारखाने के सिविल निर्माण-कार्य के लिये जनवरी, 1967 में टेंडर मांगे थे;

(ख) यदि हां, तो कितनी लागत के कार्य के लिये टेन्डर मांगे गये थे, और कितने ठेकेदारों को चुना गया था तथा बातचीत के लिये बुलाया गया था;

(ग) क्या उनमें कुछ ठेकेदारों को अपने टेन्डरों में दी गई शर्तों को वापिस लेकर उनमें संशोधन करने की अनुमति दी गई थी;

(घ) क्या यह भी सच है कि शर्तों को वापिस लिये बिना तथा उनमें संशोधन किये बिना ये टेन्डर वैध नहीं थे और इस कम्पनी को (हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड) को स्वीकार्य नहीं थे; और

(ङ) यदि हां, तो क्या इस प्रकार शर्तों का वापिस लिया जाना और उनमें संशोधन किया जाना वर्तमान नियमों तथा विनियमों, और विशेषकर टेंडर सम्बन्धी दस्तावेजों में निर्धारित नियमों तथा विनियमों, के अनुकूल है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० एम० चन्ना रेड्डी) : (क) से (ङ) . प्रश्न का सम्बन्ध मेसर्स हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के दिन-प्रति-दिन के कार्य से है। यह कंपनी सरकारी क्षेत्र का एक उपक्रम है जिसके बारे में सामान्यतः सरकार को सूचनाएं नहीं दी जाती हैं। फिर भी सूचना इकट्ठी की जा रही हैं और जैसे ही सूचना प्राप्त हो जायेगी सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

Survey of Mine-Bearing Areas of Orissa, Bihar and Madhya Pradesh

836. **Shri Rabi Ray:**
Shri Madhu Limaye:

Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state:

(a) whether the mine-bearing areas of Orissa, Bihar and Madhya Pradesh have been surveyed to find out deposits of coal, iron and other metals;

(b) if so, the results achieved; and

(c) whether any extensive scheme has been prepared for exploiting the mineral wealth of these areas?

The Minister of Steel, Mines and Metals (Dr. M. Channa Reddy): (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House when received.

Industrial Units in Orissa

837. **Shri Rabi Ray:**
Shri Madhu Limaye:

Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state:

(a) the number of industrial units established with the assistance of the Central Government in Orissa State;

(b) the details of the assistance given during 1966-67 ;

(c) the number of industrial units completed by the State Government out of these and the number of those on which work is still going on ; and

(d) if there has been any delay, the reasons therefor ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) to (d). The information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

Railway Line between Rourkela and Talcher

838. **Shri Rabi Ray :**
Shri Madhu Limaye :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government propose to construct a Railway line between Rourkela and Talcher coalfield ;

(b) if so, the present stage of the plan ; and

(c) when it is likely to be implemented ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) No.

(b) and (c). Do not arise.

बिजली तथा डीजल से चलने वाले रेल-इंजनों का निर्माण

839. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली तथा डीजल रेल-इंजनों का निर्माण निर्धारित लक्ष्य के अनुसार नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो कितना कम हुआ है; और

(ग) कमी को पूरा करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां.।

(ख) (i) डीजल रेल इंजन कारखाना वाराणसी में 5 डीजल रेल इंजनों का लक्ष्य से कम उत्पादन हुआ। तीसरी योजना में 66 रेल इंजनों के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था जबकि 61 रेल इंजिनों का उत्पादन हुआ।

(ii) चितरंजन रेल इंजिन कारखाना चितरंजन में 11 बिजली के रेल इंजिनों का लक्ष्य से कम उत्पादन हुआ। तीसरी योजना में 72 रेल इंजिनों के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था जबकि 61 रेल इंजिनों का उत्पादन हुआ।

(ग) (i) डीजल रेल-इंजनों के उत्पादन में कमी के मुख्य कारण ये थे कि विदेशी मुद्रा की कठिनाई के कारण आयात पुर्जे मिलने में देर हुई, कुछ आयात उपस्कर

और औजार देर से प्राप्त हुए और आयात घटाने के उद्देश्य से पुर्जों को स्वदेश में बनाने की क्षमता का विकास करने में समय लगा।

अब आवश्यक विदेशी मुद्रा मिल गयी है और 1968-69 के मध्य तक के डीजल रेल-इंजन कारखाने के उत्पादन कार्यक्रम के लिये अपेक्षित आयात पुर्जों के आर्डर दे दिये गये हैं। आयात को धीरे-धीरे कम करने के लिये भी लगातार प्रयास किया जा रहा है ताकि विदेशी मुद्रा की उपलब्ध रकम से ही अधिक रेल-इंजनों का उत्पादन हो सके।

(ii) बिजली रेल-इंजनों के उत्पादन में कमी इन कारणों से हुई :

(क) विदेशी मुद्रा की कठिनाई के कारण आयात उपस्कर मिलने में देरी;

(ख) कुछ स्वदेशी उपस्कर पहली बार देश में बनाये जा रहे हैं, उनकी सप्लाई में देरी।

1968-69 के मध्य तक के उत्पादन के लिए प्रमुख आयात और स्वदेशी पुर्जों के लिए आर्डर दे दिये गये हैं। इन पुर्जों को शीघ्र प्राप्त करने के लिये सभी प्रयास किये जा रहे हैं ताकि योजना के अनुसार उत्पादन हो सके। साथ ही, अधिक से अधिक सामान देश में तैयार करने के लिये लगातार प्रयास किया जा रहा है।

विदेशी कम्पनियों द्वारा देश में वितरण

840. **श्री च० चु० देसाई** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी कम्पनियों अथवा विदेशी पूंजी वाली कम्पनियों द्वारा भारत में निर्मित अथवा आयातित वस्तुओं के देश में वितरण करने की अनुमति देने के बारे के क्या नीति अपनाई जा रही है;

(ख) क्या सरकार को इस बात का पता है कि इस सम्बन्ध में औद्योगिक नीति संकल्प से भिन्न नीति अपनाई जाती है; और

(ग) औद्योगिक नीति संकल्प में निर्धारित इस सिद्धान्त को लागू करने के लिए कि देश में वितरण अथवा व्यापार के लिए विदेशी पूंजी अथवा जानकारी अपेक्षित नहीं है, क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). इस संबंध में यह पद्धति अपनाई गई है कि विदेशी कम्पनियों या उन कम्पनियों द्वारा जिनमें विदेशी पूंजी लगी है, देश में निर्मित अथवा आयातित वस्तुओं का देश में वितरण करने के काम को निरुत्साहित किया जाय।

इस नीति को लागू करने के लिए 1964 में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 में संशोधन किया गया था जिससे विदेशी कम्पनियां और विदेश नियंत्रित भारतीय कम्पनियां/फर्में या व्यक्ति केन्द्रीय सरकार अथवा रिजर्व बैंक आफ इंडिया की पूर्व स्वीकृति बिना किसी व्यक्ति/फर्म या कम्पनी के भारत में एजेंट या तकनीकी सलाहकारों या प्रबन्ध सलाहकारों के पद पर नियुक्ति नहीं स्वीकार करेंगे। इस संशोधन के फलस्वरूप जो 1 अप्रैल, 1965 से लागू किया गया है विदेशी और विदेश नियंत्रित कम्पनियों द्वारा किये जाने वाले पूर्णतः व्यापारिक कार्य-कलापों पर नियंत्रण रखना संभव होगा।

डीजल इंजन निर्माण कारखाना, वाराणसी में कर्मचारियों की वरिष्ठता

842. **श्री सरजू पाण्डेय :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डीजल इंजन निर्माण कारखाना, वाराणसी में जी० एम०/डी० एल० डब्लू० वाराणसी के दिनांक 11 अगस्त, 1966 के परिपत्र संख्या 31-ई (एस० पी० एल०)/सीनियारिटी/64 के अन्तर्गत वरिष्ठता निर्धारित करने के सिद्धांत रेलवे बोर्ड द्वारा बनाये गये नियमों के अनुकूल नहीं हैं; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) "काम में लगाने के लिये प्रत्यक्षतः उपयुक्त" के सम्बन्ध में उक्त परिपत्र खण्ड (2) को व्यवहार में न लाने के क्या कारण हैं;

(ग) वरिष्ठता निर्धारित करने के लिये 'ग्रेड में सेवा की अवधि' न गिनी जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) उस पदोन्नति ग्रेड को अर्द्ध-स्थायी न माने जाने के क्या कारण हैं, जिसमें कि कर्मचारी लगातार तीन वर्ष से अधिक समय तक रहता है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं।

(ख) अन्य रेलों से स्थानान्तरित कर्मचारियों की प्रवरता केवल उसी ग्रेड में निश्चित की जा सकती है जिसमें वे मूल रेलवे पर थे।

(ग) आकस्मिक पदोन्नति के मामलों में पदोन्नति ग्रेड की सेवा की अवधि को प्रवरता निर्धारित करने के लिए नहीं गिना जाता।

(घ) रेलों पर कर्मचारियों को अर्द्ध-स्थायी करने की कोई प्रक्रिया नहीं है।

Manufacture of Scooters at Jaunpur (U. P.)

843. **Shri Sarjoo Pandey:** Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1684 on the 4th March, 1966 and state :

(a) the progress since made in respect of the schemes which were under the consideration of Government regarding the manufacture of Scooters at Jaunpur ;

(b) whether it is a fact that the firms who have sponsored these schemes have got assurances of cooperation from the Government of Yugoslavia; and

(c) if so, the time likely to be taken for the implementation of the above mentioned schemes?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed: (a) to (c). The two schemes for the manufacture of scooters at Jaunpur are among the 17 schemes which were considered **Prima facie** suitable for further consideration. Neither of these schemes has any offer of collaboration from the Government of Yogoslavia.

Further consideration of the applications for the manufacture of scooters has, however, been deferred for the present. It is proposed to watch the progress and Performance of the existing units in the context of the assistance recently afforded to them under the liberalised import policy for components and raw materials, before taking a final view on the question of licensing of additional units in the field.

Security and Policing on Railways

844. **Shri Mohan Swarup:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether the high-power Committee appointed by his Ministry to go into all aspects of the working of the 'Protection Force and Policing on the Railways' has submitted its Report; and

(b) if not, when the report is likely to be submitted?

The Minister of Railways (C. M. Poonacha): (a) No.

(b) The present term of the Committee is upto 31st July, 1967. It is not possible at this stage to indicate when it will complete its work.

Low Freights for Transportation of Certain Articles

845. **Shri Mohan Swarup:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether the Railway Administration have fixed low freights for the transportation of some articles to various parts of the country;

(b) if so, the names of such articles; and

(c) the details of the low freights so fixed?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha): (a) Yes.

(b) and (c). The information is being compiled and will be laid on the Table of the Sabha.

Production of Pig Iron

846. **Shri Mohan Swarup:** Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state:

(a) the quantity of pig iron produced in the country state-wise, during the last five years;

(b) the quantity of pig iron exported and the quantity consumed within the country; and

(c) the amount of money earned thereby?

The Minister of State in the Ministry of Steel Mines and Metals (Shri P. C. Sethi): (a) A statement showing quantities of pig iron for sale produced in the country, State-wise, during the last five years is given below:

(In thousand tonnes)

S, No.	State	1962-63	1963-64	1964-65	1965-66	1966-67 (Upto December, 1966)
1.	Bihar	14	6	23	18	3
2.	West Bengal	630	621	593	554	316
3.	Orissa	109	121	112	93	71
4.	Madhya Pradesh	341	407	349	509	378
5.	Maharashtra	4	9	9	2	—
	Total	1098	1164	1086	1176	768

(b) The quantity of pig iron exported and the quantity consumed within the country for the last five years is given below:

(Quantity in M/Tons)

1962-63		**1963-64**		**1964-65**		**1965-66**		**1966-67 (Provisional) (Upto Dec. 66)**	
Exported.	Consumed	Exported.	Consumed	Exported.	Consumed.	Exported.	Consumed.	Exported.	Consumed
19,316	10,86,758	..	11,23,574	..	10,97,320	37	11,07,605	80,364	7,68,394

(c) It is presumed that the Hon'ble Member desires to know the amount of money earned by export of pig iron. The same is given below:

(Value in thousand rupees)

1962-63	**1963-64**	**1964-65**	**1965-66**	**1966-67 (Upto Dec. 66)**
4880	..	..	20	19,876

Vending Contract at Railway Stations

847. **Shri Mohan Swarup:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that under the current rules, the contracts for vending foodstuffs at Railway Stations are to be given, as far as possible to the registered cooperative societies of vendors, registered Cooperative Societies of Scheduled Castes or any member of Scheduled Castes and if none of them is forthcoming, the contract may be given to some local persons experienced in the line;

(b) if so, the extent to which these rules are being observed;

(c) whether it is also a fact that the contract for vending at Dudwa Railway Station (North-Eastern Railway) has been given to a person who does not come under any of the above mentioned categories; and

(d) if so, the reasons therefor?

(b) whether it is a fact that the firms who have sponsored these schemes have got assurances of cooperation from the Government of Yugoslavia; and

(c) if so, the time likely to be taken for the implementation of the above mentioned schemes?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed: (a) to (c). The two schemes for the manufacture of scooters at Jaunpur are among the 17 schemes which were considered **Prima facie** suitable for further consideration. Neither of these schemes has any offer of collaboration from the Government of Yogoslavia.

Further consideration of the applications for the manufacture of scooters has, however, been deferred for the present. It is proposed to watch the progress and Performance of the existing units in the context of the assistance recently afforded to them under the liberalised import policy for components and raw materials, before taking a final view on the question of licensing of additional units in the field.

Security and Policing on Railways

844. **Shri Mohan Swarup:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether the high-power Committee appointed by his Ministry to go into all aspects of the working of the 'Protection Force and Policing on the Railways' has submitted its Report; and

(b) if not, when the report is likely to be submitted?

The Minister of Railways (C. M. Poonacha): (a) No.

(b) The present term of the Committee is upto 31st July, 1967. It is not possible at this stage to indicate when it will complete its work.

Low Freights for Transportation of Certain Articles

845. **Shri Mohan Swarup:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether the Railway Administration have fixed low freights for the transportation of some articles to various parts of the country;

(b) if so, the names of such articles; and

(c) the details of the low freights so fixed?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha): (a) Yes.

(b) and (c). The information is being compiled and will be laid on the Table of the Sabha.

Production of Pig Iron

846. **Shri Mohan Swarup:** Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state:

(a) the quantity of pig iron produced in the country state-wise, during the last five years;

(b) the quantity of pig iron exported and the quantity consumed within the country; and

(c) the amount of money earned thereby?

The Minister of State in the Ministry of Steel Mines and Metals (Shri P. C. Sethi): (a) A statement showing quantities of pig iron for sale produced in the country, State-wise, during the last five years is given below:

(In thousand tonnes)

S. No.	State	1962-63	1963-64	1964-65	1965-66	1966-67 (Upto December, 1966)
1.	Bihar	14	6	23	18	3
2.	West Bengal	630	621	593	554	316
3.	Orissa	109	121	112	93	71
4.	Madhya Pradesh	341	407	349	509	378
5.	Maharashtra	4	9	9	2	—
	Total	1098	1164	1086	1176	768

(b) The quantity of pig iron exported and the quantity consumed within the country for the last five years is given below:

(Quantity in M/Tons)

1962-63		**1963-64**		**1964-65**		**1965-66**		**1966-67 (Provisional) (Upto Dec. 66)**	
Exported.	Consumed	Exported.	Consumed	Exported.	Consumed.	Exported.	Consumed.	Exported.	Consumed
19,316	10,86,758	..	11,23,574	..	10,97,320	37	11,07,605	80,364	7,68,394

(c) It is presumed that the Hon'ble Member desires to know the amount of money earned by export of pig iron. The same is given below:

(Value in thousand rupees)

1962-63	**1963-64**	**1964-65**	**1965-66**	**1966-67 (Upto Dec. 66)**
4880	..	..	20	19,876

Vending Contract at Railway Stations

847. **Shri Mohan Swarup:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that under the current rules, the contracts for vending foodstuffs at Railway Stations are to be given, as far as possible to the registered cooperative societies of vendors, registered Cooperative Societies of Scheduled Castes or any member of Scheduled Castes and if none of them is forthcoming, the contract may be given to some local persons experienced in the line;

(b) if so, the extent to which these rules are being observed;

(c) whether it is also a fact that the contract for vending at Dudwa Railway Station (North-Eastern Railway) has been given to a person who does not come under any of the above mentioned categories; and

(d) if so, the reasons therefor?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha): (a) Under the extant orders, vending contracts are awarded to local persons unless suitable local persons are not available in any particular case. For awarding vending contracts upto half a unit (employing 5 vendors or less) if a Vendor's Co-operative Society which is expected to render satisfactory service is available at the station, the contract is to be awarded to it without calling for applications. The vending contracts for more than half a unit in value are awarded on the basis of suitability of the Co-operative Society vis-a-vis other applicants. Other things being equal or nearly equal, preference is given to the applicant Co-operative Society. The position remains the same if a Co-operative Society is comprised of vendors belonging to Scheduled Castes or Tribes.

As regards members of Scheduled Castes/Tribes applying for vending contracts, the contracts upto half a unit are awarded to them on preferential basis if they are found to be suitable for the job.

In respect of contracts of more than half a unit in value, preference is given to the members of Scheduled Castes/Tribes only when they are found equal to other applicants in competence to manage such establishments satisfactorily.

(b) V-ending contracts are awarded by Railways observing these instructions.

(c) and (d) No Scheduled Castes/Tribes candidates or Co-operative Society from the area served by Dudwa station having applied for the contract, the question of awarding the contract to such candidates/Co-operative Society did not arise and the contract was awarded to a person coming from the same area, who was considered to be the most suitable.

डीजल रेल-इंजन

848. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वाराणसी के डीजल रेल-इंजन निर्माण कारखाने में 1965-66 में डीजल इंजनों के निर्माण का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ख) 1965-66 में वस्तुतः कितने इंजन बनाये गये; और

(ग) इन इंजनों में आयात किये गये पुर्जों की प्रतिशतता कितनी है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा). (क) 44 रेल-इंजन ।

(ख) वस्तुतः 39 रेल इंजनों का निर्माण हुआ । इनके अलावा 5 और रेल-इंजन भी तैयार किये गये थे, लेकिन 1965-66 के अन्त में उनका परीक्षण होना बाकी था ।

(ग) 75 प्रतिशत ।

वैगन भर इमारती लकड़ी पर भाड़ा

849. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यद्यपि एक वैगन में केवल 130 क्विंटल इमारती लकड़ी आती है तथापि रेलवे का विचार एक वैगन भर इमारती लकड़ी के लिये 190 क्विंटल का भाड़ा मांगने का है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख). लकड़ी के लट्ठों और बल्लियों के लिए वजन की न्यूनतम निर्धारित शर्त 150 क्विंटल प्रति बड़ी लाइन-माल डिब्बा है अर्थात् भाड़ा 150 क्विंटल या लादे गए वास्तविक वजन में से जो भी अधिक हो उस पर लगेगा। इसलिए न्यूनतम वजन की इस शर्त को लागू करने के लिये प्रत्येक परेषण को तोलना आवश्यक हो जाता है। तोलने की आवश्यकता न पड़े और परेषणों को इसके कारण विलम्ब न हो इस उद्देश्य से पूर्व और दक्षिण-पूर्व रेलों ने जांच के रूप में लदान किया और जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि लकड़ी के लट्ठों और बल्लियों का लदान 190 क्विंटल या इससे अधिक मात्रा में हो सकता है तो उन्होंने आपस में स्थानीय बुकिंग और सीधी बुकिंग में भाड़े के लिए 190 क्विंटल नियत वजन अधिसूचित कर दिया। यह 15 मार्च, 1967 से लागू हुआ था।

(ग) जी हां।

(घ) मामले पर विचार किया जा रहा है।

सियालदह डिवीजन में बिजली से चलने वाली चार डिब्बों वाली गाड़ियां

850. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सियालदह डिवीजन दक्षिण सेक्शन में बिजली से चलने वाली चार डिब्बों वाली गाड़ियों की इस समय क्या संख्या है;

(ख) क्या इन गाड़ियों में बहुत भीड़-भाड़ रहती है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार तुरन्त ही इन गाड़ियों में और डिब्बे जोड़कर उन्हें पूरी गाड़ियों के रूप में चलाने के लिये विचार कर रही है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) 78

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

बालीगंज (पूर्व रेलवे) में रेलगाड़ियों का रोका जाना

851. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 9 मार्च, 1967 को अथवा उसके आस पास बालीगंज स्टेशन (पूर्व रेलवे) के निकट यात्रियों ने रेलगाड़ियां रोक ली थीं;

(ख) यदि हां, तो कितनी रेलगाड़ियां रोकी गई थीं और इसके क्या कारण थे;

(ग) क्या जनरल मैनेजर से टेलीफोन पर प्रार्थना की गई थी कि जिन यात्रियों को गाड़ी रुकने के कारण कठिनाई हो रही थी उन्हें गाड़ी रोके जाने के कारण बताने के लिये एक वरिष्ठ अधिकारी भेजा जाये;

(घ) यदि हां, तो क्या वरिष्ठ अधिकारी भेजा गया था;

(ङ) क्या रेलवे पुलिस ने इस घटना के बारे में रिपोर्ट दी है; और

(च) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां, 9 और 10 मार्च, 1967 को।

(ख) 9 मार्च, 1967 को दो गाड़ियां रोक ली गयी थीं, लेकिन 10 मार्च को गाड़ियां 2 घंटे 37 मिनट तक रोकी गयीं जिसके कारण 22 गाड़ियों का चलना बन्द कर दिया गया, 4 गाड़ियों को उनके गन्तव्य स्थान से पहले ही समाप्त कर दिया गया और 9 गाड़ियों को रोक रखा गया। ये गाड़ियां एस एल 233 के यात्रियों द्वारा प्रदर्शन करने और पटरी पर बैठ जाने के कारण रोकी गयी थीं। इन यात्रियों की मांग यह थी कि उनकी गाड़ी को एस जे 45 से आगे चलाया जाय जबकि एस जे 45 के चलने का निर्धारित समय एस एल 233 से पहले है।

(ग) जी हां।

(घ) जी नहीं।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

Laying of Railway Line from Khandwa to Khargaon

852. **Shri Sashi Bhushan :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the inhabitants of Khargaon District (Madhya Pradesh) have put forth a demand for laying a railway line from Khandwa to Khargaon and to other places in the District ; and

(b) if so, when the scheme is likely to be implemented ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) and (b). Representation has been received for laying new railway line from Khandwa to Khargaon etc. in Madhya Pradesh. With the limited availability of funds, the possibility of laying a new link in the area, is remote.

मैसर्स इंडिया इलेक्ट्रिक वर्क्स लिमिटेड, कलकत्ता

853. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स इंडिया इलेक्ट्रिक वर्क्स लिमिटेड, कलकत्ता के मामलों की जांच करने के लिये नियुक्त की गई समिति ने इस बीच अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसने क्या निष्कर्ष निकाले हैं तथा क्या सिफारिशें की हैं; और

(ग) इस विषय में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) से (ग). तकनीकी समिति की रिपोर्ट मिल गई है और सरकार उस पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

आयात लाइसेंस दिया जाना

854. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात लाइसेंस देने की प्रणाली की कड़ी आलोचना को दृष्टि में रखते हुए सरकार ने आयात लाइसेंस देने की नई प्रणाली आरम्भ की है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) तथा (ख). आयात लाइसेंस देने की क्रियाविधि सरल और सुप्रवाही बनायी गई है। नई क्रियाविधि की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं :

1. प्रायोजक और लाइसेन्स देने वाले प्राधिकारियों के मध्य दुहरे कार्य को समाप्त किया गया है।

2. छोटे पैमाने के वास्तविक प्रयोगकर्ताओं के सम्बन्ध में, प्रत्येक अलग-अलग आवेदन-पत्र पर निर्बाधिता (क्लीयरेंस) प्राप्त करने के स्थान पर, कच्चे माल और संघटकों के आयात के लिये तकनीकी प्राधिकारियों से स्वदेशी उत्पादन की दृष्टि से सामान्य निर्बाधिता प्राप्त की जाती है।

3. वास्तविक प्रयोगकर्ताओं को वार्षिक आधार पर आयात लाइसेन्स दिये जाते हैं और आधे मूल्य के लिये छमाही पृष्ठांकन की प्रणाली समाप्त कर दी गयी है।

4. कार्यवाही के बहु-स्तरों को कम किया गया है और आवेदन-पत्रों के निपटान के लिये समय-सीमा निर्धारित कर दी गयी है।

5. लाइसेन्सों के पुनर्वैधीकरण या संशोधन के लिये आवेदन-पत्रों के द्रुत निपटान के लिये बड़े-बड़े लाइसेन्स कार्यालयों में 'काउण्टर' स्थापित किये गये हैं।

6. एक सुस्थापित आयातक से दूसरे आयातक को कोटे के हस्तान्तरण सम्बन्धी नियमों को सरल बनाया गया है।

गुणा-मक्सी रेलवे परियोजना

855. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में गुणा-मक्सी रेलवे परियोजना इस समय किस अवस्था में है;

(ख) इस परियोजना के कब तक पूरा हो जाने की आशा है; और

(ग) इस परियोजना को पूरा होने में देरी होने के क्या कारण हैं ?

रेलवे-मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) फरवरी, 1967 के अंत तक इस परियोजना पर कुल मिलाकर 46 प्रतिशत काम हो चुका था।

(ख) और (ग). इस परियोजना को पूरा करने की तारीख, दिसम्बर, 1967 नियत की गयी थी, लेकिन रकम की कमी के कारण इसे और आगे बढ़ा देने की सम्भावना है।

टाटानगर, पटना और रांची-पटना के बीच एक अतिरिक्त गाड़ी चलाना

856. **श्री शिवचंडिका प्रसाद** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टाटानगर और पटना तथा रांची और पटना के बीच एक गाड़ी केवल एक बार आती-जाती है;

(ख) क्या यह भी सच है कि होली और विवाह-मुहूर्त के दिनों में अर्थात् मार्च और जुलाई के बीच बहुत से यात्री टाटानगर और पटना तथा रांची और पटना के बीच यात्रा करते हैं तथा यात्रियों को विशेषकर मजदूरों को दक्षिण बिहार एक्सप्रेस तथा रांची-पटना एक्सप्रेस गाड़ियों में स्थानों की कमी होने के कारण बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार टाटानगर-पटना तथा रांची के बीच मार्च से जुलाई के दौरान कम से कम सप्ताह में तीन बार दोनों ओर से एक अतिरिक्त एक्सप्रेस गाड़ी चलाने का है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (ग). एक ओर पटना और दूसरी ओर टाटानगर तथा रांची के बीच पूरे वर्ष जिसमें मार्च से जुलाई की अवधि शामिल है, जितना और जिस तरह का यातायात होता है उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति पर्याप्त रूप से 87/88 साउथ बिहार एक्सप्रेस, 24/23 रांची-पटना एक्सप्रेस और गया के रास्ते पटना और टाटानगर के बीच चलने वाले दो सीधे सवारी यानों अर्थात् एक पहले और तीसरे दर्जे के मिले-जुले और एक तीसरे दर्जे के यान द्वारा होती है। इस प्रकार, पटना-टाटानगर और पटना-रांची खंडों पर मार्च से जुलाई के बीच हफ्ते में तीन दिन भी किसी अतिरिक्त एक्सप्रेस गाड़ी को चलाने का औचित्य नहीं है।

चाय उद्योग

857. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय उद्योग की समस्याओं पर विचार करने तथा उसका उत्पादन बढ़ाने के उपायों की सिफारिश करने के लिये नियुक्त की गई समिति ने अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इसकी सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, नहीं । समिति को तो अपना कार्य अभी प्रारम्भ करना है ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

बिजली के मीटर बनाने का उद्योग

858. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "सिंगिल-फैज' और 'पाली फैज' मीटर बनाने के उद्योग को संकट की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि देश में इन मीटरों का उत्पादन अधिक हो गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार के प्रति वर्ष 21 लाख के डब्ल्यू० एच० मीटरों की मांग होने का अनुमान लगाया था जबकि वास्तव में एक वर्ष में मांग 10 लाख से अधिक नहीं हुई है;

(ग) क्या यह भी सच है कि मीटर बनाने वाले कुछ कारखाने अपनी लाइसेंस प्राप्त क्षमता से दुगना अथवा तिगुना उत्पादन कर रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप छोटे तथा मध्यम पैमाने के कारखानों में उत्पादन बन्द हो गया है; और

(घ) मीटर उद्योग को बचाने तथा उसकी सहायता करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) गत वर्ष विद्युतिकरण योजनायें पूर्व अनुमानित गति से प्रगति नहीं कर सकी थीं, इस कारण बाजार में माल आवश्यकता से अधिक जमा हो गया था, परन्तु अब स्थिति सुधर रही है ।

(ख) 21 लाख मीटरों के लक्ष्य में दोनों—"सिंगिल फैज" और "पॉली फैज" मीटर शामिल थे । वर्ष 1964 से 1966 तक का इन मीटरों के उत्पादन का वर्षवार ब्योरा नीचे दिया गया है :

10 लाख की संख्या में

वर्ष	सिंगिल फैज	पॉली फैज	जोड़
1964	1.481	0.055	1.536
1965	1.116	0.114	1.230
1966	1.049	0.141	1.190

(ग) कुछ कारखानों ने अपनी लाइसेंस प्राप्त क्षमता से काफी अधिक उत्पादन किया है । परन्तु उन्होंने यह उत्पादन बिना किन्हीं अतिरिक्त मशीनों और कच्चे माल के आयात के किया है । इससे घरों में काम आने वाले मीटर बनाने वाला कोई कारखाना बन्द नहीं हुआ है ।

(घ) स्थिति को सुधारने के लिये सरकार ने विभिन्न कदम उठाये हैं। भविष्य में इस उद्योग के लिये और लाइसेंस देना बिल्कुल बन्द कर दिया है। कई कारखानों को अन्य उत्पादों जैसे मूविंग आयरन वोल्ट मीटर, रिजिस्टेंस मीटर मैगनेटिक लैवल गेजेज इत्यादि बनाने की अनुमति दे दी गई है।

उत्तर प्रदेश में हथकरघा उद्योग

859. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में और मनीपुर संघ राज्य क्षेत्र में हथकरघा उद्योग में गम्भीर संकट उत्पन्न हो गया है;

(ख) क्या पिछले कुछ महीनों से सूत, रंग तथा रसायनों के मूल्य तेजी से बढ़ रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संकट से कितने करघों तथा बुनकरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और स्थिति को सम्भालने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) जी, हां। जहां तक उत्तर प्रदेश में हथकरघा उद्योग का सम्बन्ध है। मनीपुर के मामले में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) सूत, रंग तथा रसायनों के मूल्यों में कुछ वृद्धि हुई है।

(ग) यह जानकारी उपलब्ध नहीं है कि कितने करघों तथा बुनकरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

स्थिति का सामना करने के लिये निम्न कदम उठाये गये हैं :

(1) एक तदर्थ समिति स्थापित की गई है जिसमें सरकार, मिल तथा हथकरघा हितों के प्रतिनिधि हैं। यह समिति उत्पादन और उपभोग की अर्थव्यवस्था तथा अन्य कारकों को ध्यान में रख कर मूल्यों पर नियन्त्रण रखने के लिये उद्योग पर आवश्यक दबाव डालेगी। सरकार स्थिति पर कड़ी निगरानी रख रही है तथा आवश्यकतानुसार और कार्यवाही करेगी।

(2) वर्तमान लाइसेन्स अवधि में अनुमेय रंगों तथा रसायनों के आयात के लिये वास्तविक उपयोगकर्त्ताओं को लाइसेन्स भी उदारता से दिये गये हैं।

Running Staff Committee, Danapur (Eastern Railway)

860. **Shri Ramavtar Shastri:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the Running Staff Committee, Danapur (Eastern Railway) has sent an 8-point demand memorandum to the Railway Administration ; and

(b) if so, the nature of the demands and the action proposed to be taken thereon?

The Ministsr of Railways (Shri C. M. Poonacha): (a) No.

(b) Does not arise.

Promotions of Senior Cleaners and Second Firemen in Danapur Division (Eastern Railway)

861. **Shri Ramavtar Shastri:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that senior Cleaners and Second Firemen of Danapur Division

(Eastern Railway) are not eligible for promotion while persons junior to them in other Divisions are promoted;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) whether any definite period has been fixed for the confirmation and promotion of the Running Staff and, if so, the extent thereof?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha): (a) and (b). Promotions from posts of Cleaners to Second Firemen and thereafter as leading Firemen are made on the basis of divisional seniority of staff and the availability of vacancies in the respective Divisions and therefore no comparison can be made of the position obtaining in different Divisions.

(c) No, as the confirmation and promotion of the Running Staff is dependent on the availability of vacancies and the suitability of the individuals for confirmation.

'A' Grade Firemen

862. **Shri Ramavtar Shastri:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether the Railway Administration recruit 'A' Grade Firemen directly;

(b) if so, the reasons therefor and the difficulties in promoting Junior Firemen to 'A' Grade; and

(c) the reasons for the disparity in the salaries of Firemen recruited/promoted in the above manner?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha): (a) to (c) 75% of vacancies of Firemen grade 'A' are filled by direct recruitment as Apprentice Firemen, of persons with Matriculation or equivalent qualification, and the remaining 25% by promotion from ranks. Such direct recruitment is necessary to have the higher posts in the driving line and the supervisory posts in the loco branch manned by educationally qualified hands. There is, however, no disparity in the scales of pay between direct recruits and promotees appointed to posts of Firemen, grade 'A'.

Punishment to Employees for Taking Part in 1960—Railway Strike

863. **Shri Ramavtar Shastri:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that punishment given to the employees for taking part in the 1960—Railway strike has been condoned;

(b) if not, the number of employees Railway-wise in whose cases the punishment has not been condoned;

(c) the number of employees Railway-wise against whom orders for condoning the punishment had been passed but not implemented, and the reasons therefor; and

(d) the steps being taken to undo this injustice to such employees?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha): (a) to (d). Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Khadi Gramodyog Societies in Rajasthan

864. **Shri P. L. Barupal:** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) wether Government have received complaints about cases of corruption and embezzlement in Khadi Gramodyog Societies in Rajasthan; and

(b) if so, the action taken in the matter?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Shafi Qureshi): (a) Some complaints have been received by the Khadi and Village Industries Commission.

(b) Action is taken to initiate investigation into the facts and further action can be considered on the basis of the outcome of the investigation.

Cottage Industries in Rajasthan

865. **Shri P. L. Barupal:** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) the details of the schemes sanctioned by Government to promote Cottage Industries in Rajasthan during 1967-68; and

(b) the total amount to be spent on these schemes?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Shafi Qureshi): (a) The Government have not sanctioned any scheme for the development of Cottage Industries in Rajasthan during 1967-68. The Khadi and Village Industries Commission has, however, sanctioned schemes for the development of Khadi and the following village industries, viz.,

(1) Processing of cereals and pulses,
(2) Village Oil,
(3) Village Leather,
(4) Cottage Match,
(5) Gur and Khandsari,
(6) Non-edible oils and soap,
(7) Hand made paper,
(8) Village Pottery,
(9) Fibre,
(10) Carpentry and Blacksmithy,
(11) Lime manufacture, and
(12) Manufacture of Methane Gas.

The Commission has also sanctioned a scheme for Integrated Development Programme.

The All India Handicrafts Board will continue its schemes for training in various crafts.

(b) Rs. 39.86 lakhs are expected to be spent on the development of khadi and village industries and on Gramodyog Sales Depots and Rs. 1.415 lakhs on the training schemes under the All India Handicrafts Board.

Allotment of Ivory to Traders

866. **Shri P. L. Barupal:** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) the names of the traders who were granted ivory quota in Rajasthan in 1966;

(b) whether it is a fact that all the traders who were granted ivory quota have received their share of the same; and

(c) if so, the names of those traders, firms or artisans; and the quantity of ivory supplied to each and the value thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Shafi Qureshi): (a) to (c). No trader in Rajasthan was granted ivory quota in 1966. However, under the Export Promotion Scheme, Import licences for importing ivory of the value of Rs. 28,261/- were issued during 1966 to the following firms:—

1. Thahryamal Balchand, Mirza Ismail Road, Jaipur. for Rs. 24,772.00

2.	Gobind Ram Ram Chand, Mirza Ismail Road, Jaipur.	for Rs.	348.00
3.	Oriental Export Corp., Jaipur.	for Rs.	3,141.00

इलैक्ट्रो-मैडिको उपकरण का आयात

867. **श्री मद्दी सुदर्शनम** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुपये में भुगतान स्वीकार करने वाले देशों से इलैक्ट्रो-मैडिको उपकरण लेने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) तथा (ख). जर्मन प्रजातन्त्रीय गणराज्य तथा हंगरी के साथ 1967 के लिये किये गये व्यापार प्रबन्धों के अन्तर्गत, भारतीय राज्य व्यापार निगम द्वारा इलैक्ट्रो-मैडिको उपकरणों का आयात करने की सम्भावना विद्यमान है। फिर भी इस समय कोई विशिष्ट प्रस्ताव भारतीय राज्य व्यापार निगम के विचाराधीन नहीं है।

लन्दन में चाय केन्द्र

868. **श्री मद्दी सुदर्शनम** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान प्रोफेसर सी० एन० वकील द्वारा अपनी पुस्तक 'डिवेल्यूएशन आफ दी रूपी : ए चैलेंज एण्ड एन औपारच्यूनिटी' (रुपये का अवमूल्यन एक चुनौती तथा एक अवसर) में चाय बोर्ड द्वारा लन्दन में अपने चाय केन्द्रों का प्रबन्ध करने के लिये अपनाये गये तरीकों के बारे में की गई आलोचना की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) लंदन में चाय केन्द्र के असंतोषजनक रूप से चलने के बारे में जानकारी सरकार को श्री वकील की पुस्तक के प्रकाशन से पूर्व मिल चुकी थी। तब से केन्द्र का नवीकरण किया जा चुका है तथा सेवा में काफी सुधार हो चुका है। सेवा अब अच्छी किस्म की चाय तथा स्वल्पाहार तक सीमित है। नवीनतम सूचनाओं के अनुसार केन्द्र को अब उच्चतर श्रेणी के ग्राहकों का प्रश्रय मिल रहा है। इसकी उन्नति के लिये कुछ अन्य उपाय भी करने का विचार है।

काली सूची में रखी गई फर्मों के बारे में जांच

869. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री 2 नवम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 111 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की विभिन्न एजेंसियों ने अमींचन्द प्यारेलाल सार्थ-समूह की उन फर्मों

के बारे में जिनका नाम काली सूची में रखा गया था अथवा जिनको अन्य किसी रूप में दंड दिया गया था, इस बीच जानकारी एकत्रित कर ली है अथवा जांच कर ली है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो इसमें और कितना समय लगने की सम्भावना है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फख्रुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित प्रश्न सं० 111 अत्यंत विशद और अस्पष्ट था कि उससे यह पता नहीं लगता था कि माननीय सदस्य कौन सी सूचना/जांच-पड़ताल के बारे में जानना चाहते थे। फिर भी भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से अनुरोध किया गया है कि वे इस प्रश्न के बारे में जैसा भी वह है पूरी जानकारी भेज दें। उनमें कुछ मंत्रालयों के उत्तर की अभी प्रतीक्षा की जा रही है।

यदि माननीय सदस्य का अभिप्राय लोक लेखा समिति (तीसरी लोक सभा) के 50वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों से है तो इस विषय में, उनका ध्यान इस्पात, खान तथा धातु मंत्री द्वारा 31 मार्च, 1967 का प्रश्न संख्या 171 के उत्तर की ओर आकृष्ट किया जाता है। इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय ने पहले ही एक समिति बनाई है जिसका नाम इस्पात सौदे संबंधी जांच समिति है।

प्रमुख उद्योग-गृह

870. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि (बिड़ला, टाटा आदि जैसे) कौन से पांच प्रमुख उद्योग-गृह हैं और भारतीय अर्थ-व्यवस्था में लगी हुई कुल पूंजी में, कितनी संयुक्त रूप से या व्यक्तिगत रूप से उनके नियंत्रणाधीन है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फख्रुद्दीन अली अहमद) : एकाधिकार जांच आयोग ने, 1963-64 में, प्रदत्त पूंजी तथा शुद्ध परिसंपत्ति संबंधी, प्राप्य आंकड़ों के आधार पर, निम्नलिखित पांच उद्योग-गृहों को शीर्षस्थ, वर्गीकृत किया था :

1—टाटा
2—बिड़ला
3—मार्टिन बर्न
4—बंगूर
5—दी एसोसियेटेड सीमेंट कम्पनी लिमिटेड

भारतीय अर्थ-व्यवस्था में, उनकी जमा पूंजी के योग से संबंधित आंकड़े, अभी प्राप्य नहीं। रिजर्व बैंक आफ इंडिया, द्वारा किये गये एक सर्वेक्षण से, देश की कुल गोचर संपत्ति, जो मोटे तौर से अनुमानित की गई, वही है जैसा कि जमा पूंजी, भूमि को सम्मिलित कर, 1960-61 के वर्ष में, 55,600 करोड़ रुपये थी। इन आंकड़ों के आधार पर, इन व्यापारिक समूहों का

वैयक्तिक अंश, देश की, गोचर संपत्ति के योग में, इस प्रकार कार्यरत है :

पद	व्यापार गृह का नाम	समूह में कुल कम्पनियों की संख्या	प्रदत्त पूंजी	शुद्ध परिसंपत्ति	शुद्ध परिसंपत्ति का कुल गोचर संपत्ति से, प्रतिशत
			(करोड़ रुपयों में)		
1	टाटा ...	53	102-3	417-7	0-75
2	बिड़ला	151	76-3	292-7	0-53
3	मार्टिन बर्न ...	21	22-3	149-7	0-27
4	बंगूर ...	81	19-7	77-9	0-14
5	एसोसियेटेड सीमेंट कम्पनीज ...	5	24-2	77-4	0-14

मैसर्स न्यू सेंट्रल जूट मिल्स कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता

871. **श्री मधु लिमये : क्या वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता की मैसर्स न्यू सेंट्रल जूट मिल्स कम्पनी लिमिटेड को 1956 से लेकर 31 मार्च, 1967 तक की अवधि में केन्द्रीय सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ी राशियों के ऋण दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो इन ऋणों की कुल राशि कितनी है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस कम्पनी की वित्तीय स्थिति संतोषजनक नहीं है और इस कम्पनी ने कुछ वर्षों से अपने संतुलन-पत्र भी प्रकाशित नहीं किये हैं; और

(घ) यदि हां, तो ये ऋण वसूल करने तथा अंशधारियों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) तथा (ख). केन्द्रीय सरकार द्वारा इस कम्पनी को कोई ऋण नहीं दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने यदि कोई ऋण दिया हो तो उससे केन्द्रीय सरकार का कोई सम्बन्ध नहीं है।

(ग) तथा (घ). कम्पनी की वित्तीय स्थिति के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। परन्तु ऐसा विदित हुआ है कि कम्पनी ने 1 अप्रैल, 1964 से आरम्भ होने वाले लेखा वर्षों के लिये अपने सन्तुलन-पत्र प्रस्तुत नहीं किये हैं। कम्पनी एक्ट, 1956 की धारा 237 की उप-धारा (ख) के उप-खण्ड (1) तथा (2) के अधीन कम्पनी विधि बोर्ड ने इस कम्पनी के कार्यों की जांच का आदेश भी दे दिया है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

चित्तौड़गढ़ में बिड़ला के सीमेंट कारखाने को काफी मात्रा में बिजली का दिया जाना

श्री समरेन्द्र कुण्डू (बालासौर) : इससे पूर्व कि आप ध्यान दिलाने वाली उक्त सूचना को लें मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने आर्ट सिल्क उद्योग के सम्बन्ध में अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने वाली सूचना दी थी। लगभग दो हजार मजदूरों पर इसका प्रभाव पड़ा है। इसमें लगभग 28 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अन्तंग्रस्त है।

अध्यक्ष महोदय : जब तक किसी अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने वाली सूचना की अनुमति न दी जाये उसको इस प्रकार सभा में नहीं उठाया जा सकता।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : (भुवनेश्वर) : मैं सिंचाई तथा विद्युत मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं तथा अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :

"राजस्थान में राष्ट्रपति के शासन काल में चित्तौड़गढ़ में बिड़ला के सीमेंट कारखाने को रियायती दर पर काफी मात्रा में बिजली देने के लिए सरकार के सहमत हो जाने, जिसके फलस्वरूप सरकार को लगभग 30 लाख रुपये वार्षिक की हानि होगी।"

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : राजस्थान के कोटा औद्योगिक क्षेत्र को मुख्य रूप से गांधीसागर पन-बिजली केन्द्र से बिजली की सप्लाई की जाती है, जहां पिछले दो सालों से लगातार सूखा पड़ने के कारण बिजली उत्पादन को काफी कम करना पड़ गया था। राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों में प्रयोग के लिये लगभग 10 लाख यूनिट प्रतिदिन के अभिकल्पित उत्पादन के मुकाबले इस समय केवल लगभग 2 लाख यूनिट बिजली उत्पादन हो रही है। जलाशय के वर्तमान निम्न स्तर को देखते हुये गांधीसागर बिजली घर में अगले कुछ ही दिनों के अन्दर बिजली उत्पादन और भी कम करके लगभग 75000 यूनिट प्रतिदिन करना पड़ेगा।

राजस्थान की बिजली की वर्तमान मांग लगभग 20 लाख यूनिट प्रतिदिन है, लेकिन सभी साधनों से केवल लगभग 8 लाख यूनिट प्रतिदिन बिजली उपलब्ध होती है। इन साधनों में भाखड़ा परियोजना, उनके अपने डीजल और ताप संयंत्र तथा गाँधीसागर शामिल है। बड़े उद्योगों के लिये 60 प्रतिशत, मध्यम उद्योगों के लिए 25 प्रतिशत और छोटे उद्योगों के लिये 10 प्रतिशत बिजली की कटौती इस समय की जा रही है।

आपातकाल में बिजली की सप्लाई को आसान करने के उद्देश्य से मैसूर से राजस्थान के लिये 10 मैगावाट की क्षमता के एक गैस उत्पादन सेट का प्रबन्ध किया गया था और उसे कोटा में स्थापित कर दिया गया था। इस सैट से पैदा की गई बिजली की लागत 53.6 पैसे प्रति यूनिट है। केवल

ईंधन पर 28.68 लाख रुपये खर्च हुये थे। बिजली उत्पादन की अधिक लागत के मुख्य कारणों में एक कारण तीव्रगति डीजल तेल की 588 रुपये प्रति किलो-लिटर, बम्बई रेल तक निष्प्रभार, की मूल लागत में से 480 रुपये तो उत्पादन शुल्क है। गत वर्ष इस सेट को 3 मार्च, 1966 से 16 जून 1966 तक आन्तरायिक गति से चलाया गया था और इससे कुल 61 लाख यूनिट बिजली उत्पन्न की गई थी।

कोटा में दिल्ली क्लाथ मिल्स संश्लिष्ट को 3 पैसे प्रति यूनिट की औसत दर से बिजली दी जाती है जो कि साधारण स्थिति में हर रोज लगभग 4 लाख यूनिट इस्तेमाल में लाते हैं। राज्य में अन्य औद्योगिक उपभोक्ताओं को, जिसमें चित्तौड़गढ़ का बिड़ला सीमेंट प्लांट भी है, 7-9 पैसे प्रति यूनिट की औसत दर से बिजली दी जाती है। इनसे छोटे उद्योगों को सप्लाई की जाने वाली बिजली की औसत दर लगभग 13.5 पैसे प्रति यूनिट है। औद्योगिक उत्पत्ति पर कम बिजली के कुप्रभाव को दूर करने के लिये गत वर्ष गैस सेट चलाया गया था जिससे, जैसा कि ऊपर कहा गया है, 61 लाख यूनिट बिजली पैदा की गई। ऐसा करने से राजस्थान बिजली बोर्ड को मुख्यत: केवल ईन्धन पर व्यय के कारण से बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा।

राजस्थान में बिजली की कमी और उद्योगों को दी जाने वाली बिजली में भारीकटौती ने कोटा में औद्योगिक उत्पत्ति पर बड़ा कुप्रभाव डाला है। बिजली की सप्लाई स्थिति में सुधार लाने के लिये निम्नलिखित पग उठाये गये हैं।

(क) मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड से प्रार्थना की गई है कि वे सतपुरा ताप बिजली घर के 62.5 मैगावाट के पहले उत्पादन यूनिट को शीघ्र चलायें और सतपुरा-इटारसी-बरवाहा पारेषण पथ का शीघ्र निर्माण करें जिससे सतपुरा बिजली घर से राजस्थान के कोटा औद्योगिक क्षेत्र को काफी बिजली सप्लाई की जा सके। आशा है कि सतपुरा बिजली घर का पहला सेट जुलाई-अगस्त 1967 में चालू हो जायेगा।

(ख) बदरपुर से अलवर तक 132 के० वी० लाईन का निर्माण 142 लाख रुपये की अनुमित लागत पर स्वीकार किया गया है।

(ग) मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड ने जून-जुलाई, 1967 से कोर्बा-अमरकण्टक प्रणाली से राजस्थान को अधिक से अधिक मात्रा में बिजली देना स्वीकार कर लिया है। यह लगभग 1.3 लाख यूनिट प्रतिदिन होगी।

किन्तु जब अगले कुछ दिनों में राजस्थान को गांधीसागर बिजली घर से बिजली की सप्लाई और घट जायेगी तब स्थिति बहुत गंभीर हो जाएगी। इस लिये जब तक बिजली की इस कमी को पूरा करने के लिये गैस यूनिट नहीं चलाया जाता, औद्योगिक उपभोक्ताओं पर और भी काफी कटौती करनी पड़ेगी जिससे उत्पादन को काफी धक्का लगेगा। पर जैसा कि पहले कहा गया है गैस टरबाइन सेट से बिजली पैदा करने की लागत बहुत अधिक है और जब तक लागत को नीचे नहीं लाया जाता उद्योगों के लिये 53 पैसे प्रति यूनिट जितनी अधिक दर देना सम्भव

नहीं होगा। इन सभी बातों का ख्याल करते हुये भारत सरकार कुछ समय से ईन्धन तेल पर उत्पाद-शुल्क में कमी लाने के प्रश्न पर विचार कर रही है। राज्य में बिजली की अति गंभीर स्थिति को देखते हुये राजस्थान ने 31 जुलाई, 1967 तक चार महीनों के अस्थायी अवधि के लिये कोटा के गैस टरबाइन यूनिट को चलाने के लिये ईन्धन पर उत्पादन-शुल्क को 55 प्रतिशत तक की छूट देना स्वीकार कर लिया है। जुलाई-अगस्त, 1967 तक सतपुरा ताप बिजली घर के चालू होने की, और बिजली की सप्लाई स्थिति सुधरने की सम्भावना है। साथ ही यदि इस वर्ष वर्षा अच्छी रही, गांधीसागर बिजलीघर से बिजली की सप्लाई में वृद्धि हो जायेगी। उत्पादन शुल्क में जो पूर्णतया अस्थायी रूप से राहत दी गई है उससे गैस यूनिट की उत्पादन लागत कम होकर लगभग 37 पैसे प्रति यूनिट हो जायेगी इसमें ब्याज और ह्रास शामिल नहीं है। राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड उपभोक्ताओं से अवर्द्धित दरों पर बिजली की सप्लाई के लिये वार्ता कर रहा है और ऐसा पता चला है कि कुछ औद्योगिक उपभोक्ताओं ने यह मान लिया है कि वे समस्त अतिरिक्त सप्लाई के लिये उतनी ही लागत पर बिजली खरीद लेंगे जितनी कि आगामी चार महीनों में बिजली उत्पादन पर आएगी। पता चला है कि चित्तौड़गढ़ में स्थित बिड़ला सीमेंट प्लांट गैस यूनिट से 36000 यूनिट प्रतिदिन लेने का इरादा रखता है। इसके अतिरिक्त जे० एण्ड के० सिन्थैटिक्स कोटा और अन्य कई उद्योग भी और 36000 यूनिट प्रतिदिन लेना चाहते हैं। इस प्रकार यह देखा जायेगा कि चित्तौड़गढ़ स्थिति बिड़ला सीमेंट फैक्टरी की मांग गैस टरबाइन द्वारा उत्पन्न होने वाली बिजली का एक भाग है।

भारत सरकार द्वारा उत्पादन मुल्क पर कुल छूट 10 लाख रुपये तक होगी। इसके प्रति समाज और सरकार को अधिक रोजगार महत्ता औद्योगिक उत्पादन और उत्पादन-शुल्क तथा बिक्रीकरों के द्वारा अधिक राजस्व के रूप में काफी फायदे होंगे। अनुमान किया जाता है कि इस चार माह की अवधि में केवल बिड़ला सीमेंट फैक्टरी से ही 15 लाख रुपये से अधिक उत्पादन शुल्क का राजस्व प्राप्त होगा। अन्य कारखानों से भी अधिक उत्पादन के कारण इसी प्रकार राजस्व की प्राप्ति होगी, जो कि तभी सम्भव है जबकि उन्हें गैस टरबाइनों को चला कर कुछ और बिजली दी जाए।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : यह एक गम्भीर मामला है अतः अन्य सदस्यों को भी प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : आपको अन्य सदस्यों की सहायता करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : मैं जानना चाहता हूं कि बिड़ला ग्रुप को यह रियायत कब दी गई थी और कि क्या अन्य कारखानों की बिजली सम्बन्धी मांगों को पूरा नहीं किया गया क्योंकि राजस्थान में बिजली की कमी थी और कि बिड़ला ग्रुप को प्राथमिकता दी गई थी? सरकार का बिड़ला के साथ जो समझौता हुआ है क्या माननीय मंत्री उसको सभा के समक्ष रखेंगे ताकि हमें पूर्ण जानकारी मिल सके।

डा० कु ० ल० राव : बिड़ला के साथ कोई करार नहीं हुआ है। उनको कोई रियायत नहीं दी गई है। उत्पादन होने वाली विद्युत को कोई भी व्यक्ति 35 पैसे देकर ले सकता है। उसमें कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में
Re. QUESTION OF PRIVILEGE

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Saddar): 'Ban on cow slaughter' movement is going on in the country for the last six months. About twentyfive thousand persons have already courted arrest in this movement.

On the 5th April, at about 3 P. M. Shri Brahma Nand an Hon. Member of this House was arrested alongwith 186 other persons before Parliament House where Section 144 has been imposed. They were taken in the trucks. On knowing that Shri Brahma Nand is Member of Parliament, he was transferred from truck to jeep and after revolving the jeep around Parliament House for half-an-hour he was taken to Parliament Police Station. He was asked to sit in the Police Station alongwith other 186 persons. Addresses of all the persons were taken.

According to Rule 229 of the Rules of Procedure and conduct of Business when a Member of the House is arrested on a criminal charge or criminal offence or is detained under an executive order an intimation to this effect is to be given immediately to the Speaker by a committing judge, magistrate or executive authority as the case might be, informing the reasons for such arrest, detention or conviction, etc. But in this particular case no intimation either re: his arrest or release has been given to you by the district authorities and as such no information has been conveyed to the House by you. It is a clear case of the breach of privilege and contempt of the House. I would, therefore, request you either to summon the concerned police officer here in this House or to refer this matter to the Committee of Privileges.

In this connection, the Hon. Minister might say that there was nothing in writing. But I would say that for arresting a person written orders are not necessary. This has already happened with me, Shri Bal Raj Madhok and many other persons who were sent to jail without telling any reasons. The authorities might also say that he was not detained. So regarding detention I would quote a judgement of the High Court which says that detention means keeping back. This may take place either by physical force. My request is that Shri Brahma Nand was kept in police custody and therefore it is a clear case of detention. I would, therefore, again request you to refer this matter to the committee of Privileges.

Shri A. B. Vajpayee (Balrampur): There may be a difference of opinion with regard to the intention of Swamiji but I would like to know whether the police have a right to lift bodily a Member of Parliament, whenever they choose to do so? Why was this fact of his arrest and release concealed from you? This is a serious matter. The Minister of Home Affairs should not try to shield Delhi Policemen.

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur): The news of arrest of Swami Brahma Nand, M. P. has also appeared in the newspapers. It is hight of impertinance on the part of Delhi

Police or the Ministry of Home Affairs not to inform you in this matter. It is an infringement of your rights, the right of the House and the Members of Parliament. This matter should be referred to the Committee of Privileges.

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : मुझे दिल्ली प्रशासन के सम्बन्धित अधिकारियों से जो मौखिक सूचना प्राप्त हुई है, उसी पर मेरा वक्तव्य आधारित है। विशेषाधिकार सम्बन्धी सूचना मुझे कल सायंकाल को मिली थी।

Dr. Ram Manohar Lohia (Kannauj): It appears that the Minister does not want to take the responsibility for the authenticity of his statement. I do not know what is in his mind........

Shri Y. B. Chavan: I have nothing in my mind. I want to place facts before the House.

अध्यक्ष महोदय : गृह-कार्य मंत्री अफसरों के माध्यम से ही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, इसका अर्थ यह नहीं कि गृह-कार्य मंत्री उत्तरदायी नहीं हैं।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : मंत्री महोदय को यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि उनकी सूचना का आधार क्या है।

श्री यशवन्त राव चह्वाण : मैं इस सम्बन्ध में कोई अग्रेतर जांच नहीं कर सका हूं। मैंने जिस कार्यवाही का आदेश दिया है तथा जो सूचना अब मैं दे रहा हूं उसकी पूरी जिम्मेवारी लेता हूं।

5 अप्रैल, 1967 को मध्याह्न पश्चात् श्री ब्रह्मानन्द जी, संसद् सदस्य संसद् भवन के उत्तर के गोल चकर में बैठे हुये थे। गोहत्या विरोधी प्रदर्शन करने के लिए लगभग 150 व्यक्ति उनके साथ आकर शामिल हो गये। प्रदर्शन शान्तिपूर्ण था। लगभग 3 बजे श्री ब्रह्मानन्द जी तथा अन्य प्रदर्शनकारी अपनी इच्छा से वहां खड़ी तीन पुलिस गाड़ियों में बैठ गये। मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है, उससे मालूम होता है कि वे लोग वास्तव में गिरफ्तार होने के लिए सत्याग्रह कर रहे थे तथा पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने से इन्कार कर दिया।

Shri A. B. Vajpayee: This is a question of our privileges. The Hon. Minister should give full information. He should first try to find out the truth.

Shri Y. B. Chavan: I may be allowed time for that.

अध्यक्ष महोदय : हम इस मामले को कल पुन: लेंगे।

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till Fourteen of the Clock.

लोक-सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् दो बजे म० प० पुनः समवेत हुई।
The Lok Sabha reassembled after lunch at Fourteen of the Clock.

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (सिविल), 1967

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल), 1967.

(2) विनियोग लेखे (सिविल), 1965-66

[**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०**-319/67]

लवण उपकर संशोधन नियम आदि

औद्योगिक विकास तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : श्री फखरुद्दीन अली अहमद की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) लवण उपकर अधिनियम, 1953 की धारा 6 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत लवण उपकर (संशोधन) नियम, 1966 की एक प्रति, जो दिनांक 26 नवम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3592 में प्रकाशित हुए थे। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०**-286/67]

(2) (एक) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड, नई दिल्ली, के 1965-66 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

(दो) उक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।
[**पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०**-287/67]

(3) (एक) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत नेशनल स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली, के 1965-66 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

(दो) उक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।
[**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०**-288/67]

(4) (एक) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, कलकत्ता, के 1965-66 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(दो) उक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।
[**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०**-289/67]

(5) (एक) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, उदकमण्डलम्, के 1965-66 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(दो) उक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।
[**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०**-290/67]

(6) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 7 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित विकास परिषदों के 1964-65 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति :

(एक) बिजली के भारी सामान के उद्योगों सम्बन्धी विकास परिषद्।

(दो) मशीनी औजार उद्योग सम्बन्धी विकास परिषद्।

(तीन) अलौह-धातु उद्योग सम्बन्धी विकास परिषद्।

(चार) आटोमोबाइल्स, आटोमोबाइल के छोटे-मोटे सामान के उद्योगों, सामान ढोने वाली गाड़ियों के उद्योगों, ट्रैक्टरों तथा मिट्टी हटाने के उपकरणों और अन्तर्दहन इंजनों सम्बन्धी विकास परिषद्।

(पांच) अकार्बनिक रासायनिक-पदार्थ उद्योगों सम्बन्धी विकास परिषद्।

(छः) कपड़ा मशीनरी उद्योग सम्बन्धी विकास परिषद्।

(सात) भेषज तथा औषध-निर्माण सम्बन्धी विकास परिषद्।

(आठ) नकली रेशम उद्योग सम्बन्धी विकास परिषद्।

(नौ) कार्बनिक रासायनिक-पदार्थ उद्योगों सम्बन्धी विकास परिषद्।

(दस) ऊनी कपड़ा उद्योग सम्बन्धी विकास परिषद्।

(ग्यारह) कागज, लुग्दी तथा समवर्गी उद्योगों सम्बन्धी विकास परिषद्।

(बारह) चीनी उद्योग सम्बन्धी विकास परिषद्।

(तेरह) तेलों, अपमार्जकों (डिटर्जेंट्स) तथा रोगनों सम्बन्धी विकास परिषद्।

(चौदह) यन्त्रों, बाइसिकलों तथा सीने की मशीनों सम्बन्धी विकास परिषद्।

(पन्द्रह) कांच तथा मृत्तिका-शिल्प (सीरामिक्स) सम्बन्धी विकास परिषद् ।

(सोलह) अन्तर्दहन इंजनों, विद्युत-चालित पम्पों, वायु कम्प्रेसरों तथा पंखों और धौकनियों (ब्लोअर्स) सम्बन्धी विकास परिषद् ।

(सत्रह) बिजली के हल्के सामान के उद्योगों सम्बन्धी विकास परिषद् ।

(अट्ठारह) चमड़ा तथा चमड़े के सामान सम्बन्धी विकास परिषद् ।

(उन्नीस) खाद्य निर्माण के उद्योगों सम्बन्धी विकास परिषद् ।
[**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०**-291/67]

(7) डा० आर० के० हजारी द्वारा औद्योगिक आयोजन तथा लाइसेंस देने सम्बन्धी नीति के बारे में योजना आयोग को प्रस्तुत किये गये अन्तरिम प्रतिवेदन की एक प्रति । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०**-293/67]

नीवेली लिग्नाइट कारपोरेशन आदि के प्रतिवेदन

इस्पात, खाद्य तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : मैं डा० चेन्ना रेड्डी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं ।

(1) (एक) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत नीवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड नीवेली, के 1965-1966 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां ।

(दो) उक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।
[**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०**-292/67]

(2) (एक) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत नेशनल मिनरल डेवेलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के 1965-66 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरीक्षत लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(दो) उक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।
[**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०**-186/67]

(3) (एक) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड, नागपुर, के 1965-66 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां ।

(दो) उक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।
[**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०**-187/67]

स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन का प्रतिवेदन तथा रबड़ बेल्टिंग निर्यात (निरीक्षण) नियम

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शफी कुरेशी) : श्री दिनेश सिंह की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली, के 1965-66 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(दो) उक्त कारपोरेशन के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

[**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०**-294/67]

(2) निर्यात (किस्म नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत रबड़ बेल्टिंग (निरीक्षण) नियम, 1966 की एक प्रति जो दिनांक 13 मार्च, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 848 में प्रकाशित हुए थे। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०**-295/67]

प्रादेशिक सेना (पहला संशोधन) नियम

संसद-कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : मैं श्री ब० रा० भगत की ओर से प्रादेशिक सेना अधिनियम, 1948 की धारा 14 के अन्तर्गत जारी किये गये प्रादेशिक सेना (पहला संशोधन) नियम, 1967 की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं जो दिनांक 18 मार्च, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० 92 में प्रकाशित हुये थे। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०**-296/67]

आश्वासनों आदि पर की गई कार्यवाही बताने वाला विवरण

डा० राम सुभग सिंह : मैं श्री आई० के० गुजराल की ओर से लोक-सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये, विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही बताने वाले निम्नलिखित विवरण सभा-पटल पर रखता हूं :

चौथी लोक-सभा

1. विवरण संख्या 1	...	पहला सत्र, 1967

तीसरी लोक-सभा

2. अनुपूरक विवरण संख्या 2	...	सोलहवां सत्र, 1966
3. अनुपूरक विवरण संख्या 5	...	पंद्रहवां सत्र, 1966
4. अनुपूरक विवरण संख्या 9	...	चौदहवां सत्र, 1966
5. अनुपूरक विवरण संख्या 12	...	बारहवां सत्र, 1965
6. अनुपूरक विवरण संख्या 17	...	ग्यारहवां सत्र, 1965
7. अनुपूरक विवरण संख्या 25	...	सातवां सत्र, 1964

[**पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०**-297/67]

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : अमींचन्द प्यारेलाल, देश में सी० आई० ए० की गतिविधियों, लक्ष्मी रतन काटन मिल्स, कानपुर तथा हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड के मामलों में दिये गये आश्वासन पूरे नहीं किये गये हैं। माननीय मंत्री ने उन मामलों के बारे में वक्तव्य नहीं दिये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आश्वासनों सम्बन्धी समिति इन मामलों पर विचार करेगी।

डा० राम सुभग सिंह : आश्वासनों सम्बन्धी समिति ऐसे मामलों पर विचार करेगी और देखेगी कि जिन मामलों में आश्वासन पूरे नहीं हुए हैं—उन मामलों में आश्वासन बाद में पूरे किये जायें।

अमींचन्द प्यारेलाल के मामले पर अवश्य ही विचार किया जायेगा। सी० आई० ए० की गतिविधियों तथा लक्ष्मी रतन काटन मिल्स के बारे में आश्वासन हाल ही में दिये गये हैं।

श्री शशि रंजन (पपड़ी) : यदि आश्वासनों सम्बन्धी समिति किसी मामले में स्पष्टीकरण चाहती हो तो उसे संसद-कार्य विभाग के माध्यम से ऐसा करना होता है। यदि समिति सीधा मंत्रियों से सम्पर्क स्थापित करे तो इससे मामले शीघ्र निपटाये जा सकेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : संसद्-कार्य मंत्री इन मामलों के बारे में सतर्क हैं और वह उचित समय पर कार्यवाही करेंगे।

आपात जोखिम बीमा (संशोधन) योजनायें

वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) आपात जोखिम (माल) बीमा अधिनियम, 1962 की धारा 5 की उप-धारा (6) के अन्तर्गत आपात जोखिम (माल) बीमा (संशोधन) योजना, 1967 की एक प्रति जो दिनांक 23 मार्च, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1009 में प्रकाशित हुई थी। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०**-298/67]

(2) आपात जोखिम (कारखाने) बीमा अधिनियम, 1962 की धारा 3 की उप-धारा (7) के अन्तर्गत आपात जोखिम (कारखाने) बीमा (संशोधन) योजना, 1967 की एक प्रति जो दिनांक 23 मार्च, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1010 में प्रकाशित हुई थी।

[**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०**-299/67]

राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम के लेखे

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शिन्दे) : मैं

राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम अधिनियम, 1962 की धारा 17 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम, नई दिल्ली, के वर्ष 1965-66 के प्रमाणित लेखे की एक प्रति तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-300/67]**

अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) जी० एस० आर० 26 जो दिनांक 7 जनवरी, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची III में एक संशोधन किया गया।

(दो) जी० एस० आर० 347 जो दिनांक 18 मार्च, 1967 के भारत के राजपत्र, में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची III में कतिपय संशोधन किये गये।

(तीन) जी० एस० आर० 348 जो दिनांक 18 मार्च, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची III में एक संशोधन किया गया।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०-301/67]

(2) संघ राज्य क्षेत्रों का शासन अधिनियम, 1963 की धारा 51 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी किये गये आदेश की एक प्रति जो दिनांक 5 अप्रैल, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा गोवा, दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र से सम्बन्धित दिनांक 3 दिसम्बर, 1966 के आदेश को विखण्डित किया गया। **[पुस्तकालय में रखी गयीं। देखिये संख्या एल० टी०-302/67]**

उप-चुनावों के परिणाम

विधि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : 'मैं जनवरी, 1965 और जुलाई' '1966 के बीच हुए उप चुनावों के परिणाम' की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गयीं। देखिये संख्या एल० टी०-303/67]**

कहवा अधिनियम, इलायची अधिनियम तथा अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

श्री शफी कुरेशी : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) कहवा (काफी) अधिनियम, 1942 की धारा 48 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत

निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :

(एक) कहवा (तीसरा संशोधन) नियम, 1966 जो दिनांक 17 दिसम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1907 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) कहवा (संशोधन) नियम, 1967 जो दिनांक 28 जनवरी, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 112 में प्रकाशित हुये थे ।

[**पुस्तकालय में रखी गयीं । देखिये संख्या एल० टी०**-304/67]

(2) इलायची अधिनियम, 1965 की धारा 33 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :

(एक) इलायची (दूसरा संशोधन) नियम, 1966 जो दिनांक 3 दिसम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1821 में प्रकाशित हुये थे ।

(दो) इलायची (तीसरा संशोधन) नियम, 1966 जो दिनांक 3 दिसम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1822 में प्रकाशित हुये थे ।

[**पुस्तकालय में रखी गयीं । देखिये संख्या एल० टी०**-305/67]

(3) अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :

(एक) रुई (नियंत्रण) (दूसरा संशोधन) आदेश, 1966 जो दिनांक 29 नवम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3607 में प्रकाशित हुआ था ।

(दो) रुई तथा तन्तुक (स्टेपल फाइबर) कपड़ा मिलें (विनियमन तथा कार्यचालन) आदेश, 1966 जो दिनांक 24 दिसम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3966 में प्रकाशित हुआ था ।]

[**पुस्तकालय में रखी गयीं । देखिये संख्या एल० टी०**-306/67]

राज्य-सभा से संदेश

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

सचिव : श्रीमान्, राज्य-सभा के सचिव से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुए हैं :

(एक) कि राज्य-सभा ने अपनी 30 मार्च, 1967 की बैठक में लोक-सभा की इस सिफारिश से सहमति प्रकट की है कि 31 मार्च, 1968 को समाप्त होने वाली अवधि के लिये लोक-सभा की लोक लेखा समिति के साथ सहयोजित करने के लिये राज्य-सभा से सात सदस्य नाम-निर्दिष्ट किये

जायें और राज्य-सभा के निम्नलिखित सदस्यों के नाम, जो इस समिति के लिए निर्वाचित किये गये हैं, सूचित किये हैं :

(1) श्रीमती देवकी गोपीदास

(2) श्री पी० के० कुमारन

(3) श्री ओम मेहता

(4) श्री गौरे मुराहरि

(5) श्री एम० सी० शाह

(6) डा० एम० एम० एस० सिद्धू

(7) श्री बी० के० पी० सिन्हा

(दो) कि राज्य-सभा ने अपनी 30 मार्च 1967 की बैठक में लोक-सभा की इस सिफारिश से सहमति प्रकट की है कि 31 मार्च, 1968 को समाप्त होने वाली अवधि के लिये लोक-सभा की सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के साथ सहयोजित करने के लिए राज्य-सभा से पांच सदस्य नाम, निर्दिष्ट किये जायें और राज्य-सभा के निम्नलिखित सदस्यों के नाम, जो इस समिति के लिए निर्वाचित किये गये हैं, सूचित किये हैं :

(1) श्री अर्जुन अरोड़ा

(2) श्री वी० एम० चौरड़िया

(3) श्री बांका बिहारी दास

(4) कुमारी मेरी नायडू

(5) श्री अवधेश्वर प्रसाद सिन्हा

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

चालीसवां प्रतिवेदन

सचिव : तीसरी लोक-सभा की सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का चालीसवां प्रतिवेदन समिति के सभापति ने 3 मार्च, 1967 को अध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत किया था। मैं उसकी एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

कार्यवाही सारांश

मैं 32वें से 40वें प्रतिवेदनों के बारे में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश सभा-पटल पर रखता हूं।

सदस्य द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

PERSONAL EXPLANATION BY MEMBER

Shri Shashi Bhushan Vajpayee (Khargone): Mr. Deputy-Speaker, Sir, at the time of half-an-hour discussion on the C.I.A. on the 23rd March, 1967, Hon Member, Shri Hardayal Devgun had made allegations that I and my wife were C.I.A. agents and we were getting salary from that agency and that C.I.A. had financed my elections. Sir, the above-mentioned allegations are baseless and untrue and have been levelled at a moment of excitement. I have no connections with C.I.A. and regard all such persons as enemies of our country who have connections with such foreign agencies. As far as my election expenses are concerned they were met by the state Congress Committee. I have not spent even a single pie from my own pocket. I do not have any personal property and that is the main reason of my success. I hope that the Hon. Member might be feeling sorry for what he has said in excitements.

It is also very bad on the part of any Hon. Memher to make references to the wives of other Hon. Members. The allegations made against my wife are also untrue and baseless. I hope that Sarvshri Devgun and Hukam Chand Kachwai might be satisfied with the statement I have made.

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम (विशाखापतनम) : मैं जानना चाहूंगा कि व्यक्तिगत स्पष्टीकरण का क्या प्रयोजन होता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य के विरुद्ध कुछ आरोप लगाये गये थे ।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : मेरा यह विचार था कि वैयक्तिक स्पष्टीकरण सम्बन्धी नियमों के उपबन्ध का यह प्रयोजन था । जब कोई व्यक्ति ऐसा वक्तव्य देता है जो स्पष्ट नहीं होता है और जब कोई व्यक्ति इस आधार पर इसका खंडन करता है कि यह स्पष्ट नहीं है तब वह खड़ा होकर कहता है कि उसका इससे यह प्रयोजन था । दूसरी ओर हम यहां देखते हैं कि एक भाषण के उत्तर में दूसरा भाषण दिया गया है तथा अन्य सम्बन्धित व्यक्ति यहां उपस्थित नहीं है ।

कुछ माननीय सदस्य : वह यहां उपस्थित है ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस पर और प्रश्न नहीं हो सकते ।

Shri Hukam Chand Kachwai (Dewas): May I submit**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस पर और प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दूंगा । इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा । श्री दी० चं० शर्मा (**अन्तर्बाधायें**)**

खनिज उत्पाद (अतिरिक्त उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क) संशोधन विधेयक—जारी

MINERAL PRODUCTS (ADDITIONAL DUTIES OF EXCISE AND CUSTOMS) AMENDMENT BILL—Contd.

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री कृष्ण चन्द पन्त द्वारा 6 अप्रैल, 1967 को प्रस्तुत किये गये

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

** Not recorded.

निम्म प्रस्ताव पर आगे चर्चा होगी :

"कि खनिज उत्पाद (अतिरिक्त उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क) अधिनियम, 1958 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : मैं कल यह निवेदन कर रहा था कि ये तेल कम्पनियां बहुत शक्तिशाली कम्पनियां हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि सम्पूर्ण विधेयक पर इसी संदर्भ में विचार किया जाना चाहिये तथा सरकारी तौर पर इसका विवेचन नहीं किया जाना चाहिये। यह भी कहा गया है कि जो कर लगाये जा रहे हैं उनका बोझ उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ेगा। मैं नहीं जानता कि माननीय मंत्री ने इसे किन शब्दों में कहा था। मैं समझता हूं कि उन्होंने कहा था कि विधेयक के अन्तर्गत लगाया जाने वाला उत्पादन शुल्क प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता पर नहीं पड़ेगा। यह तर्क हमारी समझ में नहीं आया है। मैं चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री इस प्रश्न का उत्तर दें। मैं देखता हूं कि मिट्टी के तेल पर उत्पादन शुल्क दुगुना कर दिया गया है। जहां तक साफ किये हुए डीजल तेल का सम्बन्ध है उस पर उत्पादन शुल्क शत प्रतिशत बढ़ा दिया गया है। अस्फाल्ट पर भी उत्पादन शुल्क बढ़ा दिया गया है। इसलिये यह विचार करना कि इन उत्पादन शुल्कों का उपभोक्ताओं पर प्रभाव नहीं पड़ेगा बड़ी विचित्र बात है। अतः उपभोक्ता का सबसे पहले ख्याल रखा जाना चाहिये। इनमें से मिट्टी के तेल आदि की पहले ही कमी है। साफ किया हुआ डीजल तेल तथा अन्य तेल भी अपेक्षित मात्रा में नहीं मिलते हैं। इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि क्या उत्पादन शुल्क में वृद्धि करने से यह कमी और अधिक तो नहीं बढ़ जायेगी ? मेरा अन्तिम प्रश्न यह है। मैं देखता हूं कि मिट्टी का तेल, साफ किया डीजल तेल तथा अन्य डीजल तेल एकाधिकार की वस्तुयें बन गई हैं। सरकार की यह नीति है कि इन एकाधिकारों को यथाशीघ्र समाप्त किया जाये। परन्तु मैं देखता हूं कि मिट्टी का तेल, डीजल तेल आदि को बेचने के लिये चंद एक व्यक्तियों को ही लाइसेन्स दिये जाते हैं। दूसरे मिट्टी के तेल के डिपुओं के स्वामी भी ऐसी संस्थाओं के स्वामी हैं जोकि लगभग एकाधिकार संस्थायें हैं। जब भी कोई किसी स्थान पर जाकर देखता है तो उसे पता चलता है मिट्टी का तेल छिप गया है और बाहर नहीं निकाला जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि साधारण व्यक्ति को मिट्टी के तेल के बगैर ही गुजारा करना पड़ता है। कभी-कभी यातायात के लिये भी तेल नहीं मिलता है। इसलिये मैं मंत्री महोदय को कहूंगा कि उन्हें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि इन उत्पादन शुल्कों को लगाने से उनका सम्बन्ध उन वस्तुओं से न हो जाये जो एकाधिकार की वस्तुयें बन जाती हैं। उन्हें इन सब पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिये ताकि साधारण व्यक्ति को नुकसान न हो। रूमानियां, फ्रांस और रूस जैसे मित्र देशों की सहायता से हमें तेल के स्थान खोजने और तेल साफ करने के काम में आत्मनिर्भर होने का प्रयत्न करना चाहिये। हमें एस्सो, बर्मा-शैल तथा अन्य विदेशी कम्पनियों पर निर्भर रहना छोड़ देना चाहिये। अपनी सीमाओं पर विदेशी खतरे को ध्यान में रखते हुए भी ऐसा करना हमारे लिये नितान्त आवश्यक है। इसलिए तेल के मामले में आत्म-निर्भर होना हमारे लिये बहुत आवश्यक है। भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान हमें फालतू पुर्जों की सप्लाई करने से इंकार किया गया था।

इसलिये यदि तेल के मामले में ऐसा हो गया तो हमारे देश का भविष्य उज्जवल नही रह सकेगा। अतः उपभोक्ता तथा प्रतिरक्षा दोनों पहलुओं को ध्यान में रखते हुए हमें इस विधेयक पर विचार करना चाहिये।

Shri Shri Chand Goel (Chandigarh): At present there are two or three very important problems before us. The first is regarding ordinances. In our country issuing of ordinances has become a common phenomenon. The Government should not resort to issue of ordinances especially in fiscal and financial matters. Government could wait in this case also. It was stated that the ordinance had been necessitated to compensate the oil companies for their increased cost as a result of devaluation. But these oil companies are very well-to-do companies. The employees of these companies get more facilities than the Government servants. So much so that even the I. A. S. officers wish their children to be employed in such companies. Hence Government could have waited till the next session of the Parliament. There is no doubt about it that the enhanced duty would be passed on to the common man.

I would like to know the criterion adopted by these companies in the fixation of prices of kerosene oil, petroleum and petroleum products. These companies are supplying oil in Pakistan at a much lower price. Our Government should therefore make efforts to effect a reduction in rate.

I have seen personally in the villages of my constituency that there is a scarcity of oil there. At the same time there is disparity in the rates also. Both Delhi and Chandigarh are union territories. Petrol in Delhi is sold at 90 paise per litre while at Chandigarh the rate is one rupee per litre. Government should therefore see that there is no discrepancy in prices in the Union Territories at least. There is no need to bring ordinances in such a case. Hence I oppose it.

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर): मैं कुछ प्रश्नों के बारे में स्पष्टीकरण चाहता हूं तथा मुझे आशा है कि मंत्री महोदय उन पर रोशनी डालेंगे। मंत्री महोदय यह बतायें कि अवमूल्यन के बाद मूल्य समा नता तथा उच्चतम मूल्य सीमा किस आधार पर तय की गई है। क्या यह तेल कम्पनियों की मांग पर किया गया है तथा तेल कम्पनियों के साथ हुई बातचीत का ब्योरा क्या है? वे कम्पनियां निम्नतम तथा उच्चतम सीमा के बीच उच्चतम सीमा का लाभ किस हद तक प्राप्त कर सकती हैं। दूसरा प्रश्न यह है कि अवमूल्यन के बाद किस आधार पर मूल्य निर्धारित किया गया है? तीसरे मंत्री महोदय को यह बात अच्छी तरह से स्पष्ट करनी चाहिए कि क्या वसूल न की जाने वाली रकम को तेल कम्पनियों के लाभ में से वसूल किया जायेगा अन्यथा यह भार भी उपभोक्ताओं पर पड़ेगा जिसके कारण मिट्टी के तेल की कीमत और बढ़ जायेगी जो हम नहीं चाहते हैं।

Shri George Fernandes (Bombay East): The prices of kerosene, petrol and diesel are highest in India as compared to any other country in the world. Even in countries like U. S. A. and U. S. S. R. the prices of these commodities are half than those in India. It is mainly because of the high excise duty on these commodities in India. B. E. S. T. increases its fare every year because of our increase in duty on high speed diesel oil. Kerosene oil is used by farmers in

villages and Jhuggiwalas in cities and the Government is increasing its prices. While its cost of production is 15 paise per litre, it is being sold to the people at 50 to 60 paise per litre. On the other hand electricity is being provided to the big capitalists like Birla at concessional rates. They both the foreign companies and the Government are exploiting the people of India. The Hon. Minister should find out some way to give relief to the people.

वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में गलतफहमी उत्पन्न हो गई है क्योंकि यह उत्पादन-शुल्क असामान्य है। इसलिये इसके और साधारण शुल्कों के बीच भ्रम उत्पन्न होना स्वाभाविक ही है । यदि किसी व्यक्ति को अचानक ही बताया जाये तो वह पहले यही विचार करेगा कि यह साधारण उत्पादन-शुल्क है जिससे वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होगी, वास्तव में यह विधेयक बिल्कुल विवादस्पद नहीं है । इस विधेयक का उद्देश्य तो उस अत्यधिक लाभ को खत्म करना है जो अब विदेशी तेल कम्पनियों को मिल रहा है। चूंकि इस बारे में गलतफहमी उत्पन्न हो गई है इसलिये इस बारे में मैं कुछ और कहना चाहूंगा। आयात समता सूत्र भारत सरकार और विदेशी तेल कम्पनियों के बीच हुए उस करार पर आधारित है जिसके अनुसार भारत में तेल-शोधक कारखाने से निकलते समय तेल का मूल्य लागत, बीमा, बाड़ा मूल्यों तथा अबादान में मूल्य के आधार पर तय किया जाता है। जब रुपये का अवमूल्यन किया गया था तो आयातित उत्पादों को अबादान में मूल्य अवमूल्यन के अनुपात में बढ़ गया था इसका परिणाम यह हुआ था कि उन्हीं उत्पादों का मूल्य भारतीय बन्दरगाहों पर भी बढ़ गया था। इस प्रकार तेल शोधक कारखानों को जितना अधिक देना पड़ा उसी अनुपात में कारखानों से निकलते मूल्य में भी वृद्धि हो गई। यह सच है कि अवमूल्यन से जितनी कीमत रुपयों में बढ़ी है तेल शोधक कारखानों की लागत उतनी नहीं बढ़ी है। इस वजह से तेल कम्पनियों को इतना अधिक लाभ हो रहा था। अत: इस विधेयक का उद्देश्य यह है कि हम इतना अतिरिक्त उत्पादन-शुल्क लगा दें कि विदेशी तेल कम्पनियों को मिलने वाले लाभ का कुछ अंश हमारे राजस्व में भी आ सके ।

दूसरा प्रश्न यह उठाया गया था कि क्या हमसे अबादान में जहाज तक निशुल्क मूल्य अधिक लिये जाते हैं। यह बिल्कुल सच है कि जब दामले समिति और तालुकदार कार्यकारी दल ने इस सम्बन्ध में अपनी सिफारिशें भेजी थीं तो हम अबादान में जहाज तक निशुल्क मूल्यों के भावों पर निर्भर हुआ करते थे। परन्तु आज वह स्थिति नहीं है। मिट्टी के तेल, हाई स्पीड डीजल तेल जैसी घाटे के उत्पादों का आयात अब विदेशी कम्पनियों के हाथ में नहीं रहा है। ऐसा आयात सरकारी क्षेत्र में भारतीय तेल निगम द्वारा प्रतियोगी दरों पर निर्बाध रूप से रुपयों में किया जाता है । कच्चे तेल के आयात के लिये विदेशी मुद्रा की व्यवस्था वर्तमान विश्व बाजार के प्रतियोगी मूल्यों के आधार पर की जाती है।

अब मैं उस प्रश्न पर आता हूं जो अबादान में एक माननीय सदस्य द्वारा पूछा गया था कि क्या भारत कथित मूल्य दे रहा है। इस बारे में मैं यह बताना चाहता हूं कि अब बाजार सम्बन्धी

हमारी जानकारी बहुत बढ़ गई है। इसका परिणाम यह हुआ है कि हमें अब कथित मूल्यों पर 8 से 10 प्रतिशत तक छूट मिल जाती है।

श्री श्रीचन्द जी ने यह प्रश्न उठाया था कि अध्यादेश क्यों जारी किया गया है ? यदि हम अध्यादेश जारी न करते तो हमें उतने राजस्व का घाटा हो जाता जितना राजस्व अब हमें मिलेगा।

मूल अधिनियम में यह व्यवस्था है कि अतिरिक्त उत्पादन और सीमा-शुल्कों को विक्रय मूल्य के साथ नहीं जोड़ा जायेगा। इसका मैंने पहले भी जिक्र किया था।

मिट्टी का तेल जन-साधारण के दैनिक उपभोग की वस्तु है। इसके फुटकर मूल्य को प्रत्येक स्तर पर अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन जारी किये गये (अधिकतम मूल्य निर्धारण) नियंत्रण आदेश, 1966 द्वारा नियंत्रित किया हुआ है। सभी स्तरों पर इसका फुटकर मूल्य राज्य सरकारों द्वारा 1 फरवरी, 1966 को केन्द्रीय सरकार द्वारा लागू किये गये मूल्य सूत्र के आधार पर निर्धारित किया जाता है। पेट्रोलियम के उत्पादनों के मूल्यों पर अवमूल्यन का क्या प्रभाव पड़ा है ? यह प्रश्न भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस सम्बन्ध में यह बताना चाहता हूं कि बम्बई और दिल्ली से उपलब्ध आंकड़ों से यह मालूम होता है कि अवमूल्यन का उनके फुटकर मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। उदाहरणार्थ दिल्ली में मिट्टी के तेल का फुटकर मूल्य 52 पैसे प्रति लीटर था और अवमूल्यन के बाद भी यह भाव रहा। बम्बई में पेट्रोल का 86 पैसे प्रति लिटर का भाव अवमूल्यन के पहले और बाद एक ही रहा।

अवमूल्यन के परिणामस्वरूप जो प्रभाव उपभोक्ता पर पड़ता, उस प्रभाव को नगण्य बनाने के लिये केन्द्रीय उत्पादन शुल्कों में कमी कर दी गई है। अतः इस विधेयक का उद्देश्य यह है कि अवमूल्यन के तेल कम्पनियों को यकायक होने वाले अत्यधिक लाभ को राजस्व में खींचा जा सके। साथ ही, मैं सदस्यों को यह भी आश्वासन देता हूं कि इस शुल्क का उपभोक्ताओं पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खनिज उत्पाद (अतिरिक्त उत्पादन-शुल्क तथा सीमा-शुल्क) अधिनियम, 1958 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पाणिग्राही का एक संशोधन है, परन्तु वह अनुपस्थित हैं। प्रश्न यह है :

"कि खंड 1 से 3, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खंड 1 से 3, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 1 to 3, the Enacting Formula and the title were added to the Bill.

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

संविधान (इक्कीसवां संशोधन) विधेयक, 1967

CONSTITUTION (TWENTY-FIRST AMENDMENT) BILL, 1967

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य-सभा द्वारा पारित किये गये रूप में, विचार किया जाये ।"

यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है । सिन्धी लोग बहुत समय से यह मांग कर रहे थे कि सिन्धी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किया जाये । वैसे तो सिन्धी भाषा को एक महत्वपूर्ण भाषा मान लिया गया है ।

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास तथा साहित्य अकादमी ने इस भाषा को उसके विकास करने के लिये स्वीकार कर लिया है । आकाशवाणी के कई स्थानों से सिन्धी भाषा में प्रसारण किये जाते हैं । शिक्षा मंत्रालय सिन्धी भाषा में लिखी उत्तम पुस्तकों को पारितोषिक भी देता है । परन्तु संविधान में इसे अभी तक भारतीय भाषाओं की सखी-भाषा बनने का सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है । इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये यह विधेयक लाया गया है और जिसकी सिफारिश के लिये एक लम्बे भाषण की आवश्यकता नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

Shri A. B. Vajpayee (Balrampur) : Mr. Deputy Speaker, I welcome and support this Bill. It is a day, when the injustice being done to Sindhi language is put to an end. Sindhi is one of our national languages. So it should be preserved and developed properly. Central Government should pay proper attention towards its full development, because its entrance in the Eighth Schedule only will not do. Government should help its development and the authors of Sindhi language should be honoured like the authors of other languages. I wish that all Indian languages including Sindhi may prosper in future.

Dr. Govind Das (Jabalpur): Mr. Deputy Speaker, I heartily welcome this Bill. Nature has bestowed on us the power of reasoning and that is why that human beings are the supreme beings in the Gods creation. The knowledge is preserved and doubled by languages. Language plays the most important role in the life of a man. Sindhi language is also one of our national languages. We should bring it on the level at par with the level of other languages. Its origin is found in Sanskrit language. It should be included in the Eighth Schedule of our constitution. But at the same time we should distinguish between a language and a dilect. We should not insist on that every dilect should be given the status of a language and that should be included in the Language Schedule of the constitution. This tendency will do a great harm not only to Hindi but to all other languages. Hence it should be curbed. Central as well as State Government should do their utmost to promote Sindhi language.

श्री नारायण डांडेकर (जामनगर) : यह बड़े ही हर्ष की बात है कि सिन्धी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल किया जा रहा है। यद्यपि यह बहुत देर बाद की जा रही है, फिर भी मैं इस पर अति प्रसन्न हूं। ऐसा करना आवश्यक था और यह बहुत पहले ही कर दिया जाना चाहिये था। संक्षेप में मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री च० का० भट्टाचार्य (रायगंज) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं क्योंकि इसके द्वारा सिंधी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किया जा रहा है। यद्यपि सिंध प्रदेश भारत में नहीं है, फिर भी हम सिंध प्रदेश को भूले नहीं हैं। हमारे राष्ट्र-गान में भी सिंध प्रदेश का नाम आता है। केवल सिंधी को मान्यता देना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि सिंध प्रदेश को पुनः भारत में मिलाने का प्रयास भी करना चाहिये। अतः यह बड़ी ही स्वागत योग्य बात है कि सिंधी भाषा को संविधान में उल्लिखित अन्य भाषाओं के समान स्तर दिया जा रहा है। साथ ही हमें संविधान-निर्माताओं के उस उद्देश्य को नहीं भूलना चाहिये कि भविष्य में भारत एक भाषी देश बन जाये और केन्द्र तथा राज्यों में तथा विभिन्न राज्यों में पत्र-व्यवहार एक ही भाषा में हो। हिन्दी और अंग्रेजी को सरकारी भाषा के रूप में अपनाने का उद्देश्य यही था कि कुछ समय के बाद अंग्रेजी को छोड़कर पूरे देश की सरकारी भाषा हिन्दी बन जायेगी। मैंने तो इनके साथ संस्कृत को मिलाने का भी सुझाव दिया था जिसे सरकार ने स्वीकार नहीं किया। मैं फिर इस बात पर बल देता हूं। कोई भी ऐसा संशोधन संविधान में न किया जाये, जिससे संविधान का उद्देश्य ही समाप्त हो जाये।

श्री जी० विश्वनाथन (वांडिवाश) : अपने दल की ओर से इस विधेयक का स्वांगत करता हूं। ऐसा ही एक प्रस्ताव डा० कर्णी सिंह का भी है। हमें ऐसे सभी प्रस्तावों का स्वागत किया जाना चाहिये। मेरे विचार से सभी भाषाओं को हमारे संविधान में समान स्थान प्राप्त होना चाहिये और किसी एक भाषा का दूसरी भाषाओं पर प्रभुत्व नहीं होना चाहिये, क्योंकि सभी भाषाएं हमारी राष्ट्रीय भाषाएं हैं इस दृष्टि से मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री अनन्तराव विट्ठलराव पाटिल (अहमदनगर)* : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक

*मूल मराठी के अंग्रेजी अनुवाद से अनूदित।

*From English translation of the speech delivered in Marathi.

का समर्थन करता हूँ क्योंकि इसके द्वारा सिंधी भाषा को राष्ट्रीय भाषाओं की श्रेणी में रखा जा रहा है। मैं 'सिंध' और 'सिंधी' शब्दों की एक और महत्ता समझता हूँ। वह यह है कि 'हिन्द' शब्द 'सिन्ध' से बना और 'हिन्दी' शब्द 'सिन्धी' से बना। भारत के विभाजन के बाद सिंध प्रदेश तो हमारे पास नहीं रहा, परन्तु सिन्धी भाषा हमारे देश में खूब प्रचलित है। यह अब धीरे-धीरे सारे देश में फैल गई है। यह भाषा बहुत पुरानी है और साहित्य की दृष्टि से भी यह भाषा सम्पन्न है। इस भाषा को यह सम्मान बहुत पहले ही मिल जाना चाहिये थे। आज हमारे सिन्धी भाइयों के जो विभाजन के पश्चात् पाकिस्तान से भारत आये थे, इससे अपार हर्ष होगा। इस पर हम सबको प्रसन्नता है। संविधान के आठवीं अनुसूची में शामिल हो जाने के बाद सिंधी भाषा के प्रचार-प्रसार तथा विकास की जिम्मेदारी केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों पर आ जाती है। सभी से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सिंधी भाषा के विकास के लिये मिलकर प्रयास करें।

Shri George Fernandes (Bombay-East): Mr. Deputy Speaker, I stand to support this Bill. But only inclusion of a language in the Schedule of the constitution will do nothing for the development of the language. It is a matter of sorrow that on the one hand we are going to include Sindhi language in the constitution, on the other hand we are trying to continue English language for ever alongwith Hindi, though it was provided in our constitution that English would go away after 1965. None of our regional languages will develop so far as the English language will continue to enjoy an important place in our country. The Government should not try to satisfy the whims of a particular language group, but all languages should go on developing on its own accord on the basis of its popularity.

Now we have the opportunity of hearing the speeches in Kannad and Marathi etc. in this House. It is good. There should be some arrangement of simultaneous translations in all the languages in this House.

Other languages like Rajasthani Konkani and Urdu etc. should also be given equal status. At the same time the Government should not do anything in connection with language issue, which may create a position of tension in the country.

Shri M. Y. Saleem (Nalgonda): I welcome this Bill, which seeks to amend the constitutions for including the Sindhi language in the Eight Schedule of the constitution. Hindi and Urdu are the only languages which may be called as Hindustani languages. Now the Sindhi language is also going to be the sister languages of Hindi and Urdu. Sindhi is more akin to Urdu than to Hindi, because Urdu and Sindhi are written in the same script. Moreover it is a language which has not a province of its own. It is spoken all over India. Urdu also enjoys the same position. It is a good thing that Sindhi is being included in the Eighth Schedule of our constitution.

Every language is sweet. It has got its own literature. We should love every language and each other's language. Language issue should not be the issue for dispute. It should not be the base for any struggle. If we want to advance towards progress, we should be more accommodating in respect of languages. All the languages including Urdu should be given due attention. Andhra Pradesh has taken a lead in recognizing the Urdu as second language after Telgu. With these words, I support this Bill.

श्री नाथपाई : यह बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक दल के नेता को दो मिनट दिये जाने चाहिये। इस महत्वपूर्ण विषय पर उन्हें अपने विचार व्यक्त करने के लिये समय दिया जाना चाहिये।

श्री ही० ना० मुकर्जी : आप हमारे दल के किसी नेता को बोलने का अवसर नहीं दे रहे हैं। चूंकि हम चुपचाप बैठे रहते हैं इसलिये हमारी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। यदि नम्रता का यह फल मिलता है तो आप जानते हैं कि यहां क्या होगा।

श्री श्रीचन्द गोयल (चन्डीगढ़) : गैर-सरकारी कार्य 4.30 बजे लिया जाये ताकि सब सदस्यों को समय दिया जा सके।

***श्री तुलसीदास मूलजीभाई सेठ** (कच्छ) : मुझे प्रसन्नता है कि सिंधी को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किया जा रहा है। बहुत से सिंधी लोग कच्छ के क्षेत्र में बस गये हैं। इस कार्य के लिए मैं गृह-कार्य मंत्री का धन्यवाद करता हूँ।

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : मैं इस संविधान (संशोधन) विधेयक का समर्थन करता हूं। जिसके द्वारा सिन्धी को आठवीं अनुसूची में जोड़ा जा रहा है। भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग आयोग के प्रतिवेदन में कुछ सुझाव दिये गये हैं और निदेशक सिद्धान्त भी दिये हुए हैं जिससे कि राज्यों में सभी भाषाओं को समान आदर मिल सके और जाति, धर्म अथवा भाषा के आधार पर कोई भेद-भाव न किया जा सके।

यह प्रसन्नता का विषय है कि सरकार यह विधेयक लाई है परन्तु अन्य भाषाएं भी हैं जिन्हें उचित सम्मान नहीं दिया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर मैसूर में कन्नड़ बोलने वाले लोगों की संख्या 3 लाख से अधिक है और उनकी अपनी भाषा है परन्तु उसका सम्मान नहीं किया जा रहा है। नियुक्तियां करने में तथा शिक्षा के मामले में उनके साथ भेद-भाव किया जाता है। सरकार इसकी ओर ध्यान नहीं दे रही है जिसके कारण यह भेद-भाव बढ़ता जा रहा है। इस समय प्रतियोगी परीक्षाएं हिन्दी तथा अंग्रेजी में ही होती हैं परन्तु मेरा निवेदन है कि आगे से ये परीक्षाएं प्रत्येक प्रादेशिक भाषा में देने की अनुमति दी जानी चाहिये। मुझे आशा है कि माननीय गृह मंत्री इस मामले पर प्रत्येक पहलू से विचार करेंगे।

Shri Kushok Bakula (Ladakh): The Home Minister deserves all congratulations for making Sindhi as one of the languages of the Eighth Schedule of our Constitution.

Ladakhi language occupies an important place. The constitution of Kashmir has also given recognition to this language and it can be spoken there. This language should be included in the Indian Constitution too. I hope that the Hon. Home Minister will bring forward such a Bill during the next session of Parliament.

Ladakhi Language and script is like Prakrit or Hindi. There should be arrangements for the teaching of Ladakhi. Most of the literature relating to Buddhism is in this language. Therefore it's inclusion in the constitution is all the more necessary.

---

*English translation of the speech delivered in Sindhi.

*मूल सिंधी के अंग्रेजी अनुवाद से अनूदित।

श्री एम० मेघचन्द्र (आन्तरिक मनीपुर) : मैं इस संविधान (संशोधन) विधेयक का स्वागत करता हूँ । सिन्धी को मान्यता देने के बाद अन्य भाषाओं को, जिन्हें अभी तक मान्यता नहीं दी गई है, मान्यता देने के लिये कदम उठाए जाने चाहिये । मनीपुरी भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या 10 लाख से अधिक है । इसे भी संविधान में शामिल करने के लिये एक विधेयक लाया जाना चाहिये ।

Shri Y. B. Chavan: It was but natural that this Bill has been welcomed by every section of this House. I am very happy that we are going to include Sindhi in our Constitution. I hope this Bill will receive the unanimous support of this House.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य-सभा द्वारा पारित किये गये रूप में, विचार किया जाये ।"

लोक-सभा में मत-विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में 306;

Ayes .. 306;

विपक्ष में कोई नहीं

Noes .. Nil.

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य-संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पारित किया गया ।

The motion is carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the members present and voting.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

खण्ड 2—आठवीं अनुसूची का संशोधन

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने ।"

लोक-सभा में मत-विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में 330;

Ayes .. 330;

विपक्ष में 1;

Noes .. 1;

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य-संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पारित किया गया ।

The motion is carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the Members present and voting.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।
Clause 2 was added to the Bill

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है।

"कि खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम
विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clause 1, the Enacting Formula and the title were added to the Bill

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

लोक-सभा में मत-विभाजन हुआ।
The Lok Sabha divided

पक्ष में 326;
Ayes .. 326;

विपक्ष में कोई नहीं
Noes .. Nil;

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य-संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पारित किया गया।

The motion is carried by a majority of the total membership of the House and a majority of not less than two-thirds of the Members present and voting.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted

———

संविधान (संशोधन) विधेयक, 1967

(अनुच्छेद 368 का संशोधन)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 1967

Shri Nath Pai (Rajapur): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

Shri Nath Pai: I introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक, 1967

(अनुच्छेद 155 का संशोधन)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 1967

Shri Nath Pai (Rajapur): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

Shri Nath Pai: I introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक, 1967

(आठवीं अनुसूची का संशोधन)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 1967

डा० कर्णी सिंह (बीकानेर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

डा० कर्णी सिंह : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

वैयक्तिक स्वातन्त्र्य (प्रत्यावर्त्तन) विधेयक, 1967

PERSONAL LIBERTIES (RESTORATION) BILL, 1967

Shri Yashpal Singh (Dehradun): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Indian Telegraph Act, 1885 and the Indian Post Office Act, 1898.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय तारयंत्र अधिनियम, 1885 तथा भारतीय डाक घर अधिनियम, 1898 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

Shri Yashpal Singh: I Introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक, 1967

(अनुच्छेद 368 का संशोधन)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 1967

Shri Yashpal Singh (Dehradun): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

Shri Yashpal Singh: I introduce the Bill.

संसद (अनर्हता निवारण) संशोधन विधेयक, 1967

(धारा 3 का संशोधन)

PARLIAMENT (PREVENTION OF DISQUALIFICATION) AMENDMENT BILL, 1967

Shri Yashpal Singh (Dehradun): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि संसद (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

Shri Yashpal Singh: I introduce the Bill.

भारतीय तारयंत्र (संशोधन) विधेयक, 1967

(धारा 5 का संशोधन)

INDIAN TELEGRAPH (AMENDMENT) BILL, 1967

Shri Yashpal Singh (Dehradun): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Indian Telegraph Act, 1885.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय तारयंत्र अधिनियम, 1885 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

Shri Yashpal Singh: I introduce the Bill.

सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1967

(धारा 80 का हटाया जाना)

CODE OF CIVIL PROCEDURE (AMENDMENT) BILL, 1967

Shri Nath Pai (Rajapur): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Code of Civil Procedure, 1908.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः-स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

Shri Nath Pai: I introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक, 1967

(अनुच्छेद 105 और 194 का संशोधन)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 1967

Shri Nath Pai (Rajapur): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

Shri Nath Pai: I introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक, 1967

(नये अनुच्छेद 339-क का रखा जाना)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 1967

श्री सिद्द्य्या (चामराजनगर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

श्री सिद्द्य्या : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ ।

संविधान (संशोधन) विधेयक, 1967

(अनुच्छेद 15 और 16 का संशोधन)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 1967

श्री सेझियान (कुम्भकोणम) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

यह विधेयक बड़ा सीधा-सादा है और इसका उद्देश्य अनुच्छेद 15 और 16 का संशोधन करना है । इस विधेयक का उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है और मुझे आशा है कि इसे प्रत्येक दल का समर्थन प्राप्त होगा क्योंकि भाषा राजनीतिक और दलगत भावनाओं से परे का विषय है ।

[**श्री गुरदयाल सिंह ढिल्लों पीठासीन हुए**
Shri G. S. Dhillon in the Chair]

इस विधेयक में संविधान के जिन अनुच्छेदों का संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है वे उन मौलिक अधिकारों के सम्बन्ध में हैं जिनको हमें संविधान की प्रस्तावना में दिये गये न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित समाज के निर्माण के लिये संरक्षण देना चाहिए। इसका उद्देश्य प्रस्तावना में दी हुई आकांक्षाओं को बढ़ावा तथा उचित रूप देना है। इस विधेयक से उन लाखों लोगों के मन में विश्वास पैदा होगा जो भिन्न-भिन्न भाषाएं बोलते हैं। इसके द्वारा एकता बढ़ेगी और मित्रता तथा संघीय ढांचे की सही भावना कायम रहेगी।

यह विधेयक अनुच्छेद 13 (2) के उपबन्ध के विरुद्ध नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के हाल का फैसला या अनुच्छेद 13 (2) इस विधेयक के रास्ते में नहीं आते क्योंकि इस विधेयक द्वारा मौलिक अधिकार कम अथवा छीने नहीं जा रहे हैं अपितु उन्हें बढ़ावा दिया जा रहा है।

मेरे संशोधन का उद्देश्य अनुच्छेद 19 की भावना को भी कार्यरूप देने का है। अनुच्छेद 19 के अन्तर्गत भाषण आदि की स्वतंत्रता के बारे में कुछ अधिकारों को संरक्षण दिया गया है। परन्तु वे अधिकार भाषा की रोक लगने पर भ्रान्तिजनक हो जायेंगे।

अनुच्छेद 15 के अन्तर्गत राज्य किसी नागरिक के साथ धर्म, जाति आदि के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। इस अनुच्छेद में 'भाषा' शब्द को भी शामिल किया जाना चाहिये था।

भाषा के आधार पर भेदभाव को रोकने की व्यवस्था अनुच्छेद 29 (2) और 30 (1) में की हुई है। यदि अनुच्छेद 15 और 16 में "भाषा" शब्द को शामिल नहीं किया जाता है तो प्रस्तावना में दिये गये तथा अनुच्छेद 19, 29 (2) और 30 में स्पष्ट किये गये मौलिक अधिकार अर्थहीन हो जायेंगे।

जिस प्रकार शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के सम्बन्ध में कोई भेदभाव नहीं बरता जाता उसी प्रकार नियुक्ति और पदोन्नति के मामलों और अनुच्छेद 15 और 16 में दिये गये अन्य मामलों के सम्बन्ध में भी सभी नागरिकों को वही मौलिक अधिकार दिये जाने चाहिये।

हम जिस समय से गुजर रहे हैं उसमें प्रस्तावित संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम यह भूल जायें कि भारत एक बहुभाषी देश है तो हम समग्र भारत के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक ढांचे को ही समाप्त कर देंगे। भारत में सभी भाषाओं को समान स्तर, अवसर एवं सम्मान दिया जाना चाहिये क्योंकि संविधान में राजभाषा सम्बन्धी खण्ड के जोड़े जाने के बाद इस बारे में आशंका बढ़ती जा रही है। संविधान के निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले कांग्रेस के सदस्यों के मन में भी यह सन्देह था कि आया भविष्य में भारतवासी हिन्दी को एकमात्र राजभाषा के रूप में स्वीकार करेंगे भी या नहीं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संविधान सभा तथा देशवासियों ने राजभाषा प्रश्न की ओर उतना ध्यान नहीं दिया जितना कि इसे दिया जाना चाहिये था।

मेरे विचार में संवैधानिक उपायों से भी भाषा की समस्या का समाधान सदा के लिए

नहीं होगा । यह तो एक प्रकार से इस दिशा में एक आरम्भ मात्र होगा ।

Shri Sarjoo Pandey (Ghazipur): The debate is going on constitutional amendment Bill but there is no quorum in the House.

सभापति महोदय : कोरम के लिए घंटी बताई जा रही है । अब कोरम पूरा हो गया है, वह अपना भाषण जारी रखें ।

श्री सेझियान : संविधान सभा के समय से ही अहिन्दी लोगों के मन में यह भय बना हुआ है कि जो लोग हिन्दी को राजभाषा बनाने के लिये उत्सुक हैं वे आवश्यकता से कुछ अधिक उत्साह दिखा रहे हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि यदि हिन्दी को एकमात्र राजभाषा बना दिया जाये तो हिन्दी भाषी लोग समस्त भारत पर अपना एकाधिकार जमा लेंगे ।

संविधान सभा में जब इस प्रश्न की चर्चा हो रही थी तो श्री आर० बी० धुलेकर ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि "हिन्दी राजभाषा भी है और राष्ट्रभाषा भी है । आप इस पर आपत्ति कर सकते हैं, आप किसी अन्य राष्ट्र के हो सकते हैं, परन्तु मेरा सम्बन्ध भारत राष्ट्र से है जो हिन्दू, हिन्दुस्तानी और हिन्दी राष्ट्र है" जब हिन्दी को राजभाषा बनाने के लिए कहा जाता है तो इस कथन के पीछे एक भावना है । और वह यह कि हिन्दी राजभाषा बन जाने पर समस्त भारत हिन्दी राष्ट्र बन जायेगा । संविधान निर्माता स्वयं यह चाहते थे कि 'इंडिया' 'हिंदियां' बन जाये । श्री धुलेकर ने भी यहां तक कहा कि जो हिन्दी का विरोध करते हैं वे किसी अन्य राष्ट्र से सम्बन्ध रखते हैं । संविधान निर्माण के समय भी शायद कुछ पृथकतावादी थे । इसलिये मैं कहता हूं कि अहिन्दी भाषी जनता के हितों की सुरक्षा के लिए विशेष ध्यान रखा जाय ।

भारत में सभी भाषाओं को समान दर्जा दिया जाना चाहिये । हमें शासक दल, प्रधान मंत्री तथा गृह-मंत्री से कई बार आश्वासन दिलाये गये हैं परन्तु यह आश्वासन कभी भी क्रियात्मक रूप ग्रहण नहीं कर सके । जब भी किसी विधेयक का मसौदा तैयार किया जाता है, उसमें कुछ अस्पष्ट खण्ड जोड़ दिये जाते हैं । परन्तु कानून बना देने से भी इस समस्या का समाधान नहीं होगा । जब तक संविधान में संशोधन नहीं किया जाता, जब तक भारत में सभी भाषा के वर्गों को समान स्तर और अवसर नहीं दिये जाते तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा ।

मैं यह कह सकता हूं कि हिन्दी को, अन्य भाषाओं की अवहेलना कर के, सब प्रकार की सुविधायें दी जाती हैं । अन्य भाषाओं के साथ सौतेली मां जैसा व्यवहार किया जा रहा है । केन्द्र सरकार ने ऐसे कई परिपत्र जारी किये हैं जिनमें सरकारी कर्मचारियों से हिन्दी भाषा सीखने के लिए कहा गया है और यदि वे नहीं सीखेंगे तो उनकी पदोन्नति नहीं होगी और उन्हें वेतन-वृद्धि नहीं मिलेगी । अहिन्दी भाषी जनता के लिये नौकरी में आना भी कठिन हो गया है ।

हिन्दी का प्रचार न्यायालय की भाषा, शासकवर्ग की भाषा और भारत के शासक दल की भाषा के रूप में हो रहा है और सरकार लाखों रुपया खर्च कर रही है। सरकार हिन्दी के विकास

और प्रचार पर संस्कृत के अतिरिक्त अन्य सभी भाषाओं पर किये जाने वाले खर्च से कई गुणा अधिक खर्च कर रही है। केलव हिन्दी के लिये लगभग 4,65,00,000 रुपये खर्च किये गये हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या सभी भाषाओं के प्रचार तथा प्रसार के लिये समान अवसर दिये गये हैं। हिन्दी के प्रचार एवं विकास के लिये 4.65 करोड़ रुपये व्यय किये गये और शेष सभी भाषाओं के लिये 21.79 लाख रुपये व्यय किये गये। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार यदि हिन्दी पर खर्च करे तो ठीक है परन्तु केन्द्र सरकार को तो निष्पक्ष रहना चाहिये। परन्तु यहां तो सबसे अधिक पक्षपात देखा गया है। इसलिये प्रधान मंत्री तथा अन्य मंत्रियों द्वारा दिये गये आश्वासनों को संविधान में संशोधन करके पूरा किया जाना चाहिए। जिससे यह स्पष्ट हो जाय कि भाषा के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जायगा और सभी भाषाओं का समानरूप से आदर होगा। ऐसा मैं देश में एकता बनाये रखने के लिए कह रहा हूं। हिन्दी का प्रचार एवं प्रसार अवश्य होना चाहिये परन्तु ऐसा अन्य भाषाओं की अवहेलना करके नहीं होना चाहिये।

विश्व में कई अन्य देशों में भी ऐसे संविधानों का निर्माण हुआ है जिनमें भाषा के प्रश्न पर विचार किया गया है। पश्चिम जर्मनी में वर्ष 1948 में एक ऐसा ही संविधान बनाया गया था। इस संविधान के अनुच्छेद 3 में लिखा है कि लिंग, भाषा, जाति, निवास-स्थान, धर्म अथवा राजनीतिक विचा रधारा के कारण किसी के साथ भेद भाव नहीं किया जायेगा। अमरीका ने भाषा की समस्या के समाधान का काम जनता पर छोड़ दिया उन्होंने ऐसा इसलिये किया कि समय पाकर शायद इस समस्या का समाधान अपने आप ही हो जाये। परन्तु भारत ने इस काम में बहुत जल्दबाजी की है। भारत के संविधान में हिन्दी को राजभाषा बनाने के लिए समय सीमा तक निश्चित कर दी गयी, जिससे हमें ऐसा लगा कि कोई बात हम पर थोपी जा रही है। इस बाध्यता को दूर करने के लिये मैंने अनुच्छेद 15 को संशोधित करने की प्रार्थना की है। इसमें लिखा है कि सरकार धर्म, जाति, लिंग, जन्म-स्थान के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करेगी। मैं इसमें 'भाषा' शब्द भी सम्मिलित कराना चाहता हूं। अन्य बातों के अतिरिक्त आज भारत में भाषा सबसे अधिक विवादास्पद विषय बन गया है। इस विवाद को समाप्त करने के लिये ही हमने यह उपबन्ध पुरःस्थापित किये हैं।

अभी-अभी हमने 'सिन्धी' भाषा को सम्मानजनक स्थान दिया है। संविधान में भाषाओं की संख्या बढ़ाने से तब तक कोई लाभ नहीं होगा जब तक सभी भाषाओं के लिये समानता की भावना तथा उनके प्रति समान दृष्टिकोण की भावना न हो।

इन शब्दों के साथ मैं अपने इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ "कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय"।

श्री मनोहरन (उत्तर मद्रास): भारत एक बहुभाषा भाषी देश है जिसकी संस्कृति मिश्रित है। इस देश की कुछ अपनी परम्पराएं हैं जिनमें अनेकता में एकता की प्रबल भावना है। लोकतंत्र में बहुमत वाले दल का राज्य होता है परन्तु लोकतंत्र में अल्पसंख्यकों के अधिकारों का

संरक्षण भी अनिवार्य है। हमने अभी-अभी संविधान की आठवीं अनुसूची में 'सिन्धी' भाषा को सम्मिलित करने के लिए एक विधेयक पास किया है। यह बिल्कुल उचित है। भारत सरकार ने केवल हिन्दी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है। यह एक ऐसी सभा द्वारा किया गया था जिसमें विभिन्न दलों का प्रतिनिधित्व नहीं था। यह निर्वाचित सदस्यों की सभा नहीं थी अपितु यह मनोनीत सदस्यों की सभा थी। दूसरी बार उस समय भाषा के विषय पर विचार किया गया जब जनता स्वतंत्रता प्राप्ति के आनन्द में मग्न थी। तात्पर्य यह कि भाषा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर संविधान सभा ने बहुत कम ध्यान दिया।

देश में कुछ लोगों ने इस मामले में अपने भय की अभिव्यक्ति की और मेरे विचार में पंडित जवाहर लाल नेहरू भी इससे सहमत थे। लोकतंत्र में अल्प-संख्यक वर्ग को, चाहे वह जाति, समुदाय, अथवा भाषा पर आधारित हो, संरक्षण और प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये।

सरकार ने भेदभाव न करने के आश्वासन दिये। परन्तु यह आश्वासन मौखिक सहानुभूति तक सीमित रह गये। विभिन्न भाषाओं के प्रचार एवं प्रसार के लिए धनराशि के व्यय में जो भेदभाव का दृष्टिकोण अपनाया गया है, इसे समाप्त कर देना चाहिये। अहिन्दी भाषी जनता पंडित जवाहर लाल नेहरू के आश्वासनों को अपने अधिकारों का मैगनाकार्टा समझती है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी कहा गया कि इन आश्वासनों को शीघ्र ही कानूनी रूप दिया जायेगा। मुझे आशा है कि अब ऐसा हो जायगा।

भूतपूर्व गृह-कार्य मंत्री श्री नन्दा ने सभा में बताया था कि नियुक्तियों या नौकरी के अन्य क्षेत्रों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। परन्तु हाल ही में एयर लाईन्स कारपोरेशन ने एक अधिसूचना जारी की है जिसमें नियुक्ति के लिये हिन्दी भाषा को अनिवार्य बताया गया है। अभी-अभी गृह-मंत्रालय से एक परिपत्र जारी किया गया है जिसमें सरकारी कर्मचारियों को काम के घंटों के दौरान ही हिन्दी सीखने के लिये प्रोत्साहन के रूप में कुछ नकद पुरस्कार देने का प्रस्ताव है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह भेदभाव वाला दृष्टिकोण नहीं है। वे कह सकते हैं कि ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि हिन्दी राजभाषा है। इस प्रश्न का मेरा उत्तर एक ही है कि इस देश में अकेले हिन्दी कभी भी राजभाषा नहीं बन सकती। अभी से प्रत्येक भाषा इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है। इसलिये सरकार को इस प्रस्ताव पर लोकतंत्रात्मक ढंग से विचार करना चाहिये। बहुत से हिन्दी भाषा सम्पर्क भाषा की बात कहते हैं। मैं यह बात मानता हूं कि देश की एक सम्पर्क भाषा होनी चाहिये परन्तु वह भाषा कौन सी हो सकती है? इसका निश्चय किया जाना चाहिये। यह एक ऐसा मामला है जिसका इस देश की जनता के मन और आत्मा से सीधा सम्बन्ध है। संविधान की आठवीं अनुसूची में बहुत सी भाषाएं सम्मिलित हैं। मेरे विचार में तो इस अनुसूची में अंग्रेजी को भी स्थान दिया जाना चाहिये क्योंकि वह एक अल्पसंख्यक वर्ग अर्थात आंग्ल-भारतीय वर्ग की भाषा है। यह वर्ग भी हमारे राष्ट्र का अंग है। क्योंकि भाषा के मामले में मंत्रीगण कहते कुछ हैं और करते कुछ और हैं; इसलिये यह विधेयक बहुत ही महत्वपूर्ण है।

अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं हमारे संविधान में कुछ त्रुटियां हैं। किसी भाषायी वर्ग के साथ भेदभाव करना हमारे संविधान की भावना के विरुद्ध है। इसलिये संविधान की इन त्रुटियों को दूर किया जाना चाहिये।

मुझे आशा है कि सभा को इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी और इस प्रकार यह विधेयक पारित हो जायेगा।

Shri D. N. Tiwary (Gopalganj): There is nothing but fear of ghost in the Bill under discussion. A fear has been expressed that Hindi, if it is made official language, will dominate all over India. When English was sole official language, there used to be discrimination against Hindi Speaking Regions. I have gone through the chart of All India Services. I have seen in that that there were 29 per cent. people from Tamil Nad who were taken in All India Services whereas their population is only 7-8 per cent. but reverse is the case with Bihar. Bihar has 11 per cent. of population but their number in All India Services is 5-6 per cent. only. Similar is the case with other Hindi Speaking States. They suffered because British people when came to India first of all occupied Calcutta, Madras and Bombay and the inhabitants of these places were forced to study English language. The other areas were occupied by them later and hence they could learn the English language only in due course. The result was that the children from Hindi Speaking States could not prove to be up to the mark in the competitions held in English even if they were master of their own language. They could not be selected in interviews because they were unaware of English manners. When I find so many Madrasi officers in Bihar I do not grudge, but I would certainly like to see that the people from Bihar should also go to Madras as officers. Such Bills are introduced for the sake of loaves and fishes only. Once a question was raised in this House that there should be State-wise distribution of All India Services but the same was opposed by the people who have introduced this Bill. Why they want to be always gainer? It was decided unanimously in 1950 that English will continue to be official language for 15 years and Hindi will replace English in 1965. In spite of this provision in the constitution we did not insist that Hindi should replace English in 1965 and agreed that let non-Hindi speaking states get more time and English may continue but those who do not want English, why should it be imposed on them.

Even after 17-18 years of enforcement of the constitution our children could not acquire the required standard in English. It was decided in this House that English will continue to be associate language along with Hindi but the medium of U.P.S.C. examination still remain to be unchanged. In Madras English language is started right from the 1st Standard and in Hindi Speaking areas it is started from 6th class and the result is the difference in standard of English. In spite of the fact that we still contiune to suffer, we have not opposed the contiunance of English.

It was decided in the Chief Ministers' conference held in 1961 that U.P.S.C. examinations should be held in all the Regional languages. According to the provisions of constitution Hindi is entitled for its right place but even then we continue to suffer so that their feelings do not hurt. In spite of our suffering we hear the charge of being Hindi enthusiastics and Hindi imperialists. We don't do anything which should hurt their feelings, that is why we have not raised any objection to let the Hon'ble members of this House deliver their speeches in their regional languages. If they continue to have fear complex despite assurances given by the Prime Minister and the Official Language Bill, what can we do?

What this amendment of constitution mean, I could not follow. We have never raised any objection against the development of their languages. So far the question of incurring expenditure on development of Hindi is concerned, it is but natural because this language is spoken by almost half of the population of this country. The question of discrimination, therefore, does not arise. We will have no objection if any state wants to incur any amount of expenditure on the development of their respective regional languages.

If the constitution makers had not decided to make Hindi as official language and instead decided to make Tamil, Telegu, Bangla or any other language as official language, we would have learnt the same. Hindi has not been made as official language because of its beauty and development as there were many other languages also which were more developed.

It has been kept in the Constitution as a link language because it has been spoken by the majority of the people. The other languages have been spoken by a limited number of people. If any language out of them had been made the link language, it would take enough time to become popular. There is no need to incorporate it in the constitution. He should have faith on the Judgement of the Supreme Court. I would, therefore, request him not to present it.

सभापति महोदय : सभा ने इस विधेयक के लिये एक घन्टे का समय नियत किया है। अतः सदस्य संक्षेप में बोलें ताकि मैं अधिक से अधिक सदस्यों को बोलने का अवसर दे सकूं।

श्री वेदव्रत बरुआ (कलियाबोर) : जहां तक लोगों द्वारा बोली गई भाषा के विषय में विवेक का प्रश्न है, यह वास्तव में वैधानिक रूप से प्रतिकूल है। अत: इस विषय में उन लोगों से सुरक्षा की आवश्यकता है जिनका इस भाषा पर नई दिल्ली में आधिपत्य है।

यदि आप किसी एक भाषा को संरक्षण देना चाहते हैं तो आपको हजारों भाषाओं को संरक्षण देना होगा। अतः भाषाओं को सुरक्षा देने का कोई अन्त नहीं होगा। किसी भाषा को सुरक्षा देने का अर्थ होगा भारत की प्रत्येक भाषा को विभिन्न भाषाओं में विभक्त करना।

विधेयक के सम्बन्ध में केवल यही एक आपत्ति नहीं है जिसके विषय में हमें विचार करना है। विधेयक के विषय में सबसे बड़ी आपत्ति तो यह है कि संविधान का अनुच्छेद 15 (1) व्यक्ति को संरक्षण देता है कि राज्य किसी भी नागरिक से भेदभाव नहीं करेगा। भाषा किसी व्यक्ति-विशेष की सम्पत्ति नहीं है। इसका विकास करना है। इसे तो समाज ने सामूहिक रूप से पैदा किया है। एक व्यक्ति जो कि अच्छी हिन्दी या तमिल जानता है उसे इन कम भाषाओं जानने वाले से विभेद करना होगा। संविधान भी एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति तथा एक भाषा और दूसरी भाषा में विभेद की अनुमति नहीं देता। यह संविधान में संशोधन करके नहीं किया जा सकता। आज हमारे सामने सब भाषाओं को संरक्षण देना ही नहीं है अपितु हमें एक नई भाषा के विकास के प्रश्न पर भी विचार करना है।

हमें भारत में भाषाओं के एक सामान्य आधार को अपनाना है। हमें एक ऐसी राष्ट्रीय भाषा बनानी होगी जिसे राष्ट्रीय भाषा का पद दिया जा सके। वह भाषा केवल हिन्दी ही हो सकती है।

डा० एम० सन्तोषम् (तिरनचेंड्र) : मेरे विचार से इस विधेयक के प्रस्तावक का विचार है कि भाषा के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिये। अनुच्छेद 15 और 16 वास्तव में इससे सम्बन्धित हैं और इसमें विभेद न करने का विश्वास दिलाया गया है और संविधान के निर्माताओं ने अनेक सम्भावनाओं का उल्लेख किया है क्योंकि यह देश अल्पसंख्यकों का है। देश में जातीय अल्पसंख्यक, धार्मिक अल्पसंख्यक तथा भाषीय अल्पसंख्यक हैं। अतः प्रस्तावक का आशय इस अनुच्छेद में जिसमें नागरिकों को भेदभाव के विरुद्ध गारन्टी दी गई, विस्तार करना है।

मेरा अपना विचार है कि हमारे देश का एक बड़ा समुदाय यह सोचता है कि भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के कारण विशेष परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं।

भाषा के आधार पर देश के विभाजन ने भाषावाद को जन्म दिया है। यह वास्तव में हमें वरदान सिद्ध हुआ है। और देशों में केवल देशभक्ति ही पाई जाती है, परन्तु हमारे देश में भाषाओं के आधार पर राज्य का विभाजन हो जाने के पश्चात् ये दोनों साथ-साथ चल रही हैं—देशभक्ति और भाषा के प्रति मोह। जब हमें किसी बाहर के हमले का सामना करना होता है तो हमारी देशभक्ति जाग्रत होती है, भाषा के प्रति मोह नहीं। हमारे देश में कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जिसे अभाषावादी कहा जा सके। व्यवहारिकतौर से हमारे सभी औद्योगिक नगर बहुभाषीय हैं और सीमा-क्षेत्र के बहुत से ग्राम द्विभाषीय अवश्य हैं। इन परिस्थितियों में यह अत्यन्त आवश्यक है कि भाषा के आधार पर भेदभाव को रोकने के लिये संविधान में संशोधन किया जाये। इस सम्बन्ध में बहुत से प्रमुख व्यक्तियों ने इस सभा में आश्वासन दिया था। जब तक इन आश्वासनों को कानून का रूप नहीं दिया जाता, हम उन पर विश्वास नहीं कर सकते।

अल्पसंख्यक भाषायी वर्गों का विश्वास प्राप्त करने लिये संविधान में यह संशोधन लाना आवश्यक है। मुझे आशा है सारा सदन इसको अपनायेगा क्योंकि इसका अभिप्राय संविधान की भावना का विस्तार करना है।

Shri V. N. Jadhav (Jalna): Mr. Chairman. In connection with Article 15 and 16 of the constitution I would like to say that the policy of the Government had not been to discourage other languages of the country. The Government have provided equal status to all the Indian languages and have been facilitating for their developments.

It has been mentioned by the Hon. Member that the Government have been trying to develop Hindi alone. But the fact is otherwise. The Government have been trying as much for the development of Tamil, Bengali, Gujrati, Marathi and other languages as for Hindi. Even the people speaking different languages in our country talk themselves in Hindi.

It is not correct to say that Hindi is being forcibly thrown upon as. Japan, China and Russia have made the progress not because they adopted foreign languages, but because they encourage their own national languages. We cannot progress in any sphere of our life unless we give preference to our national languages and not to English.

Shri Kameshwar Singh (Khagaria): Mr. Chairman, I am in favour of this amendment. It has been brought at an appropriate time. We have just given recognition to Sindhi in our constitution. It is a matter of great pity that there have been differences in our country on the language issue. I hope that in future the other languages would also be given the appropriate status and the different examinations would also be held in them.

श्री एस० कन्डप्पन (मेटूर) : जहां तक भाषा का सम्बन्ध है संविधान में आन्तरिक रूप से इसका विरोधाभास प्रतीत होता है। एक तरफ कहा जाता है कि देश के सब नागरिकों को समान अधिकार व अवसर प्राप्त है, परन्तु दूसरी ओर भाषा के आधार पर विभेद किया जाता है और उस उपबन्ध को संविधान में स्थान दिया जाता है। यदि आप कहते हैं कि धर्म, कुल या जाति प्रत्येक नागरिक का मूलभूत अधिकार है, तो आप भाषा को इससे कैसे अलग कर सकते हैं ? लोकतन्त्र में जनता को कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त होने चाहिये और उनमें से एक अधिकार भाषा का होना चाहिये। इसलिये सरकार को सभा में प्रस्तुत विधेयक को स्वीकार करना चाहिये।

पिछले इतिहास से स्पष्ट हो जाता है कि जब तक संविधान में संशोधन नहीं किया जाता अहिन्दी भाषा-भाषियों के हित की कोई सुरक्षा नहीं हो सकती।

केन्द्रीय सरकार हिन्दी के हितों को बढ़ावा देने के लिये काफी रकम खर्च कर रही है जिससे अन्य भाषाओं का अहित हो रहा है। देश में आर्थिक संकट को ध्यान में रखते हुए भी इसके विकास पर कम रकम खर्च नहीं की जा रही।

मेरा अभी भी विचार है कि अन्तरराष्ट्रीय परीक्षायें योग्यता के आधार पर हों। शायद वह हिन्दी को जो भारत की भाषा है इसलिये बढ़ावा न देकर इसलिये बढ़ावा देना चाहते हैं ताकि हिन्दी भाषा-भाषियों को अधिक अवसर मिल सके।

त्रिभाषा सूत्र तो केवल एक धोखा है। त्रिभाषा सूत्र के नाम पर अहिन्दी भाषी जनता, विशेष रूप से दक्षिण की जनता को हिन्दी सीखने के लिये बाध्य किया जा रहा है। क्योंकि संविधान और सरकार प्रशासनिक सेवाओं में हिन्दी के पक्ष में है। इसलिये यह स्वभाविक ही है कि विद्यार्थियों को रोजगार पाने के लिये हिन्दी सीखनी पड़ती है। इसलिए इस बात में कुछ मजबूरी है परन्तु हिन्दी-भाषी क्षेत्रों में इसका बिल्कुल अभाव है। इस सम्बन्ध में मैं शिक्षा मन्त्री द्वारा दिये गये वक्तव्य का स्वागत करता हूं जिसमें कहा गया था कि त्रिभाषा-सूत्र से बच्चों पर तीन भाषाओं का बोझ पड़ेगा और इससे बच्चों के विकास में बाधा पड़ेगी। अतः मैं सरकार से निवेदन करूँगा कि वह इस सम्बन्ध में भी गम्भीरता से विचार करे और इस विधेयक को पूरी-तौर पर पास कर दे। मुझे आशा है कि सरकार इस पर सहानुभूति पूर्ण विचार करेगी।

श्री च० का० भट्टाचार्य (रायगंज) : संविधान का इस बात से कोई सम्बन्ध नहीं है कि लोगों के लिये सामान्य भाषा तय की जाये। इसका सम्बन्ध केवल राज प्रयोजनों के लिये भाषा का पता लगाने से है।

राजभाषा का सामान्य भाषा होना आवश्यक नहीं है। हिन्दू काल में संस्कृत राज भाषा थी परन्तु लोग 'लोकभाषा' का प्रयोग करते थे। ब्रिटिश काल में अंग्रेजी राजभाषा थी। परन्तु अंग्रेजी भाषा कभी भी भारत की सामान्य भाषा नहीं रही।

राजभाषा आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि एक प्रतिशत भारतीय भी अंग्रेजी में अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकते। तब ऐसी भाषा को अनुच्छेद 120 में क्यों सम्मिलित किय जाये ?

जैसा कि हमारे दिवंगत प्रधान मंत्री ने कहा था कि अंग्रेजी के साथ कठिनाई यह है कि यह एक विदेशी भाषा है और अतः इसे हमेशा के लिये राज्य भाषा के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। हिन्दी के साथ कठिनाई यह है कि यह अखिल भारतीय भाषा नहीं है इसलिए इसे अखिल भारतीय स्तर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता।

इसी से समस्या उत्पन्न होती है। हम एक ऐसी भाषा चाहते हैं। जो सबके लिये समान रूप से कठिन हो या आसान हो। हमें मिलकर इस समस्या का हल निकालना चाहिये।

Shri Sarjoo Pandey (Ghazipur) : So far as amending Article 15 and 16 is concerned by adding 'language' in addition to caste, religion and place, we have no objection. But after listening to the Hon. Member I came to the conclusion that this amendment has been made with the intent to show that the Hindi is being forcibly thrown upon them.

I think that the language policy of the Indian Government is responsible to some extent in this matter because there is no solid policy of the Government, so far as the language is concerned. So far as the question of providing equal status to all the languages is concerned there are no differences. All the languages of the country should be given equal rights and the equal efforts by the Government should be made to develop all the languages.

The Government should take this responsibility of developing all the languages in the country. Besides this it should also give the assurance that on Hindi becoming the national language, no unjustice would be done with any language.

I want that all the languages of the country should be developed. But English should be abolished from this country.

Shri Kamble (Latur) : Mr. Chairman, so far as the equal status to all the languages is concerned, nobody could have any objection. But to equal status to all the regional languages of the country to that of official language is a very difficult problem. There have been several languages spoken in our country but when the question of official language arises we should say that we should have given recognition to Hindi in the constitution. So it can only be the official language of our country.

Shri Ram Sewak Yadav (Bara Banki) : Mr. Chairman. There has not been any solid language policy of the Government. If at all there has been any language policy it has been to create frictions amongst the various languages and to maintain English.

So far as the question of amendment is concerned I am not opposed to it. If there has

been some motive to keep English behind it then I will definitely oppose it. If they want the people's language in the real sense then everybody should be given his primary education in his mother language.

I am neither in favour of English nor of Hindi. I am in favour of mother language. You are on trial in Madras. I want to see that all the Official work from the beginning till end and the University education should be in Tamil and not in English. Then only I will feel that you have been succeeded.

श्री रामचन्द्र ढोंढिबा भण्डारे (बम्बई-मध्य) : इस विधेयक का उद्देश्य संविधान के अनुच्छेद 15 तथा 16 में संशोशन करना है। मेरे विचार में इसकी आवश्यकता नहीं है। एक कारण जो भेदभाव न करने के लिए दिया गया है वह जन्म है। इसमें भाषा भी सम्मिलित है। ऐसे ही अनुच्छेद 16 में रोजगार का उल्लेख किया गया है। इसलिए यह सारा संशोधन बेकार है।

सभापति महोदय : समय 40 मिनट बढ़ा दिया गया है। 6.30 बजे आधे घंटे की चर्चा होगी। उसमें कवल 7 मिनट बाकी हैं। इसलिए इसमें बहुत से सदस्य भाग नहीं ले सकेंगे।

Shri Jagannath Rao Joshi (Bhopal): So far language is concerned, the spirit of the constitution is quite clear. The spirit of the constitution does not say that treatment of inequality should be given to anybody. But due to the practice some apprehension has been created in the minds of some people. I belong to South yet I can speak in Hindi fluently. The superior position given to English during the British days continued after independence too. If official work and U. P. S. C. examinations had been conducted in regional languages, the latter would have been developed. I do not find the amendment objectionable.

श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य (रायगंज) : महोदय, गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य 7 बजे तक चलते रहना चाहिये। इसके पश्चात् हम आधा घंटे की चर्चा लेंगे।

श्री सोनावने (पेंढरपुर) : गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर कोई अतिक्रमण नहीं होना चाहिये। यह बात यह सदन सहन नहीं कर सकता। इसलिए इस सदन को इस विधेयक के लिए 7.00 बजे तक बैठना होगा और उसके पश्चात् आधा घंटे की चर्चा लेंगे।

सभापति महोदय : मेरे विचार में कोई अतिक्रमण नहीं है। अब 6.30 बज गये हैं। हम आधे घंटे की चर्चा आरंभ करें।

---

*कोचीन शिपयार्ड

*COCHIN SHIPYARD

श्री सी० जनार्दनन (त्रिचूर) : सभापति महोदय, दूसरे शिपयार्ड के निर्माण के बारे में इस सदन में पहले भी चर्चा हो चुकी है। दूसरी योजना में इसके प्रारंभिक कार्य के लिए 75 लाख रु० की राशि भी निर्धारित की थी तथा केरल में इसके बारे में प्रदर्शन भी हो चुके हैं किन्तु कोई प्रगति इस दिशा में नहीं हुई।

* आधे घंटे की चर्चा

*Helf-an-hour discussion

मैं इस शिपयार्ड के इतिहास में नहीं पड़ना चाहता कि किस प्रकार प्रधान मंत्री तक ने इस सम्बन्ध में झूठे बचन दिये जिनका कि पालन नहीं किया तथा हमारे तकनीशनों ने इस कार्य पर अपना समय लगाया। परन्तु दूसरे कई उद्योगों के बारे में इतनी देर नहीं हुई। अगस्त 1966 में उस समय के मंत्री महोदय ने लोक-सभा में कहा कि इसके लिए बहुत अधिक विदेशी मुद्रा की आवश्यकता नहीं है।

क्या सरकार इस शिपयार्ड की आवश्यकता नहीं अनुभव करती? मेरे विचार में ऐसा कोई नहीं सोचता। फिर इसमें देरी का क्या कारण है? अब 26 मार्च को कहा गया है कि उसके लिए भूमि अर्जन कर ली गई है। परन्तु यह कोई नया तर्क नहीं है। भूमि तो पहले भी केरल ने अर्जन कर ली थी। श्री गोपालन द्वारा उठाई गई 9 अगस्त, 1966 की चर्चा में श्री नी० संजीव रेड्डी जो उस समय मंत्री थे, ने कहा कि विशेषज्ञों ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है। उसे हमारे तकनीकी कर्मचारी जांच रहे हैं तथा कुछ ही दिनों में इसमें कुछ होने वाला है। परन्तु इस बात को आज 7 अप्रैल 1967 को 240 दिन हो चुके हैं और अभी पता नहीं कि इसमें कितना समय और लगेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय स्पष्टरूप से अपनी स्थिति बतावें। धोखा देने का प्रयत्न न करें। मेरे विचार में तकनीकी विशेषज्ञों का दोष नहीं है। दोष सरकार का है। अब यह भी पता नहीं कि सरकार ने जो 15 करोड़ रु० इसके लिए चौथी योजना में निर्धारित किया था, वह भी रहेगा या नहीं क्योंकि अब चौथी योजना में ही कमी करने की बात हो रही है।

यह केवल केरल का प्रश्न नहीं है। यह सारे राष्ट्र का प्रश्न है। यदि बाहर के दबाव के कारण सरकार ने इस योजना को समाप्त कर दिया तो केरल का प्रत्येक व्यक्ति इसके विरुद्ध आन्दोलन करेगा जिनमें कांग्रेस के लोग भी शामिल होंगे। इस लिए मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय मूल परियोजना प्रतिवेदन को कार्यान्वित करेंगे।

श्री वासुदेवन नायर (पीरमाडे) : सरकारी उपक्रम सम्बन्धी समिति ने अपने प्रतिवेदन में ठीक ही सरकार की भर्त्सना की है। वास्तव में दूसरे शिपयार्ड की कहानी 11 वर्ष पुरानी है जो कि 1965 में प्रारम्भ हुई थी। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या विशेषज्ञों की समिति ने अन्तिम रूप से सरकार को सिफारिश कर दी है कि परियोजना प्रतिवेदन को मंजूर कर लिया जाये तथा कार्यान्वित किया जाये। क्या जापानी कारखाने तथा सरकार के विचारों में मत-भेद है और सरकार इस मामले में अन्तिम निर्णय कब तक ले सकेगी।

सभापति महोदय : अब समय बहुत कम रह गया है, इसलिए सदस्य महोदय थोड़े से समय में अपने प्रश्न तथा विचार रख सकते हैं।

श्री ई० के० नायनार (पालघाट) : गत वर्षों में केन्द्रीय सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र में 2180 करोड़ रु० व्यय किये हैं परन्तु केरल का भाग केवल 28 करोड़ रु० है। लाखों लोगों ने एरणाकुलम में प्रधान मंत्री के सामने प्रदर्शन भी किया। क्या मंत्री महोदय तकनीकी समिति के प्रतिवेदन को कार्यान्वित करेंगे तथा इस वर्ष शिपयार्ड के लिए और अधिक धन देंगे?

श्रीमती सुशीला गोपालन (अम्बलपुजा) : मैं जानना चाहती हूं कि कोचीन शिपयार्ड को चौथी योजना में उन परियोजनाओं को किसलिए रखा हुआ है जिनके लिए विदेशी मुद्रा की गारंटी नहीं दी गई है ?

श्री सी० के० चक्रपाणि : (पोन्नाणि) : शिपयार्ड के बारे में योजना आयोग का मत जानना चाहता हूं ?

श्री पट्टियम गोपालन (तेल्लीचेरी): मैं जानना चाहता हूं कि आम चुनावों से पहले कोचीन शिपयार्ड की नीव कितनी बार रखी जा चुकी है ?

Shri Kameshwar Singh (Khagaria) : Are the foreign firms by putting pressure on the Government, creating obstacles in the development, of Cochin Shipyard ?

श्री दी० चं० शर्मा : (गुरदासपुर) : क्या सरकार ने इसके निर्माण में देरी करते समय इस बात को ध्यान में रखा है कि इस शिपयार्ड की आवश्यकता हमें न केवल वाणिज्यिक कार्यों के लिए बल्कि सैनिक सुरक्षा के लिए भी है क्योंकि कुछ समय पूर्व केरल तट के निकट एक चीनी जहाज दिखाई पड़ा था ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : सबसे पहले मैं उन सभी सदस्यों से सहानुभूति दिखऊंगा जिन्होंने यह कहा है कि इस परियोजना में इतनी देर हो गई है। मैंने स्वयं अपने मंत्रालय से वही प्रश्न पूछे जो यहां विरोधी पक्ष के सदस्यों ने मुझसे पूछे हैं अर्थात् जब 1959 में मंत्री महोदय ने वक्तव्य दे दिया था तो इस कार्य में इतनी देर क्यों हो रही है।

एक बात तो मैं यह कहना चाहता हूं कि कोई विदेशी शक्ति हमारे ऊपर इस दिशा में जोर नहीं डाल रही है। मैं यह उत्तर इस लिए दे रहा हूं कि मैंने इस सम्बन्ध में सारा पत्र-व्यवहार पढ़ा है। इस दिशा में स्व० श्री जवाहर लाल नेहरू ने बड़ी रुचि दिखाई थी।

एक उत्तर यह है कि चौथी योजना में देश में एक दूसरा शिपयार्ड स्थापित होके रहेगा।

वास्तव में शिपयार्ड के बारे में पहली तकनीकी रिपोर्ट जिसे मित्सूबिशी हैवी इन्डस्ट्रीज लिमिटेड ने तैयार किया था सरकार के पास 1965 में आई। उसके पश्चात् एक तकनीकी दल नियुक्त किया गया जिसने उसका अध्ययन किया तथा कुछ सुझाव दिये। उसके पश्चात् इस पर एक अन्तर विभागीय समिति ने विचार किया फिर अप्रैल 1966 में परियोजना प्रतिवेदन हमारे पास आया क्यों कि उससे पहले तो केवल इस विषय पर खोज और जांच ही होती रही। फिर कुछ बात योजना आयोग से भी पूछनी पड़ी। जहाज बनाने में प्रवृत्ति बड़ी शीघ्रता से बदलती है। एक समय था जब हम केवल 10,000 टन तक के जहाज बनाने का विचार कर रहे थे परन्तु अब वह बढ़ कर 100,000 टन हो गया है। हम नहीं चाहते थे कि हम छोटे-छोटे टैंकर अर्थात् छोटे जहाज ही बनायें। इसलिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया गया था और उससे कहा कि वह अपना प्रतिवेदन 1 अप्रैल 1967 तक सम्पन्न करले। उसने अपना प्रतिवेदन

27 मार्च को ही दे दिया था। जो प्रतिवेदन इस अधिकारी ने दिया है उसके सुझाव जहाजों के बनाने तथा उनके आकार तथा उनके निर्माण के बारे में भिन्न हैं। इसलिए उस पर जांच तथा चर्चा की आवश्यकता है। मैंने कल रात ही उस प्रतिवेदन को पढ़ा है और उस पर अभी प्रश्न पूछूंगा। परन्तु यह सुनिश्चित है कि एक और शिपयार्ड अवश्य स्थापित होगा और वह भी कोच्चिन में। मुझे पता चला है कि शिपयार्ड के स्थापित होने के पाँच छः वर्ष पश्चात् जहाज बनने आरम्भ हो जाते हैं। अब हमारा प्रयत्न यह होगा कि जितनी जल्दी हो सके इसे पूरा किया जाये।

यह सत्य है कि चौथी योजना में इसके लिये विदेशी मुद्रा निर्धारित नहीं की है। परन्तु हमारे पास येन मुद्रा में 6 करोड़ डालर प्रति वर्ष की पूंजी है। इसलिए मेरा पूरा प्रयास होगा कि इस परियोजना के लिए येन पूंजी प्राप्त हो जावेगी। परन्तु पहले हमारे पास एक परियोजना हो जिसका ठीक प्रकार विश्लेषण हुआ हो तथा अन्तिम रूप से दिया गया हो और वह तकनीकी तरह से मजबूत हो और ठीक प्रकार कार्यान्वित की जा सके।

इसके पश्चात लोक सभा शनिवार, 8 अप्रैल, 1967/18 चैत्र, 1889 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Saturday, the 8th April, 1967/Chaitra 18, 1889 (Saka).

Tej Kumar Press, Lucknow. 5-7-1968—600